CONTENTS

Sixteenth Series, Vol. XVII, Eighth Session, 2016/1938 (Saka) No. 12, Tuesday, May 10, 2016/Vaisakha 20, 1938 (Saka)

<u>SUBJECT</u>	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 221 to 226	10-69
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 227 to 240	70-110
Unstarred Question Nos. 2531 to 2760	111-674

 $^{^*}$ The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	676-686
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES 31 st to 35 th Reports	687
STANDING COMMITTEE ON ENERGY 18 th and 19 th Reports	687
STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT & FORESTS 285 th Report	688
PRESENTATION OF PETITION	688
Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers	
Shri Hansraj G. Ahir	688
STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 5615 DATED 28 TH APRIL, 2015 REGARDING BEGGING AMONG CHILDREN ALONGWITH REASONS FOR DELAY	
MOTION RE: THIRTY-FIRST REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	690

MATTER UNDER RULE 377		723-748
(i)	Need to check the steep fee hike by private schools affiliated to CBSE in Ranchi parliamentary constituency, Jharkhand	
	Shri Ram Tahal Choudhary	724
(ii)	Need to declare tax-holiday for industries in Gadchiroli-Chimur parliamentary constituency, Maharashtra	
	Shri Ashok Mahadeorao Nete	725
(iii)	Need to provide stoppage of Mandore Express and Jaipur-Jodhpur Intercity Express at Ren railway station in Nagaur, Rajasthan	
	Shri Hariom Singh Rathore	726
(iv)	Need to construct pucca bathing ghats and changing room for pilgrims on the banks of river Ganga at Tigri Dham in Amroha parliamentary constituency, Uttar Pradesh	
	Shri Kanwar Singh Tanwar	727
(v)	Need to construct an underpass on N.H. 24 passing through Kasta Legislative Assembly, Uttar Pradesh	
	Shrimati Rekha Verma	728
(vi)	Need to frame stringent laws for eradication of child labour in the country	
	Dr. Virendra Kumar	729
(vii)	Need to expedite construction of four-laning of National Highway No. 59 from Indore to Pitol in Madhya Pradesh	
	Shrimati Savitri Thakur	730

10.05.2016 4

(viii)	Regarding Alkaloid Factory, Neemuch, Madhya Pradesh and progress made in Alkaloid sector in the country	
	Shri Sudheer Gupta	731
(ix)	Need to provide adequate land-price to farmers of Siddharthnagar district, Uttar Pradesh whose land has been acquired for Indo-Nepal border road project	
	Shri Jagdambika Pal	732
(x)	Need to provide Rajasthan its allocated share of water from Rabi and Beas rivers	
	Shri Rahul Kaswan	733
(xi)	Need to undertake adequate relief measures in drought-hit districts of Uttar Pradesh	
	Shri Ram Charitra Nishad	734
(xii)	Need to set up a Urban Health Centre under National Urban Health Mission in Buxar parliamentary constituency, Bihar	
	Shri Ashwini Kumar Choubey	735
(xiii)	Need to improve BSNL mobile & internet service in J&K	
	Shri Jugal Kishore	736
(xiv)	Need to start medical education system integrating Allopathic and Ayurvedic systems of treatment and also promote Ayurveda in the country	
	Dr. Banshilal Mahto	737

(xv)	Need to devolve powers to Members of Parliament for better execution of construction works under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in their respective parliamentary constituencies in the country	
	Shrimati Ranjeet Ranjan	738
(xvi)	Need to adequately compensate the farmers whose land have been acquired by Defence Research Development Organisation (DRDO) in Chitradurga, Karnataka	
	Shri B. N. Chandrappa	739
(xvii)	Need to reintroduce Integrated Development of Small Ruminants scheme in Chamarajanagar district of Karnataka	
	Shri R. Dhruvanarayana	740
(xviii)	Need to declare the Nabadwip city in West Bengal as a National Heritage City	
	Dr. Tapas Mandal	741
(xix)	Need to set up a Sugarcane Research Institute at Babanpur in Ganjam district of Odisha	
	Shri Ladu Kishore Swain	742
(xx)	Need to accord approval to the proposal of Government of Maharashtra for construction of fishing port at Anandwadi village, Deogarh Tehsil, Sindhudurg district, Maharashtra	
	Shri Vinayak Bhaurao Raut	743
(xxi)	Regarding various institutions to be apportioned between Andhra Pradesh and Telangana under the Andhra Pradesh Reorganisation Act	
	Shri Muthamsetti Srinivasa Rao (Avanthi)	744

(xxii)	Regarding drought situation prevailing Telangana	in
	Shri Bheemrao B. Patil	745
(xxiii)	Need to set up a steel plant in YSR Kadapa dis of Andhra Pradesh	trict
	Shri Y.S. Avinash Reddy	746
(xxiv)	Regarding problems faced by Indians going about to earn livelihood	road
	Shri Prem Singh Chandumajra	747
(xxv)	Need to construct additional staff quarters employees working in Hisar Railway Station Haryana.	
	Shri Dushyant Chautala	748
AMEN	TRIES (DEVELOPMENT AND REGULATIO DMENT BILL, 2015 (Amendments made by Rajya Sabha)	ON) 750-754
N	Motion to Consider	751
(Clauses 2 and 1	751-753
A	Amendments agreed to	754
Situs crisi of ri	SSION UNDER RULE 193 ation arising out of drought and drinking water is in many States and need to consider inter-linking vers and water resource management for sustainal ution to mitigate the crisis	
S	Shrimati Aparupa Poddar	755-762
S	Shri Chandrakant Khaire	763-768
S	Shri Bhartruhari Mahtab	769-778
S	Shri A.P. Jithender Reddy	779-785
S	Shri Mohammed Salim	786-792

Shri Mekapati Raja Mohan Reddy	793-796	
Shrimati Supriya Sule	797-802	
Dr. Pritam Gopinath Munde	803-807	
Shri Dharmendra Yadav	808-811	
Shri Prem Singh Chandumajra	812-816	
Shri Pralhad Joshi	817-823	
Shri Rajeev Satav	824-826	
Shri Chirag Paswan	827-829	
Shri Prahlad Singh Patel	830-835	
Shri Ram Kumar Sharma	836-838	
Col. Sonaram Choudhary	839-844	
Shri Raosaheb Patil Danve	845-848	
Shrimati Jayshreeben Patel	849-852	
Shri Chaudhary Birender Singh	853-870	
<u>ANNEXURE – I</u>		
Member-wise Index to Starred Questions	871	
Member-wise Index to Unstarred Questions	872-877	
ANNEXURE – II		
Ministry-wise Index to Starred Questions	878	
Ministry-wise Index to Unstarred Questions		

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi
Shri Hukmdeo Narayan Yadav
Shri Anandrao Adsul
Shri Pralhad Joshi
Dr. Ratna De (Nag)
Shri Ramen Deka
Shri Konakalla Narayana Rao
Shri Hukum Singh
Shri K.H. Muniyappa
Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, May 10, 2016/Vaisakha 20, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Question No. 221, Shri Ramcharan Bohra

(Q.221)

श्री रामचरण बोहरा: अध्यक्ष महोदया, किसान का खेती के साथ-साथ पशुधन भी आय का प्रमुख स्रोत है। जैसी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वर्ष 2021 तक किसान की आय दोग्नी हो।

में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पशुधन के लिए बीमा और पशुधन की आय के बारे में क्या राय रखते हैं और इसके लिए क्या योजना बनाई है?

श्री राधा मोहन सिंह: महोदया, पशुधन बीमा योजना के तहत वर्ष 2014 के पहले कोई भी किसान दो दुधारू पशुओं का बीमा करवा सकता था। वर्ष 2014 के बाद इसमें परिवर्तन किया गया और किसान दुधारू या बड़े पांच पशुओं का बीमा करवा सकता है तथा 50 छोटे जानवरों का बीमा करवा सकता है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है और अभी तक 50,56,000 पशुओं का बीमा वर्ष 2015-16 में किया गया है। यह बीमा राज्यों की डिमांड के आधार पर किया जाता है। राज्यों से जितनी डिमांड आई थी, उन सभी का बीमा किया गया है।

श्री रामचरण बोहरा: महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना लागू की है और इस योजना के अंतर्गत बिना किसी के यहां चक्कर लगाए इस योजना का पैसा लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। इसी योजना की तर्ज पर आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पशुधन की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर या विकलांग हो जाने पर बीमा योजना का पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाने की कोई योजना है और अगर योजना नहीं है तो क्या इस तरह की कोई योजना लागू करने जा रहे हैं?

श्री राधा मोहन सिंह: सभी राज्य सरकारों को निर्देशित है कि किसान को मिलने वाले जितने भी इस प्रकार के इनपुट्स हैं, वे सीधे खातों में भी दिया जाए।

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA: Madam Speaker, the insurance that is being provided by the Union Government only covers any eventual loss of animals and in such cases the insurance amount will be given to the farmers. But to maintain the balance of nature, we have to increase the number of livestock in our country. There are some local breeds of cattle like Hallikar and Amruthamahal in Karnataka. Now, due to lack of infrastructure and also due to lack of funds we are not able to increase the number of local breeds. There are some local breeds in various parts of the country which are to be encouraged to maintain the balance of

nature and they are almost at the verge of vanishing. So, my question to the hon. Minister is this. Is there any specific scheme proposed to be implemented by the Government of India to improve and protect the local breeds of these cattle?

श्री राधामोहन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रीय पशुधन विकास मिशन के तहत राज्यों को इस काम के लिए पर्याप्त मदद की जाती है। इसके अलावा, इस सरकार ने एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना शुरू की है, जिसमें मुख्य रूप से देशी पशुओं के नस्ल-सुधार पर काम हो रहे हैं।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से और अच्छा उत्तर दिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सूखा प्रभावित राज्यों में पशुधन के लिए जो चारे की व्यवस्था की गयी है, उसमें किसान कल्याण विभाग के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उपयोजना के अंतर्गत सूखा प्रभावित राज्यों में वर्ष 2016-17 में सौ करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। हमारे बुंदेलखण्ड क्षेत्र के लिए, जहाँ पशुओं के लिए चारा नहीं है, वहाँ हजारों की संख्या में पशु मर रहे हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी बुंदेलखण्ड के पशुओं के लिए कोई विशेष योजना बनाएँगे जिससे मेरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुओं को बचाया जा सके।

श्री राधामोहन सिंह: अध्यक्ष महोदया, अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम के तहत सिर्फ सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राज्यों को मदद की जाती है। वर्ष 2014-15 में इस संबंध में आबंटित राशि एक सौ करोड़ रुपये थी, वर्ष 2015-16 में 50 करोड़ रुपये और इस वर्ष भी इसके लिए एक सौ करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है। जिन राज्यों की ओर से प्रस्ताव आता है, उन राज्यों को यह राशि दी जाती है और यह मुख्य रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए दी जाती है।

राज्यों को एनडीआरएफ की ओर से जो सहायता दी जाती है, उसमें भी चारा के लिए सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रोवीज़न होता है और वर्ष 2015-16 में सभी राज्यों को एनडीआरएफ से जो राशि गयी है, उसमें भी चारा विकास और पेयजल के लिए राशि निहित है।

माननीय अध्यक्ष : श्री एम. श्रीनिवास राव - उपस्थित नहीं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने एक योजना स्वीकृत की है, जिसमें गोबर की खाद पर भी सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। इससे पशुपालन का चलन बढ़ेगा, पशुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन मैं कृषि मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में डेढ़ फीसदी प्रीमियम खरीफ फसल के लिए और दो फीसदी प्रीमियम रबी फसल के लिए है। उसी प्रकार, पशुओं में भी वेरायटी है। कोई गाय पालते हैं, कोई घोड़ा पालते हैं, कोई बैल पालते हैं, कोई बकरी पालते हैं, कोई भेड़

पालते हैं, कोई सुअर पालते हैं। विभिन्न पशुओं की वेरायटीज हैं। किस पशु के लिए कितना प्रीमियम पशु बीमा योजना में होगा, यदि इसे सरकार बता देती, तो पशु-पालकों को उस बीमा योजना में बीमा करने में लाभ होता। इसे कैसे करेंगे?

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान): माननीय अध्यक्ष महोदया, इसमें गाय के लिए जो बीमा की कीमत लगायी गयी है, वह तीन हजार रुपये प्रति किलोग्राम दूध के हिसाब से लगायी जाती है। भैंस की बीमा के लिए चार हजार रुपये प्रति किलोग्राम दूध के हिसाब से तय की गयी है। अन्य जानवरों के लिए, चाहे वह भेड़, बकरी आदि हों, उसके लिए उनकी बीमा-राशि का निर्धारण बीमा कंपनी, कंसर्न वेटरनरी डॉक्टर और बेनिफिशियरी किसान, तीनों के साथ विचार करके लगाया जाता है। जहाँ तक इसके प्रीमियम दर का सवाल है, तो यदि यदि एक साल का बीमा है, तो उसकी मैक्सिमम प्रीमियम दर 3 प्रतिशत केन्द्र सरकार की ओर से तय की गयी है। यदि कोई तीन साल का बीमा कराना चाहता है, तो उसके लिए यह कहा गया है कि इसे 9 प्रतिशत से कम रखी जाए।

इस प्रकार से अलग-अलग प्रदेश में अलग-अलग दरें हैं, उसे प्रदेश सरकार तय करती हैं। उसमें भी कुछ केन्द्र सरकार का हिस्सा है। यदि बेनिफिशियरी बीपीएल, एससी, एसटी है तो उसमें केन्द्र सरकार का शेयर 40 प्रतिशत है, राज्य का शेयर 30 प्रतिशत और बेनिफिशियरी किसान को 30 प्रतिशत देना पड़ता है। यदि किसान अन्य वर्ग का है तो बेनिफिशियरी किसान का शेयर प्रतिशत बढ़कर 50 हो जाएगा, 25 प्रतिशत केन्द्र सरकार का शेयर और 25 प्रतिशत प्रदेश सरकार का शेयर हो जाएगा।

(Q. 222)

SHRI PRALHAD JOSHI: Madam Speaker, as has been stated in the reply and as also is evident in the market, by and large, prices of essential commodities are under control, except Urd, Chana and some increase in the prices of sugar and potato, the prices, by and large are under control. The Wholesale Price Index also reflects that.

One of the foremost steps taken by this Government to ensure the better governance and transparency in the field of future trading was to see that commodity brokers are brought directly under the supervision of SEBI. This was due to the merger of Forward Market Commission with the SEBI. Even the Finance Minister had in his Budget Speech recommended the merger of SEBI and FMC in order to curb wild speculative behaviour. The FMC has been regulating the commodity markets since 1953, but it was seen that they have lacked the muscle to control the alleged irregularities in this market segment.

My question to the hon. Minister is this. After having merged these two organisations, to regulate it properly, whether the Ministry has assessed the impact of merger of FMC with SEBI on trading in the futures market in the essential commodities. If so, has the speculative behaviour considerably reduced as a direct consequence of the merger? By that, whether the prices of the essential commodities are reducing because of this merger. What is the assessment of the Government?

श्री रामविलास पासवान: मैडम, इसके लिए इंटर-मिनिस्टीरियल कमेटी बनी हुई है। इन वस्तुओं को वह कमेटी देख रही है, ज्यों ही उसका निर्णय होगा, हम बता देंगे।

SHRI PRALHAD JOSHI: As per the reports received from the State Governments on pulses seized under de-holding operations and auction or offloading the same to increase the availability, Karnataka Government has seized 25,445.82 MT, which is one of the highest seizures by the State Government. But, out of them, only 371 tonnes, that is, just 1.5 per cent of the quantum seized has been auctioned. Whereas Chhattisgarh has auctioned 30 per cent; Madhya Pradesh has auctioned

50 per cent of the stocks seized. By auctioning this and releasing it to the market, automatically prices will be reduced. But the Karnataka Government, which has seized, has just auctioned 1.5 per cent of the total seizure. Besides this, as per the reply of the Minister, the Karnataka Government has not submitted the reports of the action taken under the Essential Commodities Act. Unfortunately, the State Government has not also submitted any such report even though it had many cases of hoarding and black market trading of pulses. Because of that, in Karnataka, prices of pulses have gone up.

My question to the hon. Minister is, whether the Central Government will take steps to ensure that the State Governments especially the Government of Karnataka, take measures for price stability and availability of the pulses by auctioning the seized pulses.... (*Interruptions*) I would also like to know whether the reasons have been given by those State Governments, including Karnataka, who have not submitted report of action taken under the Essential Commodities Act. ... (*Interruptions*)

Not only they have not seized, they are just bothered whether Siddaramaiah should be continued or not. They are more bothered in that. They are not able to auction the commodities which have been seized. I would like to know whether the Central Government is going to give any directives to the State Government. This is my question.

श्री रामविलास पासवान: अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, यह सही है कि जिन 22 आवश्यक वस्तुओं की हम निगरानी करते हैं, दाल को छोड़कर उनमें से किसी चीज का दाम नहीं बढ़ा है। दाल का दाम बढ़ने का कारण यह है कि इसका उत्पादन कम है और डिमाण्ड ज्यादा है। पिछले साल, वर्ष 2015-16 में 173 लाख टन उत्पादन हुआ था और डिमाण्ड 237 लाख टन थी। प्राइवेट पार्टीज के द्वारा 58 लाख टन दाल का आयात किया गया। इसके अलावा एक मुख्य मुद्दा जमाखोरी है। जमाखोरी और कालाबाजारी का जो मुद्दा है, मैंने पिछली बार भी अपने जवाब में कहा था कि यह मुख्य रूप से राज्य सरकार की जवाबदेही है। एसेंसियल कमोडिटीज एक्ट के तहत हमने राज्य सरकार को अधिकार दे दिया है। राज्य सरकार को जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश भी है। पिछली बार हम लोगों को

सूचना मिली थी की जो इम्पोर्टर्स हैं, आयात करते हैं, वे पोर्ट पर ही दाल को रख लेते हैं और जब यहां दाम बढ़ जाता है, तब उसे लाने का काम करते हैं। हमारा कस्टम डिपार्टमेंट और राजस्व विभाग इसे गंभीरता से देख रहा है।

आपने सवाल किया है कि पिछली बार जब जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गयी थी तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में सामान बरामद किया था। उस सामान के लिए हमने दो-तीन तरीके बताए थे कि उसको या तो पीडीएस के माध्यम से बेचें या उसको नीलामी करके बेचें, लेकिन यह मामला राज्य सरकार के तहत आता है। कर्नाटक के संबंध में यदि माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं तो हम उनको वह उपलब्ध करवा देंगे।

श्री मानशंकर निनामा: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान ग्रामीण रोजगार से जुड़े गम्भीर विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या महंगाई बढ़ने के लिए अन्य देशों में आयी आर्थिक मंदी का भी कोई असर पड़ता है? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी विवरण दें। विदेशों में आयी आर्थिक मंदी का अपने देश पर असर न पड़े क्या इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।

श्री रामविलास पासवान: महोदया, ऑटोमैटिक सवाल का जवाब भी ऑटोमैटिक है।

श्री राजीव सातव: अध्यक्ष जी, पिछले साल साढ़े बारह से पन्द्रह प्रतिशत तक दाल के उत्पादन में कमी आई थी, लेकिन दाल का भाव सौ प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा है। जो फिगर्स हैं, उनके हिसाब से 50 प्रतिशत दाल का प्रोडक्शन बीजेपी शासित राज्यों में होता है। मंत्री जी ने कहा है कि यह राज्य का मामला है। क्या सरकार मानती है कि राज्य सरकार होर्डिंग के ऊपर कार्यवाही करने में असफल हुई है?

श्री रामविलास पासवान: अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे यहां दाल की फसल कम होती है। तिलहन की फसल भी कम होती है लेकिन हम बाहर से आयात करके उसकी कमी को पूरा करते हैं। बाहर से जो हम मंगाते हैं, प्राइवेट पार्टी के लोगों को चूंकि उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वे लाते हैं। इस परिस्थिति में राज्य सरकार को कार्यवाही करने के लिए बार-बार कहते हैं। यह बात नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि पिछली बार दाल की जो कीमत बढ़ी थी, उसमें हमने शुरू से ही ज्यादा से ज्यादा कोशिश की थी कि हम राज्य सरकार से मांगे कि आपको कितनी आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति हम पहले से ही कर सकें। इस बार भी हम राज्य सरकार को बार-बार लिख कर भेज रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने जरूर मांग की है लेकिन अधिकांश राज्य सरकारें जो भारत सरकार

पर ब्लेम लगाती हैं, उनसे हमारे पास उनकी डिमांड नहीं आई है हमने स्टाक लिमिट के अलावा बफर स्टाक में 50 हज़ार टन खरीद लिया है। 26 हजार टन इम्पोर्ट करने का आदेश दिया जा चुका है जिसमें 11 हजार टन इम्पोर्ट हो चुका है। हम एक लाख टन और खरीदने जा रहे हैं। इसके अलावा आयात करने की हमारी प्लानिंग है लेकिन राज्य सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोगों ने निर्णय किया है कि 66 रुपए किलो के हिसाब से अरहर की दाल देंगे। अलग दालों का अलग भाव है। अरहर की दाल 120 रुपए किलो से ऊपर बेचने का काम राज्य सरकार न करे दिल्ली में सफल के माध्यम से हम लोग बेच रहे हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों को आग्रह करना चाहता हूं कि जिस भी दाल की जितनी भी आवश्यकता हो, वह लिख कर भेज दें, हम उन्हें दाल देंगे और भविष्य में यदि 120 रुपए किलो से ज्यादा दाल की कीमत बढ़ेगी तो राज्य सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदया, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे सदन को गंभीरता से लेना चाहिए। देश में गायों की संख्या घटती चली जा रही है। इसका कारण यह है कि गाय के मांस का व्यापार बढ़ रहा है। वे गाय पकड़ते हैं और काटकर अमरीका भेज देते हैं। उनका जहाज पर भी मेनिपुलेशन है। यह हमें पता चला तो हमने 1600 गायें, हो सकता है ज्यादा हों, हमें पता नहीं, कोई उन्नाव ले जा रहा था, कोई कहीं ले जा रहा था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुलायम सिंह जी, प्रश्न दालों के संदर्भ में है।

श्री मुलायम सिंह यादव: अमरीका गाय का गोश्त पसंद करता है, हमने 1600 गाय बांध रखी हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुलायम सिंह जी, प्रश्न दाल के संदर्भ में है।

श्री मुलायम सिंह यादव: यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप या तो हमें जीरो ऑवर में बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान) कम से कम काम तो हो जायेगा और आप सुन तो लेंगे। माननीय गृह मंत्री जी हम 1600 गायें पाल रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यहां प्रश्न दाल के संदर्भ में है। प्लीज, ऐसा नहीं होता है। आप जानते हैं, ऐसा नहीं होता है। प्रश्न संख्या 223, श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी, आप बोलिये।

(Q.223)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होने बड़े विस्तार से उत्तर दिया है। जो आग लगने की दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें दमकल विभाग की प्रोफिशिएंसी का जो सबसे बड़ा मापदंड है, वह रिस्पांस टाइम रहता है और यह पांच से सात मिनट तय किया गया है, यह ठीक है, मैं समझता हूं कि इसे इससे कम करना संभव भी नहीं है। परंतु अनुभव यह बताता है कि इस समय सीमा का पालन नहीं हो पाता है। आधा घंटा, एक घंटा या उसके भी बाद में दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं। छः महीने पहले हापुड़ में एक जगह आग लगी और उसमें एक बच्चा इसलिए जलकर मर गया, क्योंकि दमकल के लोग समय से नहीं पहुंचे और जब पहुंचे तो उनके पास सीढ़ी भी नहीं थी।

में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो किमयां सामने आती हैं, क्या उनका कोई डेटा रखा जाता है कि जो दमकल की गाड़ी है, वह यदि समय से नहीं पहुंची तो उसकी क्या वजह रही, क्या वे तैयार नहीं होती हैं? यह सदासिद्ध प्रकार की सेवा है, क्या उनमें पानी नहीं होता है या और कोई कारण होता है, कभी सीढ़ियां नहीं होती है। आखिर क्या कारण होता है, क्या उसका कोई डेटा रखा जाता है और उसे ठीक करने के लिए कोई उपाय किये जा रहे हैं या नहीं, यही मैं जानना चाहता हूं? श्री किरेन रिजीज् : अध्यक्ष महोदया, यह सही बात है कि स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल ने एक मापदंड तय किया था कि कितने फायर सर्विस स्टेशंस हिंदुस्तान में होने चाहिए, रिस्पांस टाइम कितना होना चाहिए, ये सारी गाइडलाइंस इश्यू की गई हैं। गाइडलाइंस के बारे में माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि हर जगह संभव तभी होगा, जब आपके पास साधन हों, आपके पास पूरी व्यवस्था हो। हमारे देश में टोटल 65 परसैन्ट डेफिशिएंसी है। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि लगभग 8500 फायर स्टेशंस की हिंदुस्तान में जरूरत है और हमारे पास अभी तीन हजार फायर स्टेशंस भी पूरे नहीं हुए हैं। इस तरह से जो कमी है, वह लगभग 65 प्रतिशत है। इसकी वजह से समय बहुत इम्पार्टेंट है, क्योंकि अगर समय पर नहीं पहुंचेंगे, चाहे वह म्युनिसिपल एरिया में हो या गांव में हो, जब फायर एक्सिडेंट होता है तो समय पर पहुंचना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम लोग लगातार राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं कि जरूरी फायर स्टेशंस हर जगह होने चाहिए और जितने रिक्युजिट हैं, वे होने चाहिए। उसके लिए प्रशिक्षण और बाकी जो सहायता है, वह समय-समय पर मिलती रही है और आगे भी हम लोग सम्पर्क में रहेंगे। यह सब्जैक्ट कांस्टीट्यूशन के सीरियल नम्बर 7 में स्टेट सब्जैक्ट है और इसे म्युनिसिपल कारपोरेशन को देखना होता है। फिर भी हम लोग तालमेल करके काम करने की व्यवस्था बनाये हुए हैं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: महोदया, जब कोई भवन इत्यादि बनता है तो सामान्यतः उसे फायर के संबंध में एनओसी लेनी होती है। उसमें अमूमन मैंने यह देखा है कि उसके कितने एग्जिट पाइंट्स हैं या अन्य क्या चीजें हैं, इन्हें देखा जाता है। लेकिन बहुत बार शार्ट सर्किट से जो आग लगती है, वह तारों की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। टेफलोन वाले तार हाई हीटिंग पर भी नहीं जलते हैं। मैं समझता हूं कि कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाए या कोई अन्य उपाय हो सकते हैं।

में जानना चाहता हूं कि एक प्रिवेन्टिव मैजर के नाते आग लगने की घटनाओं में कमी आए, उस दृष्टि से भी क्या एनओसी देते समय कुछ चीजों पर ध्यान रखा जाता है या कुछ और नई चीजों को इसमें जोड़े जाने के बारे में सरकार सोच रही है?

श्री किरेन रिजीजू: मैडम, मैं यह बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा कोड नहीं है कि किस तरीके से फायर सेफ्टी मैजर्स तय किये जाएं, उसका कोई अंतर्राष्ट्रीय कोड नहीं है। अपने देश में और खासकर जो अपनी म्युनिसिपैलिटी, अपनी लोकिलिटी या अपना शहर है, अपनी जरूरत के हिसाब से सबने रूल्स और रेगुलेशंस बनाये हुए हैं। उसका सबको पालन करना है। आज-कल फायर एक्सिडेंट्स की इतनी सारी घटनाएं हमारे सामने आती हैं। इसके लिए जो स्ट्रिंजेंट मेज़र्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जितनी भी एनओसी लेनी पड़ती है, वह लेनी चाहिए। जैसे दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नई दिल्ली में एनडीएमसी है, इनसे आप परिमशन और एनओसी ले कर ही पर्टिक्युलर बिल्डिंग को ऑपरेशनल कर सकते हैं। यह व्यवस्था बनाई हुई है। उसको स्ट्रिक्टली इंप्लिमेंटेशन करने का हम लोगों का पूरा इरादा है।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL: Madam Speaker, I would like to ask the hon. Minister whether the Ministry has any scheme for setting up modern technology based fire station at congested market places in rural areas to tackle the fire incidents effectively in quick time; if so, what steps have been taken in this regard and what is the allocation of funds?

SHRI KIREN JIJIJU: Madam, there has been lots of ways and means as to how the funding has taken place. Various Finance Commissions also have recommended certain amounts, which have been devolved to the State Governments. But from 2014-15 onwards, as we all know, the Finance Commission recommended that the fire safety measures are purely the State Subject, and each State has to manage their internal resources. However we also continue to supplement wherever it is necessary. For example, training, which is

very important; we have a world class fire service training college at Nagapur, which I have visited and interacted with the head of the institutes and the trainees also. So, it is a very, very effective training college, which every State is taking benefit out of it.

At the same time, identification of particular locations, as I stated earlier, is the responsibility of the local Government.

श्री शरद त्रिपाठी: महोदया, अभी उत्तराखण्ड में जो आग लगी, उस पर एनडीआरफ के माध्यम से बहुत सारी कार्यवाही की गई है, जिसके लिए सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। जैसा कि संविधान के 243 (ब) में यह वर्णित है कि अग्निशमन सेवा का अनुरक्षण का कार्य राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मै उत्तर प्रदेश से आता हूँ। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने सवाल के जवाब में कहा भी है कि आज अग्निशमन सेवा केंद्रों के सापेक्ष्य में और जो आवश्यकता है, उसमें 65 प्रतिशत की कमी है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। अभी एक महीने में ही बहुत सी जगहों पर आग लगी है। हमारे ही संसदीय क्षेत्र में बहुत जगहों पर आग लगी है। 237 अग्निशमन केंद्र उत्तर प्रदेश में हैं और बहुत से ऐसे अग्नि शमन केंद्र बन कर वहां तैयार हैं। लेकिन वहां न पर्याप्त स्टाफ है, न पर्याप्त संसाधन हैं। जबिक आपदा प्रबंधन में यह नियम भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार उसके द्वारा अग्निशमन केंद्र या उसके उपकरण की भी खरीदारी कर सकती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि बीच का जो अंतर है, उसकी भरपाई कब तक हो जाएगी? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार के द्वारा कब तक समन्वय स्थापित कर के वहां पर सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे?

श्री किरेन रिजीजू: महोदया, हम लोगों ने सभी राज्यों को एडवाइज़री जारी की है कि जो गाइडलाइंस तय की गई हैं, उसका आपको पालन करना है और मान्यता भी देनी है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि पंपिंग स्टेशंस की जो गाइडलाइंस हैं, 50 हज़ार की जनसंख्या पर एक पंपिंग स्टेशन होना अनिवार्य है। तीन लाख तक की जनसंख्या होगी तो उसमें छह पंपिंग स्टेशन होने अनिवार्य है। उसके बाद हर एक लाख में एक एडिशनल पंपिंग स्टेशन होना चाहिए। अभी माननीय सदस्य ने पूछा है तो उत्तर प्रदेश को भी हम फिर से एडवाइज़री जारी करेंगे कि हम लोगों ने फायर सर्विस को ले कर जो काउंसिल बनाया है, उसकी जितनी भी रिक्मेंडेशंस हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, my question is a bit different from the questions that are being posed today. The Union Government has a Director-General, who prepares and supplies fire safety publicity educational materials, printed and electronic, to the State Governments. As it deals with educational materials and publicity, my question relates to other than sending advisory to the respective State Governments. The Union Government has a responsibility also to identify the places, which are in the middle of the city and can be disastrous for the locality.

Accordingly, the Municipal Corporation and even the State Government have made a request to the Ministry of Petroleum and Natural Gas of the Union Government. In Cuttack, in my city, there is a railway depot which had a depot of the Indian Oil Corporation, which had a depot of the Hindustan Petroleum Limited and which still has a depot of Hindustan Petroleum Limited. It is in the middle of the city. A number of times when terrorist activities happen, there is every possibility that things may blow up at any point of time. Last Friday evening, an incident had happened and the whole city was panicked. Is the Government thinking of advising the Railways and also the Ministry of Petroleum and Natural Gas to shift these depots outside the city?

KIREN RIJIJU: This is an important suggestion and he has pointed out certain probable dangers which we cannot take it lightly. I will pass on this message to the National Disaster Management Authority to contact the State Disaster Management Authority where the Chief Minister is the Chairman of the Authority. The Home Ministry will also coordinate. We will coordinate with them.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: They have already written to them.

SHRI KIREN RIJIJU: Now, your suggestions have come on the floor of the House. We will take it up seriously.

श्रीमती रक्षाताई खाडसे: देश में बार-बार आग लगने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे जैसे बड़े ऑर्गनाइजेशन में डिविजन लेवल्स तथा रेलवे के वर्कशॉप्स में अग्नि नियंत्रण यंत्र तथा अग्नि शमन दल की व्यवस्था नहीं होने के कारण जीवन हानि तथा देश की सम्पत्ति का भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। मैं

माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से ऐसी व्यवस्था निर्माण करने के बारे में सोच रही है? धन्यवाद।

श्री किरेन रिजीजू: माननीय सदस्या ने रेलवे से सम्बन्धित सवाल किया है तो उसमें रेलवे मंत्रालय, क्योंकि वह केन्द्र सरकार के अधीन है, उनसे हम लोग सम्पर्क करेंगे, उसके बाद जहाँ जरूरी होगा, वहाँ हम लोग कार्रवाई करेंगे।

(Q.224)

श्री निनोंग इरिंग: महोदया, यह जो प्रश्न है, यह राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर से भी सम्बन्ध रखता है। हमने जो पूछा है, वह खास तौर से पूर्वोत्तर राज्यों के विषय में पूछा है। उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी को देखते हुए हमारे अरूणाचल प्रदेश में नामपोंग एक जगह है, उसका बहुत पुराना इतिहास है। वह स्टिलवेल रोड है, जहाँ से पंगसुपास होकर चीन, म्यांमार और उसके बाद साउथ ईस्ट कंट्रीज में भी आप जा सकते हैं। इसलिए मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारा उधर मोरे है, हमारा वह स्टिलवेल रोड है, जिसमें कनेक्टिविटी बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद ऐसे-ऐसे हमारा ट्रेड पोस्ट भी हो सकते हैं, जैसे बुमला है, गेलिंग है, किबिथु है, क्या इसमें आप इसका प्रावधान रखेंगे?

श्री किरेन रिजीजू: महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत ही विस्तार से और विस्तृत प्रश्न पूछा है।

माननीय अध्यक्ष: आप भी प्रदेश को विस्तृत रूप से जानते हैं, इसलिए उन्होंने पूछा होगा।

श्री किरेन रिजीजू: हाँ जी। माननीय सदस्य हमारे प्रदेश से ही आते हैं, अगर ये यहाँ संतुष्ट नहीं होंगे तो में हाउस के बाहर उन्हें बता दूँगा।

महोदया, इन्होंने स्टिलवेल रोड़ का जिक्र किया, वह ऐतिहासिक रोड भी है और पंगसुपास के बारे में जिक्र किया। हमारी म्यांमार सरकार के साथ बातचीत चल रही है और वहाँ के लोकल लेवल के ऑफिसर्स के बीच में भी बातचीत चल रही है। वहाँ रोड हिन्दुस्तान की साइड से बॉर्डर तक लगभग बन चुकी है, जिसके इन्ऑग्युरेशन में मैं खुद भी गया हुआ था। उसको जल्दी से शुरू करना चाहिए, हम यही चाहते हैं। उन्होंने जो अन्य दूसरी जगहों के बारे में पूछा है, अगर कहीं बॉर्डर को कोई डिस्प्यूट है तो वहाँ ट्रेड तो हो नहीं सकता है। म्यांमार के साथ हम चाहते हैं कि हमारे व्यापारी सम्बन्ध बढ़ें और उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे।

श्री निनोंग इरिंग: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम गृह राज्य मंत्री जी से पूछना चाहूँगा क्योंकि वे हमारी तरफ से ही आते हैं। उन्होंने अभी भी कहा कि वह डिसप्यूटेड एरिया है। लेकिन आपको हमने क्या विरासत में दिया है या आपने क्या संभाला है। आपको हम अपने यहाँ के एक युवा और होनहार नेता के रूप में देखते हैं। You know, you are a very prestigious leader for us. लेकिन एक बात है। पिछले सदन में You always used to take up the challenge of the stapled visa. इसमें आप देखिए कि चीन का 1100 किलोमीटर है, म्यांमार का 520 है और यहाँ नाथूला में आप देखिये, कितना अच्छा से व्यापार चलता है। हमें ईंट की, कंक्रीट की या पत्थर की दीवार से मतलब नहीं है। हमारा जो दिल का रिश्ता

है, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। चीन के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है, हम दोस्ती का रिश्ता रखना चाहते हैं। You have always challenged it. अभी आप हमें बताइए कि ये जो एरियाज़ हैं - बुमला, गेलिंग, किविडो, आप जानते हैं कि यहाँ से चीन के साथ यातायात रखना बहुत आसान है। आप इसमें क्यों बॉर्डर फोर्स नहीं डालेंगे? वहाँ आप बार्डर हाट्स क्यों नहीं लगाते? हम तो वह काम नहीं कर सके लेकिन अभी हमारे राज्य मंत्री हैं या गृह मंत्री हैं, वे इस विषय को दूर करें और इन सबमें बार्डर हाट्स ज़रूर लगाइए। श्री किरेन रिजीजू: अध्यक्ष महोदया, एयरपोर्ट लगाने हों तो अपने ही देश के अंदर एयरपोर्ट लगाते हैं तो हम स्थान ढूँढ़कर आराम से बैठा सकते हैं। जो सीपोर्ट होता है, वह भी अपने ही कोस्ट में होता है। हम उसको भी आइडैंटिफाइ करके सीपोर्ट बनाते हैं। लेकिन जो लेंडपोर्ट होता है, वह दूसरे देश के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए जब तक उस देश के हिसाब से हम बातचीत नहीं करेंगे, हमें अपने बार्डर में पोर्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है, जब तक दूसरे देश के साथ हमारे संबंध ठीक न हों। हमारे जो दूसरे पड़ोसी देश हैं, उनको भी तो एग्रीएबल होना चाहिए। जहाँ बार्डर लाइन नहीं खींची है, हम जबर्दस्ती वहाँ लेंड पोर्ट या लेंड कस्टम्स या बार्डर हाट लगाएँगे तो व्यापार कैसे होगा? हम तो चाहते हैं कि व्यापार हो, लेकिन दूसरे देश को भी कंफिडैन्स में लेना ज़रूरी है।

श्री जुगल किशोर: स्पीकर महोदया, आपका धन्यवाद, कि आपने मुझे प्रश्न उठाने का मौका दिया। भारत में जम्मू-कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो पाक के साथ-साथ आगे बढ़ता रहता है और सीमा पर घुसपैठ भी होती रहती है। लेकिन इसके बावजूद 1999 में जो तारबंदी हुई थी, वह तार बार्डर से एक-एक, दो-दो किलोमीटर पीछे लगाई गई है। इसमें बीच में गाँव के गाँव हैं। दो तीन गाँव हैं और कई लोगों के घर भी हैं। वहाँ जाने में परेशानी होती है। लोग किसानी भी नहीं कर पाते हैं और लोगों को परेशानी आती है। जो बी.एस.एफ. वाले या आर्मी वाले हैं, इनको अपने घर नहीं जाने देते हैं और घर के लिए इनको जगह और मकान का मुआवज़ा नहीं दिया जाता। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह तारबंदी को हटाकर जो सीमा है, इसको ज़ीरो लाइन पर आप कब ले जाएँगे, तािक वहाँ जो किसान हैं या लोग रहते हैं, उनको परेशानी का सामना न करना पड़े।

श्री किरेन रिजीजू: मैडम, यह एक गंभीर सवाल पूछा है लेकिन हम लोग एक सिस्टम और इंटरनेशनल एग्रीमैंट से बाध्य भी हैं। जो ज़ीरो लाइन है, उस इंटरनेशनल बार्डर लाइन से कितनी दूर आपको फैंसिंग लगानी है, यह तय है। इसलिए आप आगे जबर्दस्ती नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी, जो हमारा बार्डर है, जहाँ फैंसिंग लगाई है, उसके अंदर ज़ीरो लाइन तक हमारे लोग खेती करते हैं। हमारे लोग अंदर जाते हैं। उससे सिक्यूरिटी को कठिनाई भी होती है और आने-जाने का जो रास्ता खुला होता है, उससे नुकसान भी

होता है। लेकिन अपने लोगों को नुकसान न हो, उनका खेती-बाड़ी में कोई नुकसान न हो, इसके लिए उनको इजाज़त दी जाती है और उस समय सिक्यूरिटी ब्रीच न हो। हमारे इंडो पाकिस्तान साइड में जो बी.एस.एफ. डिप्लॉइड है, वह इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेती है और ह्यूमन एंगल को भी बहुत गंभीरता से लिया जाता है कि सिक्यूरिटी को पुख्ता करने के साथ-साथ हमारे जो सिटिज़न्स हैं, जो लोकल इंडिजनस लोग हैं, उनका भी नुकसान न हो।

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN: Speaker, Madam, I come from a border area. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I know, that's why I have allowed you.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़, मैं देख रही हूँ और आपको समय देने की कोशिश कर रही हूँ।

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN: I have almost 100 kilometres of border there. In my 40 years of political life I have closely seen the border areas and its problems. A huge problem of smuggling is there, specially of cattle smuggling. At present, the Government is taking some serious measures. But in spite of that the problem of smuggling still exists. The Government has established border huts in Tripura and Meghalaya only. So, my definite question to the Government is why they do not establish border huts in my districts – Murshidabad, Malda and Dinajpur – to make it a lawful business of cattles. Then, this problem will be solved itself.

श्री किरेन रिजीजू : मैडम, वैसे वह सही है कि बार्डर हाट्स बहुत ज्यादा जगहों में होना चाहिए। क्योंकि बार्डर हाट्स छोटा होता है और वह कम एरिया के लोगों को ही कवर करते हैं। यदि ज्यादा जगह में होगा तो वह अच्छी बात है। लैंड कस्टम्स भी हम चाहते हैं कि ज्यादा हों। जैसे नार्थ ईस्ट में हमारे पास अभी त्रिपुरा में 2, मेघालय में 2 बार्डर हाट्स शुरू हो चुके हैं और 6 और करने जा रहे हैं त्रिपुरा में 2 और मेघालय में चार। पश्चिम बंगाल के सदस्य जहाँ से आते हैं, वहाँ पैट्रापोल जो सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड चैकपोस्ट होगा, वह आपका अटारी बार्डर से भी कई गुना बड़ा हमारा पैट्रापोल होने वाला है, जो तैयार हो चुका है। हम लोगों ने इनॉगरेशन के लिए इंतज़ार नहीं किया। काम को चालू करने दिया। उसके अलावा और भी बहुत सारा आइडैंटिफाइ किया हुआ है। सभी के नाम गिनती करके बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि और ज़रूरी होगा तो एडीशनल और आइडैंटिफाइ किया जाएगा।

SHRI PREM DAS RAI: Madam, in this august House let me say that the North Eastern Region border is almost 99 per cent with the international borders. Therefore, if we have to look at every issue in the North East from the security lens, then we will never reach anywhere. I think the most important thing is that we now move from the Home Affairs to the Commerce side so that most of these border areas can be opened up.

In my own State, where the Nathu La check post is located, the border trade has been going on since 2006. But we want to upgrade this to a level where the trade actually happens in a much more definitive and a commercial manner. So, I would like the hon. Minister to tell us when this will see the light of the day. SHRI KIREN RIJIJU: My good friend from Sikkim has made some pertinent remarks. We agree to that. The Home Ministry is there not to do business but to provide security and safety to the people. Border management is an important factor where we also take care of certain developmental activities. For integrated check posts also, we handle cargo and provide security and facility so that business can smoothly run. What items to be included, what not to be included and what not to be traded is a matter to be decided by the Ministry of Commerce. We do not decide that but we personally discuss the things for promotion of trade from North Eastern Region side to the neighbouring countries. That is why, as I have mentioned earlier, the Government has taken unprecedented efforts to identify so many border huts in such a short time. It is only two years to our Government in power. But you can see the speed of identification of border huts and how we are going on it.

I request the hon. Member to please be appreciative, though we are not satisfied with what we have done so far. We will do much more. This is our commitment.

HON. SPEAKER: Q. No. 225. Shrimati Neelam Sonker - not present.

Mr. Minister may answer.

(Q.225)

श्री लक्ष्मी नारायण यादव: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें सैन्ट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़, ऑफिसेज़, पी.एस.यूज़ और बैंक्स के संबंध में लिखा गया है। मैं एक बात सोचता हूँ कि इसमें इन्होंने ज्यूडीशियरी को इनक्लूड नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि पिछले दिनों का अनुभव बताता है कि ... ने कई बार इस बात को बहुत ही घृणास्पद तरीके से कहा कि क्या हिन्दी हिन्दी मचा रखी है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या जो राष्ट्रीय राजभाषा नीति है, उसमें ज्यूडीशियरी को अलग करके भी देखा जा सकता है?

श्री किरेन रिजीजू: अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य ने अपने मन के जिन विचारों को व्यक्त किया है, हम भी उसका सम्मान करते हैं। चूंकि न्यायालय के बारे में हम ज्यादा टिप्पणी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि उच्च न्यायालय में हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 348 सबक्लाज़ दो व राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा सात में किया गया है और उसके बाद कई कदम सरकार द्वारा उठाये गये हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारी राजभाषा हिन्दी और हिन्दुस्तान की जो भी स्थानीय भाषाएं हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। न्यायालय में क्या हो सकता है, इसकी प्रक्रिया तो आपको मालूम है, मैंने जिक्र भी किया और 1965 में कैंबिनेट का एक डिसीजन है, उसमें यह कहा गया है कि न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में हिन्दी का किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, वह निर्णय होने से पहले उच्चतम न्यायालय के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका ओपिनियन लिया जाये। उनका ओपिनियन लिया गया है, उसके बाद उसमें निगेटिव उनका था कि फिलहाल यह आगे नहीं बढ़ना है। यह मामला उसमें रुका हुआ है, लेकिन चार राज्य ऐसे हैं, जिनमें हिन्दी बिल्कुल चलती है। अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी मी चलती है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और बिहार में और बाकी अन्य राज्यों में भी होने का प्रस्ताव है। वहां के गवर्नर और राष्ट्रपति की अनुमित से वह कदम उठाया जा सकता है।

श्रीमती रंजीत रंजन: माननीय अध्यक्षा जी, मंत्री साहब जो बिहार की बात बोल रहे हैं, वह बिल्कुल गलत है। हाईकोर्ट के जज ने सुनने से मना कर दिया, जब वकील हिन्दी में बहस कर रहे थे। क्या हमारी जो कोर्ट है, वह आज भी अंग्रेजों की गुलाम है? एक प्रश्न मेरे जेहन में हमेशा था और मैं राजभाषा समिति की सदस्य भी हूं कि जब गवर्नमेंट बनती है तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है और राष्ट्रपति अभिभाषण पूरा इंग्लिश में होता है और उसके बाद कहा जाता है कि हिन्दी को पढ़ा हुआ समझा जाये। मैं इससे मन में

^{*} Not recorded

बहुत ग्लानि महसूस करती हूं और बहुत ग्लानि होती है कि क्या हम हिन्दुस्तान में हैं या अंग्रेजों की गुलामी में ही हैं। कम से कम यह जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, क्या यहां हम हिन्दी को सम्मान दे रहे हैं, तब उन मंत्रालयों और कोर्ट को लेकर आएंगे?

श्री किरेन रिजीजू: जैसा मैंने कहा कि भावनाओं से हम लोग सब जुड़े हुए हैं कि हिन्दी ही नहीं, देश की स्थानीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन बिहार का जो आपने जिक्र किया, मैंने पहले भी बताया कि वहां राज्यपाल को आप जाकर के इसका आग्रह करना चाहिए, गुहार लगानी चाहिए कि अगर वहां के उच्च न्यायालय में अगर वह नहीं चल रहा है, उसका पालन नहीं हो रहा है, हिन्दी का अगर वहां इस्तेमाल नहीं होने दिया जा रहा है तो यह गम्भीर मामला है, इसके बारे में आप जरूर वहां के मंत्री जी से बात कीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस तरह आपस में चर्चा नहीं करें। आप खुद बहुत अच्छी हिन्दी बोल रही हैं।

श्री किरेन रिजीजू: मेरा अनुरोध है कि वे एक प्रतिनिधि दल लेकर वहां के राज्यपाल से आप मुलाकात कीजिए।...(व्यवधान)

श्री रमेश वैस: अध्यक्ष महोदया, जब देश का संविधान लिखा गया, उस समय संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी। माध्यम अंग्रेजी होगा, लेकिन 10 साल में धीरे-धीरे अंग्रेजी को समाप्त कर पूरे देश में हिन्दी को लागू किया जायेगा। आज देश को स्वतंत्र हुए 69 साल हो गये और जिस ढंग से हिन्दी को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं सोचता हूं कि यह दुनिया में एकमात्र ऐसा देश भारत है, जहां अपनी राष्ट्रभाषा को स्थापित करने के लिए समिति भी गठित की हो और समिति दौरा करती हो। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि इजरायल, जिसकी राष्ट्रभाषा हिब्रू मृतप्राय हो गई थी, उन्होंने जब इजरायल की स्थापना की तो उस समय उन्होंने ठाना कि हमारी राष्ट्रभाषा हिब्रू होगी और मृतभाषा को उन्होंने जिन्दा करके आज विश्व को दिखा दिया कि अगर हम निश्चय कर लें तो छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम हो सकता है। मुझे दुख होता है कि हम अपनी राष्ट्रभाषा को बचाने के लिए और अभी मैं कहता हूं कि राष्ट्रभाषा नहीं, यह राजभाषा बनकर रह गई है। 50 साल से राजभाषा काम कर रही है, क्या सरकार इस बात का आकलन करती है कि हम किस प्रतिशत की ओर बढ़ रहे हैं? अगर 50 साल में हम अभी तक पूरे देश में हिन्दी लागू नहीं कर पाये हैं तो हिन्दी को स्थापित करने में और कितने साल लगेंगे?

माननीय अध्यक्ष: यह तो हम सब पर निर्भर है।

श्री किरेन रिजीजू: माननीय सदस्य ने एक बड़ी पृष्ठभूमि वाली बात को रखा है। लेकिन, हमारी जो कोशिश है, इसके बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। प्रशासन में हिन्दी भाषा को हम कितना आगे ले जा

सकते हैं, इसके बारे में मेरी अध्यक्षता में भी एक कमेटी काम कर रही है। हम लोगों ने बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की है। खासकर, उत्तर भारत में जो 'क' श्रेणी वाले प्रदेश हैं, वहां तो इसमें कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। वहां अच्छी तरह से काम हो रहा है। दूसरे जो दो श्रेणी वाले प्रदेश हैं, वहां हम भाषा को लेकर कुछ थोप नहीं सकते। इसलिए हमने भाषा को सरल करने की कोशिश की है, तािक नई पीढ़ी को इसे इस्तेमाल करने में आसानी हो। सरल हिन्दी के प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग, जो हमारे गृह मंत्रालय में है, उसमें हमने लगभग पांच हजार शब्दों की शब्दावली तैयार की है, जिसे हमने बाकी मंत्रालयों को भी बांटा है, तािक इसका इस्तेमाल किया जा सके।

इसके अलावा, अन्य स्थानों पर, जैसे हमारे पी.एस.यूज. में, सोशल मीडिया में इसको प्रोत्साहित करने के लिए हमने कोशिश की है। आजकल कम्प्यूटर की लैंग्वेज में आपको हिन्दी भाषा का प्रावधान मिलेगा। ये सब सरकार के प्रयास हैं। गृह मंत्रालय ने काफी प्रयास किया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 226 - श्री एंटो एंटोनी - उपस्थित नहीं।

किरेन रिजीजू जी, आज पूरा आपका ही दिन है।

...(व्यवधान)

(Q.226)

माननीय अध्यक्ष : श्री सत्यपाल सिंह।

अरविंद सावंत जी, क्या हुआ? आप तो मराठी की बात बोलेंगे न, हमें मालूम है। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह: महोदया, काफी लम्बे समय के बाद मेरा प्रश्न आया है।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में एथलेटिक्स का परफॉर्मेंस काफी पिछड़ा हुआ है जबकि यहां की जनसंख्या काफी अधिक है। अपने देश का प्रदर्शन अन्य देशों के मुकाबले अच्छा रहे, इसके लिए कोई विशेष योजना बनाकर क्या कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

दूसरा, युवाओं में खेलों की प्रतिभा को....

माननीय अध्यक्ष: पहले एक ही प्रश्न पूछिए।

आपका प्रश्न नहीं आया है। मुझे मालूम है। इसलिए आपको इसमें एलाऊ किया है। आपका प्रश्न 230 है। मगर, प्रश्न संख्या 226 पर आपको सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना है।

श्री किरेन रिजीजू: मैडम, माननीय सदस्य ने यह सही व्यक्त किया है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है, हमारे देश का जो साइज है, उसके मुताबिक ओलम्पिक, एशियन गेम्स और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें हमें ज्यादा मेडल्स प्राप्त करने चाहिए। यह हम मानते हैं। उसके लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं, प्राइवेट एजेंसीज, कंपनीज और सबको मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन, हमने इसके लिए कुछ कदम उठाए हैं। खासकर, ब्राजील के रियो में अभी अगस्त में जो ओलम्पिक होना है, उसके लिए 'टारगेट ओलम्पिक पोडियम' के नाम से कार्यक्रम तैयार किया है, तािक खिलाड़ी हमारे देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल्स लेकर आएं। हमारा तिरंगा वहां फहराए, हम यह चाहते हैं। इसके लिए हमने काफी पैसे की भी व्यवस्था की है। जो टारगेटेड एथलीट्स हैं, जो मेडल्स जीत सकते हैं, ऐसे जो संभावित खिलाड़ी हैं, उनके लिए विशेष रूप से अलग से व्यवस्था की गयी है। वे जहां भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अगर उसके लिए हिन्दुस्तान में व्यवस्था नहीं है तो अमेरिका में या युरोप में कहीं भी ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए उन्हें जो पैसे चाहिए, उसकी भी व्यवस्था की गयी है।

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई।

क्या कुछ खेल खेलते हो?

श्री गौरव गोगोई: मैडम, थोड़ा-बहुत खेलता हूं। आप इसके लिए ऑर्गेनाइज कर दीजिए। आपने 'स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव' शुरू किया, अब एक 'स्पीकर्स स्पोर्ट्स इवेंट्स' भी शुरू कर दीजिए।

मैडम स्पीकर, हमें अच्छा लगा कि इन्होंने ओलम्पिक्स की बात की और ओलम्पिक्स की स्कीम के बारे में कहा। लेकिन, मुझे लगता है कि हम दुबारा बातों में ही, शब्दावली में ही अटक गए। आज रियो ओलम्पिक के लिए एथलेटिक्स प्रिपेरेशन दिल्ली में चल रहे हैं। दिल्ली में जो एथलीट्स हैं, जो ओलम्पिक का क्वालीफायर सेकण्ड है, टाइम है, वे उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के एथलेटिक्स स्टेडियम्स में भीषण गर्मी है और एथलीट्स के लिए ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है। वे दौड़ नहीं पा रहे हैं। वहां पॉल्यूशन है। क्या यह सरकार सीरियस है क्योंकि आज एक दूसरे इंसीडेंट में एक पोल वॉल्टर पोल वॉल्ट करते हुए उसने पोल वॉल्ट मिस कर दिया और वह गिर गया और दस मिनट के लिए वह बेचारा एथलीट, जो भारत को रिप्रेज़ेंट करना चाहता है, वह गिड़गिड़ा रहा है, उसे दर्द हो रहा है और वहां पर कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। क्या हम यह सम्मान कर रहे हैं? क्वैश्चन नंबर 230 में लिखा है, किसी ब्यूरोक्रेट ने ही लिखा होगा,

"Not so impressive performance of India in international sports events can be attributed to lack of bench strength, lack of sports culture, etc."

मैडम स्पीकर, इंडिया में न बेंच स्ट्रेंग्थ की कमी है, न स्पोर्ट्स कल्वर की कमी है। हमें अगर इंप्रूव करना है तो ब्यूरोक्रैट्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। संवेदनशीलता है यदि एथलीट्स के प्रति तो टार्गेट ओलम्पिक्स में अभी भी टाइम है। अभी तक हमारे असम से एक बॉक्सर शिव थापा और कुछ बैडिमेंटन प्लेयर्स हैं, लेकिन अभी भी टाइम है कि एथलेटिक्स के लिए, उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर और उनकी मेडिकल फैसिलिटीज को हम कैसे बढ़ावा दें ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ओलम्पिक्स के लिए क्वालीफाई करें?

श्री किरेन रिजीजू: माननीय सदस्य जी ने जो विचार व्यक्त किया है, उसको मैं नकारता नहीं हूं। आगे हम लोगों के काम करने के लिए आपने ब्यूरोक्रैट्स की बात की है तो मैं समझता हूं कि सिर्फ ब्यूरोक्रैट्स ही क्यों? हम लोग जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम भी अभियान चलाएं। अपनी-अपनी कांस्टीच्युएंसी से हम भी प्लेयर्स पैदा करें। हम लोगों को भी प्रोत्साहन करना चाहिए। यह सबके करने वाली बात है। सिर्फ ब्यूरोक्रैट आफिसर्स के ऊपर इसे छोड़ना ठीक नहीं होगा।

आपने फैसिलिटी का जिक्र किया। कुछ आउटडोर गेम्स ऐसे होते हैं, जिसमें आप एयर कंडीशन नहीं लगा सकते हैं। हमारे देश में तो राशि की कमी भी बहुत ज्यादा है। फिर भी इस बार का जो ओलम्पिक कंट्रीजेन है, वह सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट एवर कंट्रीजेन होगा किसी ओलम्पिक में पार्टिसिपेट करने में। अभी तक हमारे 90 लोग क्वालीफाई हो चुके हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। 58 इंडीविज्अली हैं और 32

हॉकी के, मिहला और पुरू दोनों टीमों के 32 लोग हैं, वे क्वालीफाई हो चुके हैं और हमारी फैसिलिटी की किमयों को दूर करने के लिए स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया, जो स्टेडियम्स को संभालता है, आपने जो कंसर्न रेज़ किया है, मैं जरूर उसको वहां के अधिकारियों को बताऊंगा कि स्पोर्ट्समैन के कंसर्न को बिल्कुल ठीक करना चाहिए। खासकर जो ओलम्पिक जाने वाले हैं, उसकी बिल्कुल सही तरीके से जो भी व्यवस्था जरूरी है, वह करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : प्रसून बनर्जी, आप फुटबाल खेलते हैं।

श्री प्रसून बनर्जी: महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। हम इतने दिन से सुन रहे हैं, मिनिस्टर साहब को थैंक्स। सब माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछे। हमने पहले ओलम्पिक में रिप्रेजेंट किया वर्ष 1980 में मास्कों में, उसके बाद I got the Arjuna Award from the Government of India for the first time. हम मिनिस्टर साहब से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एवरीव्हेयर टैलेंट है, but we are not searching. हम लोग प्रॉपरली उनको आगे नहीं लाते हैं, गांव वाले लोगों को देखते नहीं हैं। गांव में इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उन लोगों को हम देखते नहीं हैं, खिलाते नहीं हैं। मैडम, केवल रोटी खाकर कभी वर्ल्ड चैम्पियन नहीं हो सकते। खाना खिलाना है, कुछ और चीजें हैं, हमारा जो स्पोर्ट्स बजट है, वह बहुत कम है। स्पोर्ट्स का बजट ज्यादा करना चाहिए।

मिनिस्टर साहब उधर हैं, हमारा प्रश्न है कि हम लोगों के बच्चे लोग, जो लोग स्पोर्ट्स मैन हैं, उन लोगों को कितनी फैसिलिटीज मिलती हैं, यह बताना चाहिए। ओनली हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में सब कम पैसा स्पोर्ट्स मैन लोगों को मिलता है। खाना नहीं मिलता है, जो रिक्शा चलाते हैं, उसके बच्चे भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको कोई देखता नहीं है। मिनिस्टर साहब, हम पूछना चाहते हैं कि will you do something for them? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज विजया जी।

...(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू: अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले माननीय सदस्य को सदन की तरफ से पूरा सम्मान देना चाहता हूं कि वी 1980 में आपने मास्को ओलम्पिक्स में हिस्सा लिया। मैं उस समय छोटा था। हमारा आखिरी हॉकी गोल्ड मैडल हमने 1980 में ही मास्को में जीता था, उसके बाद हम दोबारा कभी नहीं जीत पाए। आप जैसे लोगों ने देश के लिए बहुत नाम किया है। इस बार नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के लिए 116 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके रखी हुई है। जो टार्गेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम है, उसके लिए इसी साल जो ओलम्पिक होने वाला है, 49 करोड़ रुपए अभी हम खर्च कर रहे हैं।

इसके अलावा आप जैसे जो खिलाड़ी हैं, महानुभाव हैं और इस सदन के जो सदस्यगण हैं, आप सुझाव दीजिए। स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर, स्पोर्ट्स कल्चर को लेकर पूरे देश में एक ऐसा माहौल बने तािक हम एक स्पोर्टिंग पॉवर बनें। आपने खुद ही कहा है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कमी है तो व्यवस्था की कमी है। हम भी व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम सभी लोगों को मिल कर आगे बढ़ना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: दुष्यंत चौटाला जी, कृपया छोटा प्रश्न पूछें। प्रश्न काल का समय समाप्त हो रहा है। SHRI DUSHYANT SINGH: Madam Speaker, I would like to ask from the hon. Minister one question. He mentioned a lot about sports and also about how we can improve our infrastructure. I would like to ask about the Rajiv Gandhi Khel Abhiyan the implementation of which was started in April 2014. This Scheme was to provide for construction of integrated sports complexes, both outdoors and indoors, in each block of the country which would help sportsmen. This Scheme provides funding for infrastructure. I am seeing a different convergence. जो कन्चर्जन्स करल मिनिस्ट्री द्वारा, नॉर्थ-ईस्ट मिनिस्ट्री द्वारा और नीति आयोग द्वारा होना चाहिए था, अब तक वह नहीं हुआ है। क्या सरकार नई योजना बना रही है कि जो कन्वर्जन्स हों, जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का डेवेलपमेंट हो?

श्री किरेन रिजीजू: मैडम, इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में पहले तीन स्कीम्स चलते थे, उनमें अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम था, 'राजीव गांधी खेल अभियान' के नाम से भी स्कीम चल रहा था, उसके साथ-साथ टैलेन्ट सर्च की एक स्कीम थी, सभी को सम्मिलित कर के 'खेलो इंडिया' के नाम से योजना शुरू की गई है। इसके माध्यम से नये सिरे से एक पॉलिसी सामने आई है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने कभी भी खेलों पर उतना ध्यान नहीं दिया है, जितना इस सरकार ने खेलों के ऊपर ध्यान दिया है, उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा।

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Prof. Saugata Roy, Shri Dushyant Chautala, Shri Rajesh Ranjan and Shri Shailesh Kumar *alias* Bulo Mandal on different issues.

The matters though important do not warrant interruption of business of the day. The matters can be raised through other opportunities.

I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Your notice is there with me. I will consider it, but not now. I will have to see all these things.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I have received notice of Question of Privilege by Shri M. Veerappa Moilyji. The matter is under my consideration. That is what I said. I am sorry.

... (Interruptions)

12.02 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, papers to be laid on the Table.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान): अध्यक्ष महोदया, श्री राधा मोहन सिंह जी की ओर से, मैं रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धरा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय शैक्षणिक विनियम, 2015 जो 19 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 136 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 4787/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam, on behalf of my colleague Shri Sarbananda Sonowal, I beg to lay on the Table:

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Dope Testing Laboratory, New Delhi, for the year 2012-2013, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Dope Testing Laboratory, New Delhi, for the year 2012-2013.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4788/16/16]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Dope Testing Laboratory, New Delhi, for the year 2013-2014, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Dope Testing Laboratory, New Delhi, for the year 2013-2014.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 4789/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Madam, I beg to lay on the Table:

(1) A copy of the Regulation of Polychlorinated Biphenyls Order, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 1327(E) in Gazette of India dated 6th April, 2016 under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 4790/16/16]

- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986:-
- (i) S.O. 3553(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O.489(E) dated 30th April, 2003.
- (ii) S.O. 3552(E) published in Gazette of India dated 23rd March, 2016, making certain amendments in the Notification No. S.O.1741(E) dated 25th June, 2015.
- (iii) S.O. 1212(E) published in Gazette of India dated 23rd March, 2016, making certain amendments in the Notification No. S.O.19(E) dated 6th January, 2011.
- (iv) S.O. 1213(E) published in Gazette of India dated 23rd March, 2016, making certain amendments in the Notification No. S.O.20(E) dated 6th January, 2011.

[Placed in Library, See No. LT 4791/16/16]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986:-

- (i) The Hazardous and other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.395(E) in Gazette of India dated 4th April, 2016.
- (ii) The E-Waste (Management) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.338(E) in Gazette of India dated 23rd March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4792/16/16]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हिरभाई चौधरी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमित से राष्ट्रीय अन्वाण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:-

- (एक) का.आ. 149(अ) जो 16 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय अर्थात् कोर्ट आफ चीफ जज, सिटी सेसन्स कोर्ट, कलकत्ता में एक न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (दो) का.आ. 398 (अ) जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अपराधों की सूची के विचारण के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के प्रयोजनार्थ श्री विजय वेंकटराव पाटील, सिटी एंड एडीशनल सेसन्स जज ग्रेटर बॉम्बे द्वारा पीठासीन कोर्ट आफ द सिटी सिविल एंड एडीशनल सेसन्स जज ग्रेटर बाम्बे को पूरे महाराष्ट्र राज्य पर अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) का.आ. 399(अ) जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के प्रयोजनार्थ जम्मू में विशेष न्यायालय अर्थात् टेरिस्ट एंड डिसरिप्टिव एक्टिविटीज(प्रीवेंशन) एक्ट/प्रीवेंशन आफ टेरिज्म एक्ट टीएडीए/पीओटीए के अंतर्गत डेजिंग्नेटेड कोर्ट्स में एक न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (चार) का.आ. 400(अ) जो 8 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय अर्थात् कोर्ट आफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेसन्स जज, मणिपुर ईस्ट इम्फाल में एक न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (पांच) का.आ. 1097(अ) जो 15 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विशेष न्यायालय अर्थात् कोर्ट आफ द चीफ जज, सिटी सेसन्स कोर्ट, कोलकाता में नियुक्त न्यायाधीश के नाम का परिशोधन किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 4793/16/16]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हं :-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1222(अ) जो 29 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उर्वरक(नियंत्रण) आदेश, 1985 को 'विशेष आदेश' के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [Placed in Library, See No. LT 4794/16/16]

- (2) (एक) इंडियन सोसाइटी आफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (वो) इंडियन सोसाइटी आफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4795/16/16]

- (4) (एक) इंडियन सोसाइटी आफ एग्रीकल्चरल इकोनामिक्स, मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इंडियन सोसाइटी आफ एग्रीकल्चरल इकोनामिक्स, मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4796/16/16]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): अध्यक्ष महोदया, मैं अपकी अनुमित से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मेस्युटिकल एजूकेशन एंड रिसर्च, गुवाहाटी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4797/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI G.M. SIDDESHWARA): Madam, I beg to lay on the Table:

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
 - (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Richardson and Cruddas (1972) Limited, Mumbai, for the year 2014-2015.
 - (ii) Annual Report of the Richardson and Cruddas (1972) Limited, Mumbai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
 - (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4798/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam, I beg to lay on the Table:

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Foundation for Communal Harmony, New Delhi, for the year 2014-2015, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Foundation for Communal Harmony, New Delhi, for the year 2014-2015.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4799/16/16]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under sub-clause (2) of Clause 2 of the Foreigners Order, 1948:-
 - (i) S.O.1816(E) published in Gazette of India dated 6th July, 2015, appointing Commissioner of Police, Siliguri, as the "Civil Authority" for the purpose of Foreigners Order, 1948 for the Immigration check post located at Phulbari in the jurisdiction of Government of West Bengal with effect from 06.06.2015.
 - (ii) S.O.1505(E) published in Gazette of India dated 8th June, 2015, appointing Superintendent of Police, Lakshadweep U.T., as the "Civil Authority" for the purpose of Foreigners Order, 1948 for the Immigration check post located at Agatti & Minicoy Islands in the jurisdiction of Lakshadweep U.T. with effect from 30.06.2015.
 - (iii) S.O.2016(E) published in Gazette of India dated 23rd July, 2015, appointing Foreigners Registration Officer, Bhubaneswar District, as the "Civil Authority" for the purpose of Foreigners Order, 1948 for the Immigration check post located at Biju Patnaik Airport Bhubaneswar in the jurisdiction of Foreigners Registration Officer of Bhubaneswar District with effect from 10.07.2015.
 - (iv) S.O.1818(E) published in Gazette of India dated 6th July, 2015, appointing Foreigners Registration Officer, Madurai District, as the "Civil Authority" for the purpose of Foreigners Order, 1948 for the Immigration check post located at Madurai Airport in the jurisdiction of Superintendent of Madurai District with effect from 01.09.2012.

[Placed in Library, See No. LT 4800/16/16]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under sub-rule (b) of Rule 3 of the Passport (Entry into India) Rules, 1950:-

- (i) S.O.1815(E) published in Gazette of India dated 6th July, 2015, designating Phulbari in West Bengal as an authorized Immigration check post for entry into/exit from India with valid travel documents for all classes of passengers.
- (ii) S.O.1504(E) published in Gazette of India dated 8th June, 2015, designating Agatti & Minicoy Islands in Lakshadweep U.T. as an authorised Immigration check post for entry into/exit from India with valid travel documents for all classes of passengers.
- (iii) S.O.2017(E) published in Gazette of India dated 23rd July, 2015, designating Biju Patnaik Airport, Bhubaneswar of Odisha state as an authorised Immigration check post for entry into/exit from India with valid travel documents for all classes of passengers.
- (iv) S.O.1817(E) published in Gazette of India dated 6th July, 2015, designating Madurai Airport of Tamilnadu State as an authorised Immigration check post for entry into/exit from India with valid travel documents for all classes of passengers.

[Placed in Library, See No. LT 4801/16/16]

- (5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 167 of the Assam Rifles Act, 2006:-
 - (i) The Assam Rifles Subedar Major (Buildings and Roads) (Engineers) Group 'B' (Combatised) Recruitment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 225 in weekly Gazette of India dated 5th December, 2015.
 - (ii) The Assam Rifles Naib Subedar (Electrician Motor Vehicle) Group 'B' Combatised Post Recruitment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 223 in weekly Gazette of India dated 28th November, 2015.

(iii) The Assam Rifles, Naib Subedar (Teacher), Group 'B' Combatised Posts Recruitment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 26 in weekly Gazette of India dated 27th February, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4802/16/16]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमित से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद् मल्टीपल डिसएबिलिटीज, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद् मल्टीपल डिसएबिलिटीज, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4803/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (DR. SANJEEV BALYAN): I beg to lay on the Table a copy of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Amendment) Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 427(E) in Gazette of India dated 19th April, 2016 under Section 97 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001.

[Placed in Library, See No. LT 4804/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Statement (Hindi and English versions) on Quarterly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the budget at the end of the third quarter of financial year 2015-2016, under sub-section (1) of Section 7 of Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 4805/16/16]

- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999:-
 - (i) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg/17/107/2015 in Gazette of India dated 23rd October, 2015.
 - (ii) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) (First Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg/1/113/2016 in Gazette of India dated 4th February, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4806/16/16]

(3) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Housing Bank, New Delhi, for the year 2014-2015, along with Audited Accounts under sub-section (5) of Section 40 of the National Housing Bank Act, 1987.

10.05.2016 43

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 4807/16/16]

12.04 hours

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES 31st to 35th Reports

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

- (1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 31वां प्रतिवेदन।
- (2) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 32वां प्रतिवेदन।
- (3) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 33वां प्रतिवेदन।
- (4) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 34वां प्रतिवेदन (माने गए)
- (5) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 35वां प्रतिवेदन (न माने गए)

12.04 ½ hours

STANDING COMMITTEE ON ENERGY 18th and 19th Reports

- डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदया, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-
- (1) वर्ष 2015-2016 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में छठे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।
- (2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'ऊर्जा संरक्षण' विषय पर सातवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।

10.05.2016 45

12.05 hours

STANDING COMMITTEE ON SCIENCE & TECHNOLOGY, ENVIRONMENT & FORESTS 285th Report

SHRI CHIRAG PASWAN (JAMUI): I beg to lay on the Table the Two Hundred Eighty-fifth Report (Hindi and English versions) on 'Effects of Tobacco Curing on Environment and Health' of Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests.

12.05 ½ hours

PRESENTATION OF PETITION

श्री निशिकान्त दुवे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदया, मैं देवघर, झारखंड में आल इंडिया इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइंसेज़ (एम्स) खोले जाने के बारे में सर्वश्री लखन तूरी तथा महेन्द्र प्रसाद कुशवाहा द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

12.06 hours

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers*

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): अध्यक्ष महोदया, मैं भाज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4808/16/16

12.07 hours

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO.5615 DATED 28TH APRIL 2015 REGARDING BEGGING AMONG CHILDREN ALONGWITH REASONS FOR DELAY *

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): अध्यक्ष महोदया, मैं 'बच्चों द्वारा भीख मांगना' के बारे में श्रीमती रंजीत रंजन, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5615 के संबंध में 28 अप्रैल, 2015 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

प्रश्नोत्तर	के स्थान पर	पढ़ें					
का भाग							
(क) और	भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के	भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के					
(ख)	कार्यालय ने सूचित किया है कि जनगणना, 2011	कार्यालय ने सूचित किया है कि जनगणना, 2011 के					
	के अनुसार, 0-14 वर्ष के आयु-समूह में	अनुसार, 0-14 वर्ष के आयु-समूह में भिखारियों,					
	भिखारियों, आवारागर्द आदि की संख्या निम्नानुसार	आवारागर्द आदि की संख्या निम्नानुसार हैः					
	है:	0-14 वर्ष के आयु- 41285					
	0-14 वर्ष के आयु- 372217	समूह में भिखारी,					
	समूह में भिखारी,	आवारागर्द आदि (गैर-					
	आवारागर्द आदि (गैर-	कामगार)					
	कामगार)	5-14 वर्ष के आयु- 4011					
	5-14 वर्ष के आयु- ४१४५३	समूह में भिखारी,					
	समूह में भिखारी,	 आवारागर्द					
	 आवारागर्द	राज्यवार क्रमशः ब्यौरा अनुबंध-। और अनुबंध-॥ पर					
	राज्यवार क्रमशः ब्यौरा अनुबंध-। और अनुबंध-।।	दिया गया है।					
	पर दिया गया है।						

असुविधा	के	लिए	खेद	व्यक्त	किया	जाता	है।		

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4809/16/16

10.05.2016 47

12.08 hours

MOTION RE: THIRTY-FIRST REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I beg to move:

"That this House do agree with the Thirty-first Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 9th May, 2016."

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Thirty-first Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 9th May, 2016."

The motion was adopted.

श्री राहुल करवां (चुरू): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। नेशनल हाईवे जो हमारे देश में बन रहे हैं, उन्हें बनाने के लिए जो डीपीआर तैयार की जाती है, हम जो कन्सलटैंट्स एप्वाइंट करते हैं, उनके द्वारा जो हाईवे की डीपीआर रह जाती है, उसके फॉल्टी होने के ईशूज पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हाईवे बनते हैं, डीपीआर रह जाती है। हमने हमेशा देखा है कि वे डीपीआर फॉल्टी होती हैं। उदाहरण के तौर पर गुड़गांव से दिल्ली तक का जो हाईवे बना, आज की तारीख में दस साल हो गए, हमेशा एंट्री और ऐग्जिट पर जाम लगते हैं। कितने लोगों की जान गई। उसके पश्चात् उनके ऊपर एफओबी बनाया गया। आज की तारीख में मेरे संसदीय क्षेत्र में सीकर से बीकानेर तक का हाईवे बन चुका है। एक भी शहर के अंदर सर्विस लेन नहीं दी गई और बिना सर्विस लेन के शहर को आपने दो हिस्सों में बांट दिया। आज की तारीख में उन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। आज भी जो नए हाईवे बन रहे हैं शहर और गांव को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है उनकी क्रासिंग की फैसिलिटी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि फॉल्टी डीपीआर के लिए कन्सलटेंट को एकाउन्टेबल करना चाहिए और उनको भी एक पार्टी बनाना चाहिए। वे डीपीआर प्रस्तुत करके निकल जाते हैं, कंट्रैक्टर रोड बनाकर चला जाता है ओर पब्लिक रोज दुख उठाती है, रोज समस्याएं आती हैं, रोज एक्सिडेंट में लोग मरते हैं। मेरा आपके माध्यय से सरकार से मांग है कि डीपीआर बनाने वाले कन्सलटेंट के ऊपर कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. मनोज राजोरिया, श्री सी.आर. चौधरी, श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया श्री अर्जुनलाल मीणा, श्री राघव लखनपाल, श्री विद्युत वरन महतो , श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री हरिओम सिंह राठौड़, श्री हरीश मीणा, श्री सुधीर गुप्ता और श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्री राहुल कारवां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

12.10 hours

(At this stage, Shri Ravneet Singh, Shrimati Ranjeet Ranjan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

खाँ. अंशुल वर्मा (हरदोई): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं। ...(व्यवधान) मेरे संसदीय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश सिहत देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी महत्वाकांक्षी योजना 'मिड डे मील' बच्चों के भोजन बनाने के लिए माताओं-बहनों को रसोईए के रूप में 1000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर 11 महीने पर रखा गया है। ...(व्यवधान)

महोदया, 11 महीने का कार्य लेने के बाद 10 महीने का भुगतान प्रधानाध्यापक और प्रधान द्वारा किया जाता है। ...(व्यवधान) कहीं-कहीं तो राजनैतिक द्वेष भावना से प्रधानों द्वारा कई कई महीनों तक रसोई बहनों को मानदेय नहीं दिया जाता है। ...(व्यवधान) हरदोई जनपद आदर्श कल्याण रसोईया समिति के पदाधिकारियों द्वारा माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था और प्रदेश व देश स्तर पर रसोई बहनों द्वारा धरना देकर इससे अवगत कराया जा चुका है। रसोई बहनों के लिए मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि रसोइया बहनों को 11 महीने का मानदेय दिया जाए और पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाए। ...(व्यवधान) प्रतिवर्ष फार्म आवेदन के स्थान पर कार्य के आधार पर नवीनीकरण किया जाए। अभी इनको प्रतिदिन की दर से 33 रुपये ही मानदेय मिलता है जो दैनिक मजदूरी से काफी कम है ...(व्यवधान) ऐसी स्थिति में प्रत्येक रसोइया बहनों को बीपीएल सूची में जोड़ कर बीपीएल का लाभ दिया जाए। आपके माध्यम से मेरी मंत्री जी से यही मांग है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अश्विनी चौबे, श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, और श्री अजय मिश्रा टेनी श्री नाना पटोले को डॉ. अंशुल वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

SHRIMATI RAKSHATAI KHADSE (RAVER): Hon. Speaker Madam, the DJ musical system or band are gaining popularity day by day in the ceremonial functions and various processions carried out for different reasons like birth anniversaries and many other functions. ... (Interruptions) As per the recent report from various medical institutes, hospitals, private clinics of ENT, the patients for permanent hearing loss are increasing at an alarming number. There are more than 35 to 50 per cent patients complaining for the hearing loss in these medical institutions and hospitals per day out of the total number of patients only because of the large sound pollution on high decibel wavelengths output which the human beings cannot bear. ... (Interruptions) Not only this, there are very high vibrations which the surrounded lives and concrete structures are observing with large disturbance for any kind of work till the DJ systems are not moving from their place to a long distance.

This high decibel wavelength output is from the DJ sound systems which are very commonly used on the roads and affect very badly on the passers-by and

the families living nearby though these are not directly the part of the ceremonial function. ... (*Interruptions*) There are no rules and regulations specially meant for this and the governing mechanism is not taking stringent action. The vague norms are written down while permitting to play which are also not observed by the DJ system operators.

Just as very recently the ban has been imposed on the fireworks display due to which an accident occurred at a temple, a similar ban should be imposed on the DJ system operators without any loose rope or relaxation of any kind to play the system. ... (*Interruptions*) Through the hon. House, I request the Minister to take serious and immediate steps to ban the DJ musical system which is going on the common roads for any reasons. Strict action with high penalty should be imposed for violating the norms of playing DJ musical systems, thereby saving the hearing health of the human beings across the country.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता और श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्रीमती रक्षाताई खाडसे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग एक बात को समझिए, जो नोटिस ऑफ प्रिविलेज का प्रश्न है, यह प्रश्न रूल 222 के अंतर्गत है अगर मैं इसके लिए परिमशन दूं तो ही आप बोल सकते हैं। It is under my consideration. That is why I am not allowing it today.

... (Interruptions)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Speaker Madam, there cannot be a discussion in the House about admissibility. It has to be with the Chair inside.

HON. SPEAKER: I know it. That is what I said. I have not given any consent.

...(व्यवधान)

श्री राजेश पाण्डेय (कुशीनगर): माननीय अध्यक्ष महोदाया, आपने मुझे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

महोदया, आज मैं जिस शुगर फैक्ट्री के पुनर्संचालन के विषय में अपना पक्ष रखना चाहता हूं, इसमें यह बताना महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री भी उस फैक्ट्री के बन्द होने पर अपनी गंभीर चिन्ता व्यक्त कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ मैं इस मंत्रालय को अनेकों पत्र लिख चुका हूं। इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी एवं उनके संबंधित अधिकारियों के साथ कई बैठकें भी कर चुका हूं।

महोदया, मैं जब भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं, तो एक ही यक्ष प्रश्न बार-बार सामने आता है कि पडरौना शुगर मिल कब चलेगी-पडरौना शुगर मिल कब चलेगी। यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि कुशीनगर जनपद में इस मिल से 5 लाख गन्ना किसान सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं और वे सब से सब इस बात को जानते हैं कि इसका स्वामित्व भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के पास है। वह फैक्ट्री पूरी तरह से चलाए जाने के योग्य है और कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसे न चलाए जाने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय की है।

मान्यवर अध्यक्ष महोदया, मैं आदरणीय संतोष कुमार गंगवार जी, जो भारत सरकार में वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, उन्हें इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि मेरे अनुरोध पर उन्होंने नैशनल शुगर इंस्टीट्यूट, कानपुर के एक्सपर्ट्स को इस फैक्ट्री का आकलन करने के लिए भेजा कि यह फैक्ट्री चलने लायक है कि नहीं।...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदया, अब रिपोर्ट आ गई है और वह फैक्ट्री साधारण खर्च में पूरी तरह से चलने योग्य है। यह वहां के मजदूरों और गन्ना किसानों के लिए आर्थिक रीढ़ का काम करती है। अब हमारे मंत्रालय के पास सिर्फ दो विकल्प बचे हैं, या तो अपनी जमीन और फैक्ट्री का मूल्य मिलाकर 350 करोड़ रुपए की सम्पत्ति को कालान्तर में क्षय होने के लिए छोड़ देना या फिर उस फैक्ट्री को साधारण खर्च में संचालित कर के वहां के गन्ना किसानों, वहां के मजदूरों और व्यवसाइयों के भविष्य को हमेशा-हमेशा के लिए सुरक्षित कर देना।

मान्यवर अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से, आज माननीय मंत्री जी और मंत्रालय से यह मांग करता हूं कि कुशीनगर जनपद के संपूर्ण आर्थिक विकास के लिए इस फैक्ट्री को चलाए जाने की घोषणा तत्काल किया जाना बहुत आवश्यक है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेश पांडे, माननीय सांसद द्वारा उठाए गए विषय से सर्वश्री चन्द्र प्रकाश जोशी, सुधीर गुप्ता, आलोक संजर, भैरोंप्रसाद मिश्र एवं कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल अपने आपको सम्बद्ध करते हैं। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष : आप कृपया शान्त रहिए और अपने-अपने स्थानों पर बैठिए। ...(व्यवधान)...सदन के बाहर दिए गए हर भाषण का जिक्र यहां नहीं होता है। इसलिए please you go to your seats. No. I am sorry.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Only what Shri Rameswar Teli says will go on record.

... (Interruptions)... *

श्री रामेश्वर तेली (डिब्रूगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी मातृभाषा असमी में बोलना चाहता हूं। अतः मुझे कृपया असमी भाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करें।

**Over the past several decades Assam has been suffering from the perennial problems of floods and resultant erosion. Lakhs of families have either been displaced or rendered homeless due to the devastation and destruction by floods. Every year Assam losses about 8000 hectares of land to rivers like the Brahmaputra and the Barak and their tributaries. Embankments also get breached inundating several places causing untold miseries and suffering to the people. Floods have pushed millions of people to an uncertain future having shattered Assam's fragile economy as a whole. The recurrence of floods and erosion

Т

^{*} Not recorded.

^{**}English translation of the Speech originally delivered in Assamese.

continued to be a major obstacle towards development of Assam for decades. In fact the successive waves of devastating floods in almost every year have virtually destroyed the agriculture based economy of the state. I, therefore, appeal to the Government to find out a permanent solution to this serous issue so as to relieve the state of this problem and declare Assam's flood problem as national problem.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री रामेश्वर तेली द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए विाय से कंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने कांग्रेस के साथियों से यह कहना चाहूंगा कि छात्रों का यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए कृपया वे शांति बनाए रखें और इस विषय को सदन में उठाने में मुझे सहयोग दें, लेकिन मुझे उनके शोर मचाने से ऐसा लगता है कि उनका देश के नौजवानों से कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए वे आपके बार-बार आग्रह करने पर भी अपने स्थानों पर जाने एवं शांति बनाए रखने के लिए तैयार नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक तक उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के CSAT पेपर से प्रभावित छात्रों हेतु तीन अतिरिक्त एवं स्थायी अवसरों की मांग करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया, विषय यह है कि जिन छात्रों ने अपना मूल्यवान समय एवं प्रयास इन पांच वार्ों में खो दिया, उनके अवसर और हित की अनदेखी न्यायोचित नहीं होगी। वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक तक के छात्रों को प्रयोगधर्मिता का नुकसान उठाना पड़ा। UPSC की 63वीं व 64वीं और नवीनतम 65वीं रिपोर्ट में भी इस असमानता को साफतौर पर देखा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदया, ग्रामीण भारत के अधिकतर छात्र मानविकी विषय की पृठभूमि से होते हैं। इन पांच वर्षों में अंतिम चयन की सूची पर निगाह डाली जाये तो यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ये छात्र प्रारंभिक परीक्षा में ही बाहर होते रहे हैं तथा तकनीकी विायों के छात्रों के चयन का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जो लगभग 80 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस असमान व्यवस्था के कारण सीसैट से छात्र समूह के हित प्रभावित हुए हैं और उनकी अवसर की समानता का हनन हुआ है। मैं चाहता हूं कि उनकी उम्मीदों को पूरा करने एवं इस परीक्षा में सामर्थ्य दिखाने का अवसर प्रदान करने की कृपा की जाये।

माननीय अध्यक्ष: श्री राघव लखनपाल, श्री राहुल कस्वां, श्री आलोक संजर, श्री सी.पी. जोशी, श्री सुधीर गुप्ता, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, डॉ. मनोज राजोरिया और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Thank you Madam. I wish to draw the attention of this august assembly to the important issue of Red Zones in the district of Pune and in my constituency. I have been following this issue with the Ministry of Defence since my first election to the Lok Sabha in the year 2004.... (*Interruptions*)

Dighi Magazine Depot is established by Ammunition Factory, Khadaki, district Pune. The notification by the Ministry of Defence in this regard states that the area within the radius of 1145 metre of the Dighi Magazine Depot is a restricted area and that is a Red Zone. It has imposed a ban on the usage of land falling within the radius of 1100 metres. Such a move by the Ministry of Defence has led to the issues that have a bearing on the aggrieved occupants on said land.... (*Interruptions*) There are more than 50,000 houses from Dighi, Bhosari, Moshi and Charholi villages of Pune district that are affected by this decision of the Ministry of Defence. It is pertinent to mention that in a meeting held in the year 2000 between PCMC Commissioner, District Collector and General Manager of the ammunition factory, a draft agreement was prepared. It stated that the Outer Safety Distance would be reduced to 600 metres. Subsequently, the draft agreement was sent to the Ministry of Defence for approval. But no action was taken on the revised draft agreement by the Ministry of Defence. More houses have been constructed on the said land. Therefore, it is necessary to reduce the OSD to 500 meters to minimize the loss of property.... (*Interruptions*)

Similarly, the Red Zone issues of Rupinagar, Talawade and DOD Dehu Road are of vital importance. The Central Government has sanctioned an important BSUP project at Sector No.22 Nigdi in PCMC area. The said project is consisting of almost 11,760 units. Out of that 3,500 units have been constructed and 2800 houses are occupied by the beneficiaries and they are living there. This

is such an important project but due to the restriction of Red Zone, 2000 yard boundary of the project is held up. Apart from this, MIDC has developed an IT Park at Talawade in the area of about 42 hectare.... (*Interruptions*) It is learnt that necessary permission was obtained from the State and the Central Government for the project. But, now the Ministry of Defence has declared that as unauthorized construction. In addition to that, it is very difficult to demolish 40,000 houses which were built 20 years ago in the periphery of the said Red Zone.... (*Interruptions*)

I am happy to inform you that the hon. MoD Shri Parrikar has shown willingness to resolve this long pending matter. Madam, Speaker, I, therefore, request you to instruct the Ministry of Defence to speed up the process. If it is done on an urgent basis, then all related process of earmarking of land, acquisition of land and payment of compensation can be taken up. The BSUP Project at Sector No.22, Nigdi in PCMC and the MIDC projects can be realized soon. Thank you.

HON. SPEAKER: Shri P.P. Chaudhary, Shri Shrirang appa Barne, Shri Rahul Ramesh Shewale and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Adhalrao Patil Shivajirao.

Shri Shrimati Aparupa Poddar – Not present.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: There is no point of order during 'Zero Hour'.

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह शुगर इंडस्ट्री द्वारा किसानों को भुगतान करने की एफआरपी और किसानों से जुड़ा हुआ विषय है। 26 अप्रैल, 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आर्डिनेंस पास किया है, एक गजट प्रसारित किया है, जिसमें स्टॉक लिमिट को घोषित किया गया है। इसमें पश्चिम बंगाल को 10 हजार टन तथा अन्य राज्यों के लिए 50 हजार टन तक की सीमा तय की गयी है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि अगले साल देश में शुगर की प्रोडक्शन कम हो सकती है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है क्योंकि पिछले साल का स्टॉक 90 लाख टन है। इस साल का प्रोडक्शन 260 लाख टन हआ

है, कुल मिलाकर 350 लाख टन था। इसमें से सिर्फ 15 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ है और 335 लाख टन डोमेस्टिक यूज होता है और अभी भी 90 लाख टन स्टॉक हो सकता है। अगले साल संभावना है कि 240 लाख टन प्रोडक्शन होगा इसलिए यह वजह ठीक नहीं लग रही है। स्टॉक लिमिट के निर्णय से बाजार में शुगर के रेट 400 रुपए क्विंटल तक गिरावट आ गई है। इस निर्णय से न शुगर इंडस्ट्री और न ही ग्राहक को फायदा नहीं हो रहा है, इससे केवल स्टोरियों को फायदा हो रहा है जो शुगर स्टॉक करते हैं, 30 रुपए प्रति किलो शुगर लेते हैं और बाजार में 40-45 रुपए किलो बेचते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दो साल में 1900 रुपए रेट शुगर का था, इस कारण एफआरपी देने में शुगर फैक्ट्रियों को दिक्कत आ रही थी। इन्होंने बैंकों से कर्ज लेकर एफआरपी अदा की है। दो साल में बैंक प्रति टन 200 रुपए कट करके पैसा दे रही है, इस वजह से इस साल भी शुगर फैक्ट्रियां एफआरपी देने में नाकामयाब है। इससे किसानों और फैक्ट्रियों के लिए मुश्किल हो रही है।

फ्यूचर ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा होती है। पिछले साल 16,000 करोड़ एज़म्पशन फ्यूचर ट्रेडिंग में दिखाया गया था जबिक प्रत्यक्ष रूप में 16 करोड़ की ट्रेडिंग हुई थी। बाजार में सटोरिए आर्टिफिशियल तेजी का निर्माण करते हैं जिसके कारण डायरेक्ट सेल प्रभावित होती है। जब तक यह रेट 3500 रुपए नहीं होगा तब तक शुगर फैक्ट्रियां एफआरपी नहीं दे पाएंगी। शुगर प्रोडक्शन में से सिर्फ 25 परसेंट शुगर खाने के लिए यूज होती है बाकी 75 परसेंट शुगर इंडस्ट्री को जाती है, चॉकलेट, बिस्कुट के लिए यूज होती है। हम लोग जो खाते हैं अगर उसका रेट 30 रुपए और इंडस्ट्री को जो शुगर जाती है, उसका रेट 60 रुपए कर दिया जाए तो भी शुगर फैक्ट्रियों को फायदा होगा। पिछले साल स्टील इंडस्ट्री रिसेशन में आई थी, तब सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, लोन 25 साल के लिए रिशैड्यूलिंग करके दिया था। इसी तरह शुगर फैक्ट्रियों का लोन 25 साल के लिए रिशैड्यूल करके दिया जाए और तीन साल का मोरेटोरियम पीरीयड दिया जाए।

सरकार एक्सपोर्ट बंद का विचार कर रही है, यह बंद नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि कम से कम 40 लाख टन एक्सपोर्ट होना चाहिए। रंगनाथन कमेटी ने सीएसीपी एफआरपी देने के लिए डिसाइड किया था, उसकी रिकमेंडेशन सरकार को मान लेनी चाहिए, 70-30 का रेश्यो तय किया था। 30 परसेंट इंडस्ट्री के लिए और 70 परसेंट किसानों के लिए तय किया था, अगर यह रेश्यो कर दिया जाएगा तो यह इंडस्ट्री पुनर्जीवित हो सकती है। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन सरकार से करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री ए.टी. नाना पाटिल, श्री शरद त्रिपाठी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री धनजंय महाडीक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री भरत सिंह (बिलया): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा संसदीय क्षेत्र बिलया जनपद में गंगा और घाघरा से घिरा इलाका है। यहां लोक नायक जय प्रकाश जी की जन्मभूमि सिताब देयरा है। घाघरा और गंगा के कटान से वहां की जनता पीड़ित है। घाघरा और गंगा के कटान से इबलामाबाद, नवरान, अटगांवां, गंगा के किनारे जगदीशपुर, बसौला, गड़िरया, नरनरा और गाजीपुर, घाघरा के किनारे दत्ताह और तिरापुर गांव पीड़ित हैं। पिछले साल आपकी कृपा से कटान रोधी काम कराया गया था लेकिन यह काम अधूरा है। इबलामाबाद, नवरान माननीय मंत्री राजीव प्रताप जी के संसदीय क्षेत्र से सटा हुआ है, यहां काम अधूरा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान दे और जो काम अधूरा है, नाबार्ड से वित्त पोषित कराकर पूरा कराएं ताकि यह काम बाढ़ आने से पहले पूरा हो जाए और इन गांवों की रक्षा हो सके।

माननीय अध्यक्ष: श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सी.पी. जोशी, श्री सुधीर गुप्ता और श्री आलोक संजर को श्री भरत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Madam Speaker, than you for giving me an opportunity to raise an important matter during the Zero Hour.

The State of Andhra Pradesh has decided to establish its Capital 'Amravati' in Guntur district. Amaravati region is known for its rich history culture, art and architecture including the famous Amaravati *Stupa*

In this context, I would like to bring to the notice of the Union Government through this august House that some Buddhist sculpture were shifted in the past from Amaravati to the British Museum, London (1857-1879) and the Government Museum, Egmore, Chennai (1879-1950). The State Government intends to bring back these precious heritage items and place them in the proposed State museum at Amaravati.

In this regard, the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. Chandra Babu Naidu has already requested the hon. Union Minister for External Affairs in the month of October, 2015, to use her good offices to impress upon the

Government of U.K. to return the above items from the British Museum to the Government of Andhra Pradesh to enable us to showcase our heritage in the new capital city, Amaravati.

I would, therefore, earnestly request the Union Government and the hon. Minister for External Affairs to consider the request of the Government of Andhra Pradesh for return of the artifacts from the British Museum at the earliest possible. HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri M. Murli Mohan.

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): अध्यक्ष महोदया, हमारे शहर रीवा से बनारस, इलाहाबाद, जबलपुर के लिए चारों तरफ चार लेन सड़के हैं। अभी रीवा से सिंगरौली के लिए चार लेन की कंक्रीट सड़क बनाई जा रही है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का लाभ रीवा के लोगों को मिल रहा है लेकिन हमारे नेशनल हाईवे क्रमांक-7 से रीवा रेलवे स्टेशन के लिए मार्ग बहुत ही संकरा है। रेल विभाग उस मार्ग को चौड़ा करने की अनुमित नहीं दे रहा है।

मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से अनुरोध है कि रेलवे स्टेशन से नेशनल हाईवे क्रमांक-7 के लिए जो मार्ग रेल विभाग की जमीन पर है, उसका चौड़ीकरण करने की अनुमित दी जाए जिससे कि वहां चार लेन की सड़क बन सके और लोगों को रीवा के चारों तरफ जो चार लेन की सुविधा उपलब्ध है, उसमें सामंजस्य बैठ सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रोड़मल नागर, श्री आलोक संजर और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री जनार्दन मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है। श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): अध्यक्ष महोदया, जल प्रदूषण आज एक प्रमुख वैश्विक समस्या बन गई है। इसके लिए सभी स्तरों पर प्रयास भी चल रहे हैं। जल प्रदूषण केवल नदियों से ही नहीं बिल्क तालाब, झीलों, समुद्रों और भूजल के पानी के संदूषित होने से भी बढ़ रहा है। देश में आज केवल गंगा की सफाई के बारे में ही चर्चा हो रही है परंतु देश में करीब-करीब सभी नदियां, नाले, तालाब गंदगी से सटे पड़े हैं। ताजमहल देखने गए पर्यटकों को अत्यंत गंदगी से भरी यमुना नदी का दीदार होता है तो हम मुम्बई वासियों को ओशिवरा, पोइझर, वालभाट, दिहसार, तानसा, तासो आदि अत्यंत गंदगी से बह रही प्रदूषित नदियों से रोज सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कई रोग पैदा हो रहे हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं और पशुओं के साथ लोग भी मर रहे हैं। मानव या जानवरों की जैविक या फिर औद्योगिक क्रियाओं से

जलप्रदूषण के कारण बीमारियां फैलती जा रही हैं। एक जानकारी के अनुसार पूरे विश्व में प्रतिदिन लगभग 14 हजार लोगों की मौत हो रही है, जिसमें 580 लोग भारत के हैं। यह डरावना सत्य है।

अध्यक्ष महोदया, मेरी सरकार से विनती है कि केवल गंगा सफाई ही जरूरी नहीं बल्कि पूरे देश में बह रही निदयों, नालों व झीलों की सफाई करने की जरूरत है। नदी-नालों व तालाबों में जमा मलबा हटाना जरूरी है। औद्योगिक इकाइयों पर सख्ती करना जरूरी है। यह कार्य युद्ध स्तर पर चलाने की आवश्यकता है। इससे सूखे की समस्या से भी निजात मिल सकती है और पेयजल की समस्या भी मिट जाएगी तथा पेड़-पौधों की संख्या बढ़ जाएगी और लोगों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। खेती की उत्पादकता बढ़ेगी और परिणामतः देश की प्रगति होगी।

माननीय अध्यक्ष : श्री रोड़मल नागर, श्री आलोक संजर, कुंवर पृष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री श्रीरंग बारणे, श्री पी.पी. चौधरी और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री हरीश मीना (दौसा): माननीय अध्यक्ष महोदया, किसी भी लोकतंत्र के सफलतापूर्वक चलाने के लिए तीन महत्वपूर्ण अंग- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। विधायिका की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, ...(व्यवधान) कार्यपालिका की जवाबदेही सरकार के प्रति होती है, लेकिन न्यायपालिका की जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है। ...(व्यवधान) यदि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा लोग पीड़ित हैं, तो वे न्यायपालिका की कार्यशैली से पीड़ित हैं। ...(व्यवधान)

पूरे देश में करोड़ों मुकदमें पेंडिंग हैं। जिस मुकदमें का निस्तारण एक वर्ष में होना चाहिए था, उसके निस्तारण में 20 र्वा लगते हैं। ...(व्यवधान) ये खुद का काम तो करते नहीं हैं और कार्यपालिका को कहते हैं कि आप यह कीजिए, विधायिका को कहते हैं, आप यह कीजिए, यह मत कीजिए। ...(व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि एक ऑल इंडिया ज्यूडीशियल सर्विस का गठन किया जाए। इनका सेलेक्शन और वर्किंग निपक्ष हो। ...(व्यवधान) हमें यह भी पता नहीं है कि कोई ज़ज कैसे बनता है। किसी ज़ज ने कब परीक्षा दी, कब किसने उसकी परीक्षा ली। ऐसा सुनने में आता है कि ज़ज का बेटा ज़ज बन गया, वकील का बेटा ज़ज बन गया, ऐसा है कि इन लोगों में से ही ज़ज बनते रहते हैं। ...(व्यवधान)

इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि अतिशीघ्र ऑल इंडिया ज्यूडीशियल सर्विस का गठन किया जाए ...(व्यवधान) ताकि इस देश के लोगों को समय पर न्याय मिल सके और हमें न्यायपालिका के एकाधिकार से मुक्ति मिल सके। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सर्व श्री राहुल शेवाले, श्रीरंग आप्पा बारणे, सुनील कुमार सिंह, डॉ. सत्यपाल सिंह, अजय मिश्रा टेनी, राहुल कासवां, डॉ. मनोज राजोरिया, राघव लखनपाल, भैरों प्रसाद मिश्र, रोडमल नागर, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, पी.पी. चौधरी, गजेन्द्र सिंह शेखावत और श्रीमती मीनाक्षी लेखी को श्री हरीश मीना द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपने संसदीय क्षेत्र गढ़वा जिला, जहाँ से एनएच 75 गुजरती है, के बाइपास की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

इस बाइपास के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2010 में ही मिल गयी थी। ...(व्यवधान) परंतु आश्चर्य की बात है कि आज तक उसका डीपीआर नहीं बना, जबकि एनएच 75 पूर्ण होने की स्थिति में है। ...(व्यवधान)

गढ़वा शहर की यातायात व्यवस्था दुरूह हो गयी है। ...(व्यवधान) वहाँ एक छोटी-सी दूरी तय करने में भी लोगों को घंटों समय व्यतीत करना पड़ता है। इससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। ...(व्यवधान)

अतः आम जनता की परेशानी दूर हो, इसके लिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि गढवा जिला के बाइपास का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण कराया जाए। ...(व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): मैडम यह बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यु है। ...(व्यवधान) हम आज खासतौर से ब्रिच ऑफ प्रिवेलेज मोशन की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं-नहीं, उसकी कोई बात नहीं है। Nothing will go on record.

... (Interruptions)... *

माननीय अध्यक्ष : आपने दूसरे विषय के बारे में दिया है। This will not go on record.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने जिस इश्यू पर लिखकर दिया है, उसी पर बोलना है। I am sorry.

...(व्यवधान)

डॉ. भागीरथ प्रसाद (भिंड): माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत के हर नागरिक के लिए भारतीय संविधान सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ... (व्यवधान)

-

^{*} Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : ऐसा मत समझिए कि स्पीकर को कुछ सुनायी नहीं देता है। It is not like that. मैं सब सुन रही हूँ। I am sorry.

...(व्यवधान)

डॉ. भागीरथ प्रसाद: पूरे देश की व्यवस्था, संसद एवं अन्य विधायिकाएँ, कार्यपालिका और न्यायपालिका का संचालन संविधान के अधीन है। नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्त्तव्य, राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत आदि का प्रावधान इस संविधान में है। ...(व्यवधान) भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, भाईचारा, तरक्की के समान अवसर, अन्याय एवं शोषण से मुक्ति के मार्ग इसी संविधान से मिलते हैं। ...(व्यवधान) भारत के संविधान निर्माता के जन्म जयन्ती के 125वें वर्ष पर हमने अभी दिनांक 26 नवम्बर, 2015 को संविधान दिवस मनाया है। ...(व्यवधान) पर खेद है कि संविधान की मूल प्रति को हम आम आदमी के हाथ में नहीं पहुंचा पाए हैं।...(व्यवधान) इसके प्रकाशन पर विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध है। ...(व्यवधान) यहाँ हम ब्रिटिश काल के ऑफीशियल सीक्रेट एक्ट की छाया महसूस करते हैं। ...(व्यवधान) विभाग की अनुमित के बिना कोई प्रकाशक संविधान को मूल रूप में प्रकाशित नहीं कर सकता। ...(व्यवधान) इसके लिए प्रकाशक को अनुमित लेना आवश्यक है। ...(व्यवधान) दूसरी ओर, भारत सरकार की ओर से से भी बहुत कम संख्या में इसका प्रकाशन किया जाता है तथा इसका मूल्य भी बहुत ऊँचा रखा जाता है। फलस्वरूप, आम आदमी के लिए भारतीय संविधान की प्रति पाना दुर्लभ है।

भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि भारतीय संविधान का प्रकाशन व्यापक पैमाने पर किया जाना चाहिए। प्रकाशन को प्रोत्साहन देने के लिए कम कीमत पर बेहतर प्रकाशन के लिए, प्रकाशकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सूचना के अधिकार के इस युग में हर व्यक्ति को अपने लोकतांत्रिक अधिकार के अनुसार, संविधान के उद्देश्य को मूर्त रूप देने का अधिकार है और कर्त्तव्य भी है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष : श्री आलोक संजर, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री पी.पी.चौधरी एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और कुंवर पृष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. भागीरथ प्रसाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से, पूरे देश में, खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर अग्निकांड की घटनाओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदया, पिछले एक-डेढ़ महीने से अचानक तापमान बढ़ने के कारण अग्निकांड की हजारों छोटी-बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में हुई हैं। ...(व्यवधान) किसानों की हजारों हेक्टेअर खड़ी फसल जली है, हजारों आवास या भवन एवं गरीबों की झोपड़ियां जली हैं। ...(व्यवधान) खड़ी फसल जलने

के बाद राज्य सरकारों के स्तर पर, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर उन किसानों को जो सहायता मिलनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई है। ... (व्यवधान) मण्डी समितियों ने किसानों को सहायता करने से यह कहकर इन्कार कर दिया है कि अगर फसल खिलहान के अंदर जलेगी तो सहयोग करेंगे, खेत में खड़ी फसल में आग लगती है तो इसकी जिम्मेदारी मण्डी समितियों की नहीं है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी हाल ही में किसान फसल बीमा योजना का शुभारम्भ किया है। ... (व्यवधान) किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की खड़ी फसल अगर आग की चपेट में आती है तो उसे भी किसान बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाए। ... (व्यवधान)

दूसरे, मेरा अनुरोध है कि जिन गरीबों के आवासीय परिसर अग्निकांड की चपेट में आते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से एक-एक आवास उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री आलोक संजर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री दहन मिश्रा, श्री पी.पी.चौधरी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री रोड़मल नागर को योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़िचरोली-चिमुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान महाराष्ट्र के अपने संसदीय क्षेत्र गढ़िचरोली-चिमुर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मेरे क्षेत्र में वन सम्पदा, खनिज सम्पदा और जल सम्पदा बड़े पैमाने पर है।...(व्यवधान) यही नहीं, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, हीरा, पन्ना, सोना, मैंगनीज और कोयला आदि खनिज सम्पदा वहां बड़े पैमाने पर है और विशेष तौर पर 80 प्रतिशत फॉरेस्ट क्षेत्र है। ...(व्यवधान) इन सभी वन सम्पदा एवं खनिज सम्पदा पर आधारित कई कारखाने एवं उद्योग-धन्धे खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सके, तो इसका एक ही कारण है कि वहां अच्छे रास्तों का निर्माण नहीं होना और रेलवे नेटवर्क का नहीं होना। ...(व्यवधान) इन दो वर्षों के भीतर केन्द्र सरकार ने मेरे क्षेत्र में अच्छा रेलवे नेटवर्क मंजूर किया है और अच्छे रास्ते निर्माण भी मंजूर किया है यानि वहां नेशनल हाइवे मंजूर किया है, जिसकी लागत 5,000 करोड़ रुपये से अधिक है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, रेल लाइन और नेटवर्क यदि वहां खड़ा हो गया तो वहां बड़े-बड़े कारखाने एवं उद्योग-धन्धे लग जाएंगे।...(व्यवधान) मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां अच्छे रास्तों का निर्माण होने के बाद कारखाने एवं उद्योग-धन्धे खड़े हो जाएंगे,...(व्यवधान) लेकिन हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखण्ड में उद्योगों को केन्द्र सरकार राज्य और केन्द्रीय करों से मुक्त किया है, वहां टैक्स हॉलीडे पैकेज घोषित किया है।...(व्यवधान) इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में भी उद्योगों को

केन्द्रीय एवं राज्य करों से मुक्त करने के लिए हॉलीडे पैकेज यदि घोषित कर दिया जाए तो वहां उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा,...(व्यवधान) वहां विकास होगा और वहां जो बड़ी संख्या में बेरोजगार भटक रहे हैं, जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वे मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।...(व्यवधान) यही मेरा आपसे अनुरोध है। ...(व्यवधान)

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : अध्यक्ष महोदया, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र राँची के लोकमहत्व का प्रश्न शून्यकाल में उठाना चाहता हूं।

महोदया, मेरा लोक सभा क्षेत्र राँची शहर जो झारखण्ड राज्य की राजधानी भी है। राजधानी बनकर लगभग सोलह साल बीतने के बाद भी अब तक राँची शहर की मुख्य सड़क जैसे पंडरा बाजार समिति से लेकर रातू रोड होते हुए कचहरी चौक, फिरायालाल चौक, सर्जना चौक, सुजाता चौक। कचहरी चौक से लेकर शहीद निर्मल महतो चौक, लालपुर चौक डंगरा टोली चौक होते हुए काँटाटोली चौक से सिरोमटोली चौक होते हुए सुजाता चौक तक तथा कचहरी चौक से सीनियर एस.पी. का निवास, मोरहाबादी चौक, रिम्स, बूटी मोड़ से कोकर चौक होकर काँटाटोली चौक तक की सड़क पर काफी ट्रेफिक जाम रहता है।

महोदया, राजधानी बनने के बाद से न तो सड़क की चौड़ाई सही ढंग से हो पायी है और न ही जाम से बचने के लिए फ्लाई ओवर का अब तक निर्माण करवाया जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री जी को मैंने कई बार पत्राचार किया है। साथ ही साथ मैंने सदन के माध्यम से भी लोक सभा में अनेकों बार इस बारे में प्रश्न उठाया है। लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। राँची शहर की मुख्य सड़कों का बोझ हल्का करने के लिए एक रिंग रोड का शिलान्यास हुआ है। ठेकेदार एवं राज्य सरकार की लापरवाही के कारण अभी तक आधा निर्माण, आधा रिंग रोड का निर्माण दस-बारह साल में भी नहीं हो पाया है। इतने दिन बीत जाने के कारण अधूरे निर्माण कार्य पड़े रहने से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है।

अतः आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मेरे लोक सभा क्षेत्र के उपरोक्त वर्णित सड़कों का चौड़ीकरण करवाने, सड़कों के ऊपर फ्लाईओवर का शीघ्र निर्माण करवाने एवं रिंग रोड का अधूरा निर्माण को शीघ्र पूरा करवाने की मांग करता हूं। उपरोक्त सभी कार्यों को पूरा करवाने के लिए केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): This is about the present affairs of the Tea Board of India which is facing problems. Some bureaucrats dealing with the Tea Board are showing highhanded behaviour.

Tea Board was constituted by an enactment of Parliament – the Tea Act, 1953. It was running very smoothly. Since 2012, there is no permanent Chairman of the Tea Board. A few bureaucrats started transferring more than 30 employees

together to the different regional offices in a very undemocratic manner. There is a suspected move that existence of Tea Board may face a big challenge.

I had a talk with the hon. Minister yesterday, and handed over a memorandum with a request that this decision to transfer be withdrawn and discussion be held with the employees association and with the Tea Board Members. If necessary, the Minister may be involved. As the local MP, I want to be involved with the whole issue.

Madam, I would like to request the hon. Minister that a high level enquiry be instituted to probe the affairs in the Tea Board; a full time Chairman to be appointed shortly; transfer of employees being done in an inhuman manner be revoked immediately; Board's head office should also be strengthened, not only just the regional offices, and that too at the expense of head office; and professional management, who are conversant with the problems of tea industry, should be appointed.

Most of the staffers of the Board are going to superannuate in the next few years. To make the organization vibrant, fresh blood should be infused. Staff restructuring should be done in such a manner that the pangs of such an exercise should not be felt by those employees who have forgone many career advancement opportunities to look after their families and infirm dependants.

I hope the hon. Minister will rise to the occasion in the interest of the Tea Board and take such appropriate steps by which the functioning of the Tea Board continues with inspiration and enthusiasm. The employees should not be targeted and the Tea Board has to be saved in the interest of Indian economy. I hope the hon. Minister will intervene in the matter immediately, come to the House and give a reply.

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सुदीप बंदोपाध्याय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश के मनाली, रोहतांग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि रोहतांग एक अंतर्राट्रीय पर्यटन स्थल है, जिसकी खूबसूरती को निहारने के लिए देश एवं विदेश से पर्यटक आते हैं।

हिमाचल प्रदेश ने बहुत विलम्ब के उपरांत एनजीटी में जनता का अधूरा पक्ष रखा, जिसके फलस्वरूप मनाली, रोहतांग के व्यवसाइयों और देश-विदेश से आए हुए पर्यटकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। एनजीटी ने 3 मई, 2013 को नेशनल एनवायरनमैंट ऑफ इंजिनियरिंग रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर 'निरी' के आधार पर जो आदेश पारित किया, उसमें एक बात कही गई कि रोहतांग ग्लेशियर है और ईको सैंसिटिव एरिया है। लेकिन उसके बाद श्री जे.बी.पन्त की रिपोर्ट के आधार पर तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर उसमें स्पट हो गया कि रोहतांग ग्लेशियर नहीं है, रोहतांग मात्र स्नोलाइन है और वह ईको सैंसिटिव जोन नहीं है। गुलाबा के ऊपर भी इकोलोजी नहीं रही है। रोहतांग के नजदीक अगर कोई ग्लेशियर है तो उस ग्लेशियर को 'हामता' कहा गया है। इस बात को एनजीटी ने अब स्वीकार कर लिया है।

महोदया, एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) 6 जुलाई, 2015 के आदेश के अनुसार रोहतांग दर्श व उसके आसपास पर्यटक कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जैसे स्नो स्कूटर, टैक्सी, घुड़सवारी, पैराग्लाडिंग, ढाबा, खोखा, रेहड़ी और खान-पान की दुकानों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन कल 9 मई, 2016 के एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) फैसले ने इन लोगों को 12 मई तक कुछ राहत प्रदान की है।

महोदया, ऐसा आदेश आज तक हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य किसी भी राज्य में लागू नहीं किया गया है। यहां के स्थानीय निवासियों का रोजगार भी पर्यटकों पर निर्भर करता है और बिना किसी योजना के यहां के लोगों का रोजगार छीन लिया गया। जिन्होंने बैंकों से ऋण लेकर होटल, टैक्सियां, रनो स्कटर व अन्य उपकरण पर्यटकों की सुविधा के लिए खरीदे थे, वे आज सभी बेरोजगार हो गये हैं।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से अनुरोध है कि मनाली के विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर कर रखी है। इसलिए भारत सरकार मनाली, रोहतांग का पक्ष उपरोक्त विषय को वैज्ञानिक आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में रखे, तािक मनाली व रोहतांगवािसयों का कारोबार पूर्व की भांति चलता रहे तथा देश-विदेश से आए हुए पर्यटक रोहतांग दर्श व हिमाचल की वािदयों का पहले की भांति लुत्फ उठा सकें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोड़मल नागर एवं श्री पी.पी.चौधरी को श्री राम स्वरूप शर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आज आपने मुझे एक ऐसी संस्था के बारे में बोलने का अवसर दिया है, जो सचमूच में आज भी गांधी, गांव और कृषि को जी रही है। 21वीं सदी में शिक्षण कैसा होना चाहिए, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कमीशन ने विश्व के 15 अलग-अलग क्षेत्र के विद्वानों की एक कमेटी बनाई और उन्होंने एक रिपोर्ट 'शिक्षण भीतर का खजाना' करके यूनेस्को के सुपूर्द की। यदि हम इस रिपोर्ट को देखते हैं तो पता चलता है कि गांधी जी ने सालों पहले जो नई तालीम शिक्षा पद्धति का जिक्र किया है, वही चार शिक्षण के मुल्य स्तंभों को उसमें शामिल किया है। नई तालीम शिक्षा पद्धति का विचार लेकर भावनगर के एक छोटे से गांव में ऋषितुल्य पूज्य नानाभाई भटट ने एक संस्था ग्राम दक्षिणा मूर्ति आमला, जिसे नेशनल हैरिटेज स्कूल भी घोषित किया गया है। फिर उच्च शिक्षा के लिए नानाभाई भट्ट, मनुभाई पंचोली (दर्शक), बुचदादा और मुलशंकर भाई भटट ने लोक भारती नामक ग्राम विद्यापीठ की स्थापना की। यह बहुत अच्छी संस्था है। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती हूं कि आज मुझे जो सिखाया गया है और मेरे जैसे हजारों स्टूडेंटस को आमला और लोक भारती ने जीना सिखाया है। लोक भारती एक ऐसी संस्था है, जो ग्राम विद्यापीठ तो है, लेकिन एक ग्रामीण यूनिवर्सिटी से भी अलग कुछ ग्रामीण क्रांति वह करती है और उनकी स्थापना काल में उस वक्त के हमारे आदरणीय राष्ट्रपति डा.जाकिर हुसैन और डा.राजेन्द्र प्रसाद जी ने इसकी विजिट की थी और फिर उन्होंने एक राष्ट्रीय प्रवचन में कहा था कि नई शिक्षा पद्धति में हमारा विश्वास मजबूत हुआ है।

मैडम, हमारे आदरणीय पूर्व प्रधान मंत्री जी मोरारजी भाई देसाई भी उनके ट्रस्टी हुआ करते थे। मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार, शिक्षा मंत्री और कृषि मंत्री जी से अग्रह करना चाहती हूँ कि हमारे देश की संस्कृति और प्रकृति के अनुसार संस्थान को नया बनने की सोच रहे हैं, सालों से यह जो काम हो रहा है, उनको जीवंत रखने के लिए हमारी सरकार कुछ न कुछ मदद करे।

HON. SPEAKER: Shri P.P. Chaudhary and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Dr. Bhartiben D. Shyal.

Shri Thota Narasimham; now one minute only; not more than that.
... (Interruptions)

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to speak in the 'Zero Hour' to address a very important issue concerning my constituency, that is, Kakinada.... (Interruptions) Likewise, I would like to draw the attention of hon. Minister of Food Processing Industries as well as the hon. Minister for Environment and Forests to take account of an important issue pertaining to my constituency Kakinada. Carion Pokand Foods (CPF) India is a sea food processing industry commencing at Chinnampalem Village, Prathipadu Mandai of East Godavari District of my constituency Kakinada during the year April, 2015.... (Interruptions) It is feared that this company is not strictly observing the pollution norms, resulting in major health complications to the nearby villages, that is, Yerravaram, Somavaram, Krishnavaram and Boorugupudi.... (Interruptions) Moreover, it is feared that if the company becomes fully functional, the chemicals emitted may affect the air and water causing major pollution to the environment. ... (Interruptions) The surrounding villagers are apprehensive to get different types of cancers, ulcers, skin allergies, heart, lung diseases etc. These villagers are small and marginal peasants who are not at all in a position to afford treatment. At the outset, the villagers were very happy with a fond hope that they will get employment to their children and prosperity to their villages. The present scenario is totally reversed. Neither had they got employment, nor prosperity as the company is not giving any preference to any of the villagers of my constituency.

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख के कस्बा सण्डीला की ओर आकार्षित करना चाहती हूँ। महोदया, सण्डीला से काफी श्रद्धालु माँ वैष्णों देवी के दर्शन हेतु जम्मू आते-जाते रहते हैं। लेकिन सण्डीला रेलवे स्टेशन पर जम्मू आने-जाने वाली रेलगाड़ियों का ठहराव न होने के कारण, वहां के श्रद्धालुओं को वैष्णों देवी की यात्रा के दौरान जम्मू आने-जाने के समय काफी दिक्कतों का समना करना पड़ता है। जिस कारण से यहां श्रद्धालुओं और आम जनता में काफी रोष है। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि सण्डीला के

श्रद्धालुओं की समस्याओं को देखते हुए सण्डीला से जम्मू आने-जाने हेतु सण्डीला रेलवे स्टेशन पर अमरनाथ एक्सप्रेस का ठहराव सुनिश्चित कराएं।

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Anju Bala.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Madam, I would like to draw your attention to the condition of the environment and forests of Assam.... (Interruptions) Due to cutting and felling of the trees, 70 per cent forest cover has been lost.... (Interruptions) Not only the forest, even the hills of Assam have been levelled.... (Interruptions) As a result, the silt comes to the river and bed of the river is coming up.... (Interruptions) It has caused landslide in such a way that in one month time, 50 people have been killed in the landslide.... (Interruptions) And because of this, without any obstruction, heavy silt, sand and stone come down to the plains and it causes a heavy flood and it breaches the embankment also.... (Interruptions) So, this is a very difficult position.... (Interruptions) I would like to say that nearly 73 per cent embankments in the rivers have been breached because of siltation. ... (Interruptions) The Government of India has rendered Rs. 414 crore but that has not been spent at all.... (Interruptions) So, due to cutting of the forest, the wild animals like rhinos are killed like anything. Already 1400 rhinos are killed either by smugglers or due to natural death.

HON. SPEAKER: What is your demand?

13.00 hours

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: It is because of the nefarious nexus between police, forest guards and smugglers, rhino horns are sent to China through Nagaland and through Myanmar. The price of one horn is about Rs. 1,50,000. That is why, I request the Minister of Environment and Forests not to sleep over this degraded condition but to act positively.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri Rodmal Nagar, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri P.P. Chaudhary, Shri Gajendra Singh

Shekhawat, Shri Sudheer Gupta and Dr. Manoj Rajoria are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Bijoya Chakravarty.

SHRIMATI HEMAMALINI (MATHURA): My matter is about the divorce in India. Marriage is a beautiful institution which is totally based on love and respect for each other, that is, between man and woman. विवाह एक बहुत ही खूबसूरत और मधुर सम्बन्ध की शुरूआत है।...(व्यवधान) स्त्री और पुरूष गाड़ी के दो पहिए जैसे हैं।...(व्यवधान) जो समान रूप से चलते रहते हैं।...(व्यवधान) लेकिन कभी-कभी, कहीं-कहीं कड़वाहट में बदल जाने की वजह से यह सम्बन्ध जारी नहीं रह पाता है।...(व्यवधान) माँ-बाप, सगे-सम्बन्धी और दोस्तों के कितना ही समझाने के बाद भी यह सम्बन्ध असम्भव हो जाता है।...(व्यवधान) आजकल की पीढ़ी की यंग लड़कियाँ इसको बहुत फेस कर रही हैं।...(व्यवधान) वे इस सम्बन्ध को कायम नहीं रख पा रही हैं।...(व्यवधान) वे डिवोर्स चाहते हैं।...(व्यवधान) लेकिन जब न्यायालय में डिवोर्स के लिए जाते हैं तो उनके डिवोर्स का केस दस-दस साल तक चलता है।...(व्यवधान) जबकि golden period of their life goes wasted in this struggle. उनका समय चला जाता है।...(व्यवधान) अगर उन्हें जल्दी से जल्दी डिवोर्स मिलेगा तो वे दोबारा अच्छी तरह से अपने जीवन की शुरूआत कर सकते हैं।...(व्यवधान)

महोदया, मैं सदन के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि डिवोर्स केस में जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए एक अलग कोर्ट नियमित किया जाए।...(व्यवधान) जहाँ पर जल्द से जल्द इन लोगों को मुक्ति मिले।...(व्यवधान) इन लड़िकयों को मुक्ति मिले तािक वे अपना जीवन वापस शुरू कर सकें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष : श्री भैंरो प्रसाद मिश्र, श्री रोड़मल नागर, श्री पी.पी.चौधरी, श्री सुधीर गुप्ता और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती हेमामािलनी जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Thank you hon. Speaker Madam for allowing me to speak on this important issue during 'zero hour'.

Sports occupy a prominent place in the life of a nation as it keeps one healthy and fit. Sport shapes the character of a person significantly, brings out leadership skills and creates job opportunities. Sport is a field where only talent has to be considered not caste.

Recently, BCCI has announced reservation in Indian cricket. This system is followed in various countries like South Africa which has given a new hope for

them in sports. In the recent T-20 Cricket World Cup, West Indies won both Men and Women World Cups.

Article 38(1) and (2) of the Constitution provides introduction of reservation in sports bodies. Out of 15-man squad, BCCI has proposed that 7 players will be from the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or OBCs.

The Sports Minister should come with a proposal to give importance to SCs and STs in sports in our country. It is sad that many talented youths are denied opportunities due to castecism. My Parliamentary Constituency Arambag needs grants for providing better infrastructure facilities like training camps, sport kits to encourage SC, ST. It will pave the way for them to get themselves involved in sports activities as they do not get any exposure.

Madam, we have to give credit to West Bengal for producing various eminent sports personalities like Sourav Ganguly, Leander Paes, etc.

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही): महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ।...(व्यवधान) इस देश में पंचायत की बहुत मान्यता रही है, बहुत सम्मान रहा है।...(व्यवधान) लेकिन वर्तमान में जो पंचायत के चुनाव देश में हो रहे हैं, अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए।...(व्यवधान) जिस दिन से पंचायत की रचना हो रही है, उसी दिन से बोली लग रही है।...(व्यवधान) चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो।...(व्यवधान) सबसे दुःखद यह है कि पंचायतों से बनने वाली विधान परिषद कुछ प्रदेशों में है, उसकी बोली लग रही है।...(व्यवधान) केन्द्र सरकार के खजाने से सीधे पंचायतों में पैसा जा रहा है।

में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह जी यहाँ बैठे हैं। वे इस बात से सहमत हैं कि क्षेत्र पंचायत के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव सीधे कराए जाएँ नहीं तो पिस्तौल के बल पर और पैसे के बल पर यदि पंचायत की रचना होगी तो पंच परमेश्वर की भूमिका समाप्त हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसके विकल्प की तलाश की जानी चाहिए कि पंचायत की रचना किस तरह से हो जो लोक महत्व में हो और पंच परमेश्वर की मर्यादा बनी रहे। इसलिए मैं आज कहने के लिए विवश हूँ कि पहले मैं ग्राम सभा को उचित मानता था, क्षेत्र सभा को उचित मानता था, लेकिन आज के दिन मैं कह रहा हूँ कि लोक सभा सबसे उचित है और ग्राम सभा, क्षेत्र सभा, जिला सभा आज संकट के घेरे में है। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप मुलायम सिंह जी से राय लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वे इस विषय पर कुछ कहेंगे। मुलायम सिंह जी, आप कुछ बोलिये।

माननीय अध्यक्ष: आप उनको मजबूर मत करो।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. सत्यपाल सिंह, श्री अश्विनी कुमार चौबे, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री विनोद कुमार सोनकर, श्री रोड़मल नागर, श्री पी. पी.चौधरी, डॉ.बंशीलाल महतो, श्रीमती कमला पाटले एवं श्री दद्दन मिश्रा को श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, आप कम से कम डैमोक्रेसी बचाइए क्योंकि आपकी भी ज़िम्मेदारी है डैमोक्रेसी बचाने की। अभी यहाँ जो हो रहा है, वह आपके सामने है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा है, मैं उससे सहमत हूँ।

माननीय अध्यक्ष: बहुत सारे माननीय सदस्य सहमत हैं।

श्री दद्दन मिश्रा, डॉ.बंशीलाल महतो, श्रीमती कमला पाटले को श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदया, गत सप्ताह में सोलर लैंड घोटालों का एक और पहलू सामने आया है। बीकानेर में 7 सोलर कंपनियों ने 1400 एकड़ ज़मीन खरीदी है। ... (व्यवधान) उस घोटाले के द्वारा एक फैमिली, एक परिवार मनी लांड्रिंग कर रहा है। ... (व्यवधान) एक कंपनी ने 70 हैक्टेयर जगह 72 लाख रुपये में ली और 5.25 करोड़ रुपये में बेची। यानी ये ... *दोनों मिलकर मनी लांड्रिंग कर रहे हैं। एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट इसकी जाँच करे और * कम्पनी ने सोलर लैंड घोटाले के द्वारा जो पैसे बनाए हैं, मनी लांड्रिंग की है, वह देश के सामने रखें। ... (व्यवधान)

-

^{*} Not recorded.

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं श्री अश्विनी कुमार चौबे को श्री किरीट सोमैया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.10 p.m.

13.07 hours

The Lok Sabha then adjourned till Ten Minutes past Fourteen of the Clock.

14.13 hours

The Lok Sabha re-assembled at Thirteen Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Anandrao Adsul in the Chair)

... (Interruptions)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. CHAIRPESON: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise Matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

... (Interruptions)

^{*} Treated as laid on the Table.

(i) Need to check the steep fee hike by private schools affiliated to CBSE in Ranchi parliamentary constituency, Jharkhand

श्री राम टहल चौधरी (राँची): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र रांची के सी.बी.एस.सी. बोर्ड से संबद्ध प्राईवेट सकूल में अभिभावकों से नियमों के खिलाफ रिएडिमिशन के नाम पर भारी रकम ली जा रही है जिसके कारण अभिभावकों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। यह एक तरह से जन-शोषण है। उपरोक्त स्कूलों ने शिक्षा के नाम पर अनाप शनाप कमाने की जो परम्परा शुरू की है इससे शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जबिक पाठ्यक्रम में सामान्यतः पांच वर्ष तक परिवर्तन नहीं होता है तो स्कूल अभिभावकों को पुस्तक छापने वाले प्रिंटरों से प्राप्त कथित कमीशन के आधार पर हर साल नई किताब खरीदने के लिए कहा जाता है, जबिक इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। औसत पांच साल के बाद पाठ्यक्रम में बदलाव होने पर किताब बदली जाती है, परन्तु हर साल किताब बदलने का कार्य स्कूलों में हो रहा है। एक बार एडिमिशन होने के बाद रिएडिमिशन का कोई मामला नहीं बनता परन्तु हर साल रिएडिमिशन के नाम पर अभिभावकों से रकम वसूली जाती है। उपरोक्त स्कूलों में इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों के विरोध में जन आन्दोलन भी हो रहे हैं। इन अनियमितताओं से अन्य छात्रों को भी परेशानी हो रही है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के सी.बी.एस.सी. बोर्ड से संबद्ध प्राईवेट स्कूलों द्वारा गरीब बच्चों, मध्यम वर्ग के बच्चों से शिक्षा के नाम पर पैसा कमाऊ गतिविधियों पर अविलम्ब जांच कर रोक लगाई जाये और उनके शोषण से गरीब एवं मध्यम वर्ग के बच्चों को बचाया जाये।

(ii) Need to declare tax-holiday for industries in Gadchiroli Chimur Parliamentary constituency, Maharashtra

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़िचरोली-चिमुर): आज देश नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसका एक प्रमुख कारण इन क्षेत्रों का अविकसित होना ही है। यदि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करके वहां के लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का सतत प्रयास किया जाये, तो नक्सलवाद की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है।

महाराष्ट्र राज्य का गड़िचरोली-चिमूर जनजातीय संसदीय क्षेत्र नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित है। इस क्षेत्र में मैगनीज, लौह, अभ्रक, हीरा इत्यादि खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहां पर खनिज आधारित और अन्य छोटे-बड़े उद्योग स्थापित करके गरीब आदिवासी लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। ऐसा करने से आदिवासी युवकों को न केवल रोजगार उपलब्ध होगा, बल्कि इस क्षेत्र का विकास भी होगा और वे राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड सकेंगे।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित अति दुर्गम, पिछड़े आदिवासी एवं उद्योग रहित गड़िचरोली-चिमूर क्षेत्र के लिए टैक्स होलिड पैकेज घोषित करके केन्द्रीय स्तर से छोटे-बड़े उद्योग स्थापित कर उसी प्रकार से केन्द्रीय करों में छूट प्रदान करें, जैसे उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के विकास हेतु टैक्स होलिड पैकेज के अंतर्गत दी गई है, तािक इस क्षेत्र के गरीब आदिवासी युवकों को रोजगार मुहैया हो सके और नक्सवाद की समस्या से निजात मिल सके और वे देश की मुख्यधारा में शािमल हो सकें।

(iii) Need to provide stoppage of Mandore Express and Jaipur-Jodhpur Intercity Express at Ren railway station in Nagaur, Rajasthan

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द): सर्वप्रथम मैं आदरणीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि पूर्व में उठाए गए विषय जोकि मेरे लोक सभा क्षेत्र की विधान सभा मेड़ता, नागौर-राजस्थान में स्थित रेण रेलवे स्टेशन, जहाँ पर सिर्फ राजस्थान से ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत वर्ष में लकवा पीडित लोग बुटाटी धाम, जो रेण रेलवे स्टेशन के नजदीक पड़ता है, में आस्था रखने वाले दर्शनार्थी एवं पीड़ित लोग आते रहते है। चूंकि पूर्व में इस रेलवे स्टेशन की पटरी स्टेशन के प्लेटफार्म से ऊंची थी और वहाँ पर शारीरिक रूप से परेशान लोगों को चढ़ने-उतरने में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता था, मेरे निवेदन पर उस प्लेटफार्म को ऊंचा उठाने का आदेश जारी कर रेल मंत्री जी ने पीड़ितों को बहुत राहत प्रदान की है।

इस रेण रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त मात्रा में रेलों का संचालन होता है, किन्तु यहाँ पर ठहराव बहुत ही कम गाड़ियों का होता है। यह रेण करबा मेड़ता विधान सभा का एक बड़ा करबा है और रेलवे राजस्व की दृष्टि से भी लम्बे मार्ग की गाड़ियों के ठहराव की पात्रता रखता है। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि दिल्ली-जोधपुर के मध्य संचालित होने वाली मण्डोर एक्सप्रेस व जयपुर-जोधपुर के मध्य संचालित होने वाली इन्टरिसटी एक्सप्रेस का ठहराव रेण रेलवे स्टेशन पर करवाने का आदेश जारी कर राहत प्रदान करें।

(iv) Need to construct pucca bathing ghats and changing room for pilgrims on the banks of river Ganga at Tigri Dham in Amroha parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री कॅवर सिंह तॅवर (अमरोहा): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अमरोहा के गंगा-धाम तिगरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र अमरोहा की धनौरा तहसील में पवित्र गंगा नदी पर स्थित तिगरी धाम में प्रतिवर्ष कार्तिक मास में गंगा- स्नान का भव्य मेला लगता है। इसमें न केवल इस क्षेत्र, प्रदेश अपितु अन्य राज्यों जैसे-दिल्ली, हिरयाणा, राजस्थान से भारी संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक आकर यहां पर 2-3 दिन का निवास करके गंगा-स्नान का पुण्य अर्जित करते हैं। सामान्यतः प्रतिमाह अमावस्या एवं पूर्णिमा के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा-स्नान का पुण्य अर्जित करने आते है। इस प्रसिद्ध तिगरी गंगा धाम में कच्चे घाट बनाकर स्नान आदि की व्यवस्था कराई जाती है, जिसके कारण यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अक्सर यहां पर स्नान करते समय लोगों की पानी में डूबने के कारण मृत्यु हो जाती है। शायद ही कोई ऐसा महीना जाता होगा जिसमें कोई अप्रिय घटना न घटी हो।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि तिगरी गंगा धाम के महत्व को देखते हुए तिगरी गंगा धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पक्के स्नान घाटों एवं महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम का निर्माण कराया जाए तािक यहां पर आने वाले श्रद्धालु सुविधापूर्वक गंगा स्नान का लाभ अर्जित कर सकें।

(v) Need to construct an underpass on N.H. 24 passing through Kasta Legislative Assembly, Uttar Pradesh

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा): मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा करता में मैगलगंज से लिधियाई चौगनपुर एवं हरनाहा सम्पर्क मार्ग एन.एच. 24 पर बन रहा है। यहाँ पर एन.एच. 24 का बाई पास बन रहा है। यहाँ पर रह रहे परिवारों को सड़क पार करने में काफी कठिनाई होने की संभावना है। जिसे देखते हुए 40 गांवों के लोगों की माँग है कि इस मार्ग पर एक अंडर पास बनवाया जाये।

अतः मेरा अनुरोध है कि एन.एच. 24 के साथ लगे गांवों की सुविधा हेतु इस जगह पर अंडरपास बनवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(vi) Need to frame stringent laws for eradication of child labour in the country

डॉ वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): हम सभी जानते हैं कि चौदह साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना या करने को मजबूर करना अपराध है। यूनीसेफ बाल श्रम को ऐसे कार्यों के रूप में परिभाषित करता है जो एक बालक के लिए हानिकारक समझे जाते हैं। बच्चों के हितों और संरक्षण का मामला हमारे संविधान में भी निहित है। इसके बावजूद हमारे देश में आजादी के बाद से ही बच्चों के अधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बाल श्रम को बच्चे के स्वास्थ्य की क्षमता, उसकी शिक्षा को बाधित करने और उसके शोषण के रूप में परिभाषित करता है। अपने देश के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश का प्रत्येक चौथा बालक बाल श्रम के चलते स्कूल नहीं जा पाता है। ऐसे में सरकार से मेरा आग्रह है कि बाल श्रम के उन्मूलन हेतु देश में कठोर कदम उठाए जाएं।

(vii) Need to expedite construction of four-laning of National Highway No. 59 from indore to Pitol in Madhya Pradesh

श्रीमती सावित्री ठाकुर (धार): राष्ट्रीय राजमार्ग-59 के इंदौर से अहमदाबाद, गुजरात खण्ड का 4 लेन चौड़ीकरण कार्य 2010 में शुरू किया गया था। अनुबंध के अनुसार यह कार्य 14 फरवरी, 2013 तक पूरा करना था, परंतु यह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। यह कार्य बी.ओ.टी. परियोजना के अंतर्गत कराया जा रहा है जिसका अनुबंध 25 वर्ष है।

पिटोल से अहमदाबाद तक ये रोड लगभग पूरा हो चुका है और सी.सी. रोड भी चालू है, परंतु मध्य प्रदेश की सीमा में इंदौर से पिटोल तक ये काम अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। बार-बार काम शुरू होने के बाद रोक दिया जाता है, फिर नई समय सीमा दी जाती है।

मेरी लोकसभा तथा आसपास का पूरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। इस रोड निर्माण में देरी होने के कारण क्षेत्र की जनता को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द इस काम में आ रही अड़चनों को दूर किया जाये जिससे क्षेत्र की जनता को यातायात में हो रही परेशानी से मुक्त किया जा सके।

(viii) Regarding Alkaloid Factory, Neemuch, Madhya Pradesh and progress made in Alkaloid sector in the country

श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर): नियम 377 के तहत केन्द्र सरकार से आग्रह है कि मुझे निम्न जानकारी प्रदान की जाए:-

- नीमच (म.प्र.) स्थित अल्कालोइड फैक्ट्री में कौन कौन से अल्कोलाईड उत्पादन होते हैं व कितनी मात्रा में।
- 2. पिछले 10 वर्षों में कौन कौन से अल्कोलोइड भारत के बाहर से आयात किए गये, मात्रा व कीमत दर्शायी जाये।
- 3. भारत सहित दुनिया में कितनी किस्मों के अल्कोलाइड की आवश्यकता है।
- 4. भारत में वर्तमान में अल्कालोइड के क्षेत्र में पिछले दस वर्षों में हुई प्रगति एवं अनुसंधान के बारे में जानकारी दी जाए।

(ix) Need to provide adequate land-price to farmers of Siddharthnagar district, Uttar Pradesh whose land has been acquired for Indo-Nepal border road project

श्री जगदम्बिका पाल (डुमिरेयागंज): उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण इण्डो-नेपाल बॉर्डर सड़क परियोजना में किसानों की भूमि क्रय करने की दरों में काफी कथित अनियमिताएं पाई गई है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में ग्रामीण किसानों की भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने सर्किल का तीन गुना एंव शहरी क्षेत्रों में पुराने सर्किल का डेढ़ गुना की दर से भूमि ली गई, जबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने एल.ए.एक्ट-2013 (भूमि अधिग्रहण नियम-2013) को स्वीकार करते हुए 01 जनवरी, 2014 को लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण काश्तकारों को ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान सर्किल रेट या बाजार दर में, जो अधिक हो, का चार गुना और शहरी क्षेत्र में दो गुने की दर से भूमि क्रय करने का दिशा-निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जनपद सिद्धार्थ नगर के इण्डो-नेपाल बॉर्डर प्रोजेक्ट में कुछ भूमि का क्रय 2014 में एवं कुछ 2016 में पुराने सर्किल रेट से किया गया। उसके बाद जिलाधिकारी, सिद्धार्थ नगर द्वारा पुराने सर्किल से बनाये गये प्रस्ताव को स्वीकार भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर लिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकारों में काफी आक्रोश है। अतः भारत सरकार से इस गंभीर मामले पर तुरंत कार्यवाही की मांग करता हूं, जिससे काश्तकारों को अपनी भूमि का उचित मुआवजा मिल सके।

(x) Need to provide Rajasthan its allocated share of water from Rabi and Beas rivers

श्री राहुल करवां (चुरू): पंजाब व हरियाणा राज्य प्रायः राजस्थान को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध नहीं कराते हैं, विशेषकर बुवाई एवं पकाई के समय राजस्थान को कम मात्रा में पानी दिया जाता है, जिससे किसानों के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। भाखड़ा व्यास प्रबंधन मण्डल ने दिनॉक 12.12.1974 को वाटर अकाउन्ट रिकंसाईलेशन कमेटी का गठन किया। इसके पैरा-3 में यह उल्लेखित है कि यदि किसी राज्य को पानी कम उपलब्ध कराया जाता है तो वह राज्य आगामी 15 दिवस में कम पानी उपलब्ध करवाये जाने की भरपाई करे, परंतु इसका पालन बी.बी.एम.बी. द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जाता है। बी.बी.एम.बी. इस विषय में समुचित तंत्र विकसित कर तथा पंजाब एवं हरियाणा द्वारा कम पानी उपलब्ध कराये जाने की भरपाई अगले 15 दिवस में इन राज्यों के हिस्सों में से पानी काटकर सुनिश्चित करें। जब जब राजस्थान को कम पानी प्राप्त होता है, तब तब राजस्थान द्वारा यह मुद्दा बी.बी.एम.बी., पंजाब व हरियाणा सरकार के समक्ष उठाया जाता रहा है, लेकिन आज तक कोर्इ कार्यवाही नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त 1981 में हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य रावी व्यास नदियों के जल के बंटवारे में राजस्थान का हिस्सा 8.60 एमएएफ तय किया गया था, लेकिन 060 एमएएफ जल आज भी पंजाब राजस्थान को नहीं दे रहा है, जिसके लिए राजस्थान सरकार वर्षों से प्रयास कर रही है। उक्त राज्यों के मध्य राजस्थान के सिधमुख-नोहर क्षेत्र के लिए 047 एमएएफ जल आवंटन का समझौता हुआ था, लेकिन आज भी पंजाब, हरियाणा द्वारा 017 एमएएफ पानी सिधमुख और नोहर क्षेत्र के लिए नहीं दिया जा रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि उपरोक्तान्सार राजस्थान के हिस्से का जल दिलवाने के लिए सरकार आवश्यक कार्यवाही करे।

(xi) Need to undertake adequate relief measures in drought-hit districts of Uttar Pradesh

श्री राम चिरत्र निषाद (मछलीशहर): हमारा देश इस समय भयंकर सूखे और पेयजल की समस्याओं का सामना कर रहा है और दो वर्षों से मानसून के विफल होने के कारण देश का एक बड़ा भू-भाग सूखे से प्रभावित हुआ है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जो मानसून पर बहुत अधिक निर्भर है। लगातार सूखे के चलते फसलों की बर्बादी होने तथा जल की अत्यधिक कमी के कारण देश के अधिकांश भागों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र का जीवन दयनीय हो गया है। वर्ष 2015-16 में देश के दस राज्यों के 251 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, वहीं 2014-15 में पांच राज्यों के 107 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था। सूखा घोषित किये हुये राज्यों में मेरे संसदीय क्षेत्र मछलीशहर सहित उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, शाहजहाँपुर, बाँदा, प्रतापगढ़, चंदौली, इटावा, बस्ती, बागपत, जौनपुर, फैजाबाद, गोण्डा, कन्नौज, संत कबीरनगर, झांसी, जालौन, गौरखपुर, हाथरस, एटा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, मऊ, उन्नाव, रामपुर, हमीरपुर, लिततपुर, चित्रकूट, कानपुर नगर, लखनऊ, देविरया, मैनपुरी, महाराजगंज, आगरा, औरैया, पीलीभीत, अमेठी, महोबा, रायबरेली, कुशीनगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, फतेहपुर, अंबेडकरनगर और बलरामपुर सूखा की चपेट में है। यहाँ की हालत बहुत ही दयनीय है।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि शीघ्रातिशीघ्र उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों में राहत प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(xii) Need to set up a Urban Health Centre under National Urban Health Mission in Buxar parliamentary constituency, Bihar

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर): हमारे संसदीय क्षेत्र बक्सर शहर अंतर्गत पुराना सदर अस्पताल को विगत पांच-छः वर्षों से बंद कर शहर से काफी दूर सुनसान जगह में नया सदर अस्पताल स्थानांतरित किया गया है, जिससे शहरवासियों को चिकित्सा कराने में भारी संकट का सामना करना पड़ता है, विशेषकर रात्रि में अचानक किसी की तबीयत खराब होने पर तथा महिलाओं के प्रसव हेतु काफी कष्ट उठाना पड़ता है। अतएव जनहित में केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय (शहरी) स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.) अंतर्गत शहरी प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र बक्सर स्थापित किया जाये। साथ ही, दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए अत्याधुनिक संयंत्र के साथ एक ''ट्रॉमा सेन्टर'' भी पुराना सदर अस्पताल परिसर में स्थापित किया जाये।

(xiii) Need to improve BSNL mobile and internet service in J&K

श्री जुगल किशोर (जम्मू): जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूरा देश काफी तरक्की कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मोबाइल नेटवर्क तथा इन्टरनेट के नेटवर्क की स्थिति काफी खराब है। विशेषकर जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र तथा ग्रामीण इलाकों में बीएसएनएल नेटवर्क सेवा काफी खराब है। जिसका प्रभाव सीधे तौर पर स्थानीय लोगों सिहत सरकारी काम-काज पर पड़ता है। कई बार आपात स्थिति होने के बावजूद लोगों का एक-दूसरे से सम्पर्क नहीं हो पाता, जिस कारण लोगों को मोबाइल का लाभ नहीं मिल रहा है।

अतः माननीय दूरसंचार मंत्री जी से आग्रह है कि सीमावर्ती क्षेत्र की गंभीरता को देखते हुए जम्मू में मोबाइल नेटवर्क के लिए टॉवर स्थापित किए जाएं और नेटवर्क की गुणवत्ता को भी सुधारा जाए जिससे क्षेत्र की जनता को मोबाइल सुविधा का पूरा लाभ मिल सके।

(xiv) Need to start medical education system integrating Allopathic and Ayurvedic systems of treatment and also promote Ayurveda in the country

खॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा): माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार द्वारा आयुष मंत्रालय प्रारंभ किया गया, इसका मैं स्वागत करता हूँ। भविष्य में निश्चित रूप से इसका भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक असर दिखाई पड़ेगा। आयुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद का ही हिस्सा है, तथा इसे पांचवा वेद माना जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धित अत्यंत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धित है, तथा यह पूर्णरूपेण वैज्ञानिक है। वर्तमान में ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धित का प्रचलन सर्वाधिक है, परंतु हमें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धित के प्रचार एवं प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में भी पं. मदन मोहन मालवीय जी ने ऐलोपैथिक और आयुर्वेदिक के सामंजस्य से एक पाठ्यक्रम तैयार किया था, जिसे समन्वित चिकित्सा प्रणाली का नाम दिया गया था, इसमें आयुर्वेदिक के साथ ऐलोपैथिक का भी समावेश था, परन्तु बाद में इस पाठ्यक्रम को बंद कर दिया गया था। मेरा मानना है कि इस पाठ्यक्रम को पुनः प्रारंभ करना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की भारी कमी को पूरा किया जा सके। जैसा कि सर्वविदित है कि एम.बी.बी.एस. चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवायें देने से कतराते है, संकोच करते हैं तथा अपनी शान के खिलाफ समझते है। अतः ऐसी स्थिति से निपटने के लिए 'समन्वित चिकित्सा प्रणाली' जैसे पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है।

योग, जो आयुर्वेद/आयुष का ही एक भाग है, को विश्वव्यापी पहचान दिलाने में हमारी सरकार एवं मा. प्रधानमंत्री जी के प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 'विश्व योग दिवस' घोषित किया जाना भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। योग आज घर-घर में लोकप्रिय है, कई विद्यालयों ने योग को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। एलोपैथी से हमारा विरोध कतई नहीं है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धित लगभग 400-500 वर्ष पुरानी है, जबिक आयुर्वेद सदियों प्राचीन चिकित्सा पद्धित है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धित ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त, सनातन चिकित्सा पद्धित है। यह भारत की पहचान है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धित के प्रचार एंव प्रोत्साहन की आवश्यकता है और वर्तमान सरकार ही आयुर्वेद को योग की तरह विश्व में लोकप्रिय बना सकती है।

(xv) Need to devolve powers to Members of Parliament for better execution of construction works under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in their respective parliamentary constituencies in the country

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल): भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश में चलाए जा रहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्राम को सड़क से जोड़ने का है, लेकिन अधिकारियों के काम के प्रति लापरवाही के चलते यह योजना कारगर नहीं हो पा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उक्त योजना की निगरानी हेतु प्रत्येक सांसद को संबंधित जिला को निगरानी समिति का अध्यक्ष तो बनाया जाता है, लेकिन अधिकार कुछ भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कार्य में लापरवाही होना लाजिमी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु सांसद की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

अतः मैं सरकार से माँग करती हूँ कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु उक्त योजना को संबंधित सांसद के अधीन किया जाये।

(xvi) Need to adequately compensate the farmers whose land have been acquired by Defence Research and Development Organization (DRDO) in Chitradurga, Karnataka

SHRI B. N. CHANDRAPPA (CHITRADURGA): The Defence Research and Development Organization (DRDO) has acquired a huge piece of land in Chitradurga for setting up a new Aeronautical Test Range for India. It is given to understand that the Chitradurga facility will focus on flight test of unmanned aerial vehicles, air-to-ground weapons, parachutes and electronic warfare systems. It has also been told that this Chitradurga range will cover 4000 acres of land and will have a runway. I definitely welcome this move of the Government when it comes to building up our Defence capability but my concern is that the farmers have been coming to me and complaining that they have not been given adequate compensation for their land that has been acquired by the DRDO.

I would urge the hon'ble Defence Minister to kindly look into the matter personally and ensure that justice is given to the farmers so that they are adequately compensated.

(xvii) Need to reintroduce Integrated Development of Small Ruminants scheme in Chamarajanagar district of Karnataka

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJAGAR): I would like to bring to the kind attention of the government that there was a Centrally Sponsored Scheme –Integrated Development of Small Ruminants (subsidy 25% for General and 33.33% for SC/ST). The potential for goat, sheep and pig development is high in the Karnataka State because of the availability of vast tracts of low rainfall, arid and drought-affected areas. The demand for mutton is increasing in the State due to ever increasing population. This scheme is routed through NABARD, with Bank loan. But, the above scheme has since been discontinued.

This scheme is very popular in Chamarajanagar District of Karnataka State, especially due to low rainfall and drought condition faced by the District. In view of the above, reintroduction of the scheme will go a long way in uplifting the poor from the clutches of poverty.

Hence, I hereby urge the Union Government for reintroduction of "Integrated Development of Small Ruminants" scheme in Chaamarajanagar District of Karnataka State to uplift the poor people of my Constituency.

(xviii) Need to declare the Nabadwip city in West Bengal as a National Heritage City

DR. TAPAS MANDAL (RANAGHAT): Nabadwip city in Nadia district in West Bengal under my constituency Ranaghat is situated on the western bank of the Bhagirathi river. It was a centre of learning and philosophy in medieval India and is still noted for its traditional Sanskrit schools. The great Vaishnava saint, social reformer and an important figure of the Bhakti movement, Chaitanya Mahaprabhu was born here, making this place an important pilgrimage centre in Bengal. Many devotees from worldwide who adhere to Gaudiya Vashnavism come to Navadwip for pilgrimage on the auspicious occasion of the Birthday celebration of Shri Mahaprabhu on the Phalguni Purnima (i.e. on the Full moon day of the March every year), and for various festivals in relation to Leelas of Shri Mahaprabhu like Sri Nabadwip-Mandala Parikrama and other festivities like Dol jatra, Ras purnima and Gaura-purnima.

Nabadwip was the capital of Bengal Empire under the regime of Ballal Sen and Lakshman Sen, the famous rulers of the Sen Empire. Nabdwip and Nadia were great centres of learning and intellectual progress. For five centuries, it was referred to as "Oxford of Bengal".

In the 2011 census, Nabadwip Urban Agglomeration had population of 175,474 and Average literacy rate of Nabadwip city is 87.75 percent. State government helps in many ways with its limited resources. Considering all these, I urge upon the Central Government to come forward to declare Nabadwip as National Heritage City. Sufficient finds under different Central Government schemes should be given to Nabadwip to improve all ancient heritage infrastructures and modern amenities for better life.

(xix) Need to set up a Sugarcane Research Institute at Babanpur in Ganjam district of Odisha

SHRI LADU KHSORE SWAIN (ASKA): I would like to draw the attention of the Government to the status of the only sugarcane industry at Aska of District Ganjam, Odisha, which has been catering to the needs of thousands of sugarcane farmers. The Aska Sugarcane Corporative Society has been extending its financial support to the sugarcane growers for the past couple of decades. However, over the years, it has been noticed that the productivity of sugarcane has gone down due to various reasons, including lack of research support to these farmers to cope with new technology and innovation. This support to the farmers in introducing new technology and knowledge could help revive the said industry which is urgently required.

Hence, I would like to propose to consider setting up of a Sugarcane Reserch Institute at Babanpur (Near Aska Sugar Factory) where the state government is having the required land for this purpose. This will not only save the lives and livelihoods of thousands of sugarcane farmers but also contribute to the state and national economy.

(xx) Need to accord approval to the proposal of Government of Maharashtra for construction of fishing port at Anandwadi village, Deogarh Tehsil, Sindhudurg district, Maharashtra

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सिंधुदुर्ग जिला (महाराष्ट्र) में तहसील देवगड़ के आनंदवाड़ी गाँव में मछुआरों के लिए बंदरगाह बनाने की मांग पिछले कई वर्षों से वहाँ के मछुआरे करते आ रहे हैं। महाराष्ट्र शासन की तरफ से मछुआरों को यह सुविधा देने का प्रस्ताव तैयार किया गया। केन्द्र सरकार की योजना के तहत आनंदवाड़ी बंदरगाह प्रकल्प का निर्माण हो रहा है। इस हेतु 81.62 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र शासन के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पास 30.02.2015 को भेजा गया, लेकिन उसे अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई। महाराष्ट्र राज्य के देवगड़ मालवन और रत्नागिरि समुद्री तटीय क्षेत्र के मछुआरों के लिए आनंदवाड़ी में बंदरगाह होना जरूरी है। केन्द्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जल्दी से जल्दी उचित कार्यवाही की मांग करता हूँ।

(xxi) Regading various institutions to be apportioned between Andhra Pradesh and Telangana under the Andhra Pradesh Reorganisation Act

SHRI MUTHAMETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Schedule 9 and 10 of the Andhra Pradesh Reorganization Act lists a set of institutions that were supposed to be apportioned between the two States in a time bound manner. These institutions form a total of about 196. The Central Committee appointed to divide these institutions is not resolving the dispute between the two States. In the meanwhile, the State of Telangana is showing high-handedness and is illegally claiming these institutions. As a set of those institutions lie in the erstwhile capital of the undivided State, Hyderabad, which is in Telangana, the State is seeking to claim these institutions. A delegation of AP Ministers has also met the Hon'ble President in this regard.

We request the immediate resolution of this issue. These institutions have to be apportioned based on the population ratio of 42: 58 at the earliest. The Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh has also actively pursued this matter. The issue has to be resolved immediately and amicably in order to deliver justice to the State of Andhra Pradesh.

(xxii) Regarding drought situation prevailing in Telangana

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): I would like to draw kind attention of the Government regarding drought conditions prevailing in Telangana. Drought is forcing distress sale of cattle and migration. 14 major reservoirs across Krishna, Godavari are at dead storage level. Never-before seen acute drinking water shortage across the State and production of food grains and pulses has fallen drastically.

Reeling under a second successive drought, the State is facing a water crisis, with scarcity hitting not just the villages and towns but even the capital Hyderabad. Dependent mostly on rain water, the state of 35 million people is witnessing migration of small farmers and farm workers to cities in other states. And acute shortage of water and fodder is forcing people, especially the farmers, to sell their cattle at throwaway prices. Nearly 1.4 million people have migrated from the worst affected districts of Mahabubnagar, Ranga Reddy, Medak, Nizamabad and Adilabad. The migration is indicative of how terrible the situation is. People are mostly migrating to Pune, Mumbai, Bhiwandi, Ahmedabad and Surat is search of job. Out of 450 mandals or revenue units comprising varying number of villages, 231 have been drought affected. The farmers' organizations claim that 368 mandals are hit. The food grain production was 6.5 million tones in 2015-16 as against the target of 11.1 million tones. Rice production was 3.5 million tones while the state's consumption is six million tones. The production of pulses and oil seeds has also fallen drastically. The State sought Rs. 3,064 crore from the Central Government for drought relief but it has announced Rs. 791 crore. Of this, only Rs 400 crore has been released. The farmers say the disbursement of compensation for crop losses is yet to start. For drinking water supply, the Centre released Rs.72 crore against the State's request for Rs.555 crore. Every day 20-25 people are dying due to heat wave.

Hence, I request the Union Government to kindly intervene in the mater and help the State by releasing required funds.

(xxiii) Need to set up a steel plant in YSR Kadapa district of Andhra Pradesh

SHRI Y.S. AVINASH REDDY (KADAPA): I would like to draw the attention of the Government to the promise made on the floor of the August House on the establishment of Steel plant in YSR Kadapa district of Andhra Pradesh.

AP Reorganization Act, 2014 in its 13th Schedule clearly mentioned the establishment of a steel plant in YSR Kadapa district. I wrote several letters to the Hon'ble Minister for Steel and I have also raised this issue in the House, but till today this promise has not been fulfilled. It has been two years since the formation of new state. Hon'ble Minister replied that a task force had been formed comprising of representatives from Central and State Government, SAIL RINL and NMDC on 4.8.2015 to suggest ways and means to make the project financially viable and in the last meeting of task force held on 18.3.2016, it has been decided that feasibility report will be reexamined on the basis of information of concessions/incentives which can be made available for the project. But the people of our district are very anxiously waiting to hear the date of laying of foundation stone for steel plant from the Government of India. If this issue is further delayed, people of our district will launch serious agitations and I, as their representative in this House of People, am prepared to make any sacrifice to ensure that the promise made in Parliament as a part of AP Reorganization Act, 2014 is fulfilled.

In view of the above, I urge upon the Hon'ble Minister to expedite the matter and initiate steps for setting up of steel plant at the earliest in YSR kadappa district of Andhra Pradesh, which will be a boon to the people of backward Rayalaseema Region.

(xxiv) Regarding problems faced by Indians going abroad to earn livelihood

SHRI PREM SINGH CHANDUMAJRA (ANANDPUR SAHIB): Thousands of Indians go abroad to earn livelihood. Travel agents take their passports when they enter the foreign countries. They seek political asylum there. They cannot return to their native land. I request the Government to convert these political asylum into economic asylums by amending the Act to make way for them to come India. We need to open more consulate branches in main cities of too big countries like USA, Canada and Australia to avoid inconveniences to our NRI brothers.

I, therefore, urge upon the Government to take remedial steps in this regard.

(xxv) Need to construct additional staff quarters for employees working in Hisar Railway Station in Haryana

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): Hisar is one of busiest and important railway stations in Northern Railway division. It caters to more than 5000 commuters every day. There is a long pending demand for construction of adequate quarters for the railway employees working in this station. Further, the existing quarters lack basic amenities and nearly 70 staff quarters have been abandoned in view of their dilapidated condition. While the allocation of Rs. 2.76 crore for construction of 24 new quarters in the current railway budget is a welcome step but comparing to the requirement of the quarters, it is quite inadequate. It is pertinent to ensure the welfare of the employees who work in night shift travelling long distance every day. Therefore, I request the Hon'ble Minister to allocate Rs. 7 crore additionally to construct staff quarters according to the actual requirement in Hisar railway station.

HON. CHAIRPERSON: Now, Item No. 21 – the hon. Minister.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): No, Sir... (*Interruptions*) What about our motion?... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your motion is under consideration of the Speaker. That is why I cannot do anything unless it is permitted by the Speaker.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please cooperate with me.

... (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: We have been agitating since beginning on this issue.

HON. CHAIRPERSON: I know, but it is under consideration of the Speaker. The Speaker is not here.

... (Interruptions)

माननीय सभापति: हमें सूखे के ऊपर चर्चा करनी है।

...(व्यवधान)

14.15 hours

INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2015

(Amendments made by Rajya Sabha)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

"That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill* further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 be taken into consideration:-

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, *for* the word "Sixty-Sixth", the word "Sixty-seventh" be *substituted*.

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 3, for the figure "2015", the figure "2016" be substituted.

CLAUSE 2

3. That at page 2, line 3, *for* the figure "2015", the figure "2016" be *substituted*."

^{*} The Bill was passed by Lok Sabha on the 10th December, 2015, and transmitted to Rajya Sabha for its concurrence. Rajya Sabha passed the Bill with amendments at its sitting held on the 28th April, 2016 and returned it to Lok Sabha on the same day.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 be taken into consideration:-

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, *for* the word "Sixty-Sixth", the word "Sixty-seventh" be *substituted*.

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 3, *for* the figure "2015", the figure "2016" be *substituted*.

CLAUSE 2

3. That at page 2, line 3, *for* the figure "2015", the figure "2016" be *substituted*."

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: We shall now take up amendments made by Rajya Sabha. I shall now put amendment Nos. 1, 2 and 3 made by Rajya Sabha together to the vote of the House.

The question is:

"ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, *for* the word "Sixty-Sixth", the word "Sixty-seventh" be *substituted*.

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 3, *for* the figure "2015", the figure "2016" be *substituted*.

CLAUSE 2

3. That at page 2, line 3, *for* the figure "2015", the figure "2016" be *substituted*."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the amendments made by Rajya Sabha in the Industries (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015, as passed by Lok Sabha, be agreed to.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the amendments made by Rajya Sabha in the Bill be agreed to."

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That the amendments made by Rajya Sabha in the Bill be agreed to."

The motion was adopted.

14.17 hours

DISCUSSION UNDER RULE 193

Situation arising out of drought and drinking water crisis in many States and need to consider inter-linking of rivers and water resource management for sustainable solution to mitigate the crisis

HON. CHAIRPERSON: Now, Item No. 22. Smt. Aparupa Poddar.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, पहले सूखे पर चर्चा की जाए।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Yes, we have started it.

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Thank you hon. Chairman Sir for allowing me to speak.

In India, drought has resulted in natural disasters as Indian agriculture is heavily dependent on the climate.

HON. CHAIRPERSON: Aparupa Poddar Ji, please stop for one minute.

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदय, हम हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और आपको भी तंग नहीं करना चाहते हैं। आपको को-ऑपरेट करेंगे। लेकिन, बात यह है कि सुबह मोइली जी ने प्रिविलेज मोशन का जो मुद्दा उठाया था, उसके बारे में हम यही चाहते थे कि अपने नोटिस को यहां पर एक बार पढ़ लें और उसके बाद आपका जो भी निर्णय है, कानून के मुताबिक़, आप उसे या तो रिजेक्ट करें या आप कहें कि आप उसे कंसीडर करेंगे।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे (गोड्डा): मोइली साहब कहां हैं?...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठिए। मैं देखता हूं।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You please sit down. I will take care of it.

... (Interruptions)

माननीय सभापति : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: इसीलिए, हम यह चाहते थे। लेकिन, स्पीकर ने, जैसा कि हमारे सिंधिया जी ने मराठी में कहा। आपको उन्होंने अच्छी तरह से बता दिया है। अब मुझे लगता है कि वह सुनने के बाद आप मुझे इसकी अनुमित प्रदान करने वाले हैं।

माननीय सभापति : इसीलिए मैंने आपको केवल दो मिनट बोलने की अनुमित दी है।

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: हम सभी कानून के दायरे में आते हैं और हमने जो कानून स्वीकार किए हैं, उन्हीं कानूनों के दायरे में हमें काम करना है। इसलिए हमने नोटिस दिया है।

We have given notice. When we have given notice, they should reply and some ruling should come. Four people were allowed earlier. Therefore, since morning we have been agitating. But unfortunately, the Chair has not given us the permission. I repeatedly request you because this is a very important matter.

You have taken our President's name openly in public speech. You have condemned and you have told that... (*Interruptions*)

Therefore, I want that such things should not go, and the Prime Minister should not say outside the House. Whatever he wanted to say, let him say. The Defence Minister did not say it. In the public meeting, he has said it. Therefore, we moved a Privilege Motion. We are agitating.

HON. CHAIRPERSON: Anyway, Kharge Saheb, the matter is under the consideration of the Speaker. Unless she permits, I cannot do anything.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Therefore, we do not want to disturb the discussion on drought. We are not interfering in it.

HON. CHAIRPERSON: Definitely, it is an important one.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: That is important. That is why, peacefully, we will sit here on *dharna*, and you can continue with all your debates.

HON. CHAIRPERSON: As you like.

14.22 hours

(At this stage, Shri Ninong Ering and some other hon. Members came and sat on the floor near the Table.)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, there is a small submission. The entire argument raised by the hon. Leader of the Opposition is invalid. First, the submission of, what he calls, a privilege notice is with the Speaker. She has to take a call.

HON. CHAIRPERSON: Definitely, I have told them.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: But under rule 225, there is a specific mention.

"225. (1) The Speaker, in case the Chair agrees, if gives consent under rule 222 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall call the Member concerned who shall rise in his own place and, while asking for leave, be given permission."

The Member is not present in the House. So, all the arguments given by Mr. Kharge are invalid because the person, who has made a petition himself, is not present. ... (*Interruptions*) He has come. ... (*Interruptions*) I said that the matter is under submission with the Speaker who has also discontinued and the permission is only given to the Member. So, both the cases are not *laagu*. She has already taken a call.... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, we have to run the House. Important subject is going on.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I will continue.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You understand my limitations, please.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI APARUPA PODDAR: In India, drought has resulted in natural disaster as Indian agriculture is heavily dependent on the climate of India as it requires good South-West monsoon for irrigation.... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It is with the Speaker. Unless she permits, I cannot give it, please.

SHRIMATI APARUPA PODDAR: Crop yield in many parts of India is badly affected due to failure of monsoon resulting in water shortages. Maharashtra, Northern Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha and some States are declared as major drought-prone regions.... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You try to understand my limitations.

SHRIMATI APARUPA PODDAR: Monsoon is very brief in India as we get about 100 hours of rain in a year and this has to be used for the remaining period. Water shortage is the central point of focus. India is among the top growers of agricultural produce in the world and hence the consumption of water for irrigation is very high. Sewage and waste water drainage into traditional water bodies can be solved if the Government intervenes seriously. Lack of inefficient water management and distribution of water to agricultural and industrial sector is also a main reason.

The Government must create water reservoirs at least every 20 kilometres across the country. Every citizen should take the responsibility about the importance of water and reduce its wastage. More dams must be constructed mainly at places where rainwater gets drained out without utilization.

The Union Government should study the water scarcity problem and look into its solutions. Rain water harvesting facility must be made compulsory for every independent home, flat and group housing colony as it is the need of the hour. Unless we are aware and conscious of water shortage, we will not be able to overcome this serious problem. No NOC should be issued till rain water harvesting system is installed and become functional.

In West Bengal, our hon. Chief Minister, Mamata Banerjee has taken up projects to construct around 800 check dams and various water harvesting structures. Eco-friendly scheme called Jalatirtha has been launched benefiting 4000 farmers and 32000 hectares of land for agricultural purposes. Around 1.2

lakh ponds have been created under Jal Dharo Jal Bharo scheme, which has given major boost to agricultural productivity in West Bengal.

Recycling and reuse of water is another process by which water problem can be tackled. Recycled water can be used for irrigation, which will fulfil the requirement of water in agriculture. But this is not practised in India. By following recommended dosage of fertilizer, crop rotation, proper timing of fertilizer and application of eco-friendly and safe limits of agro chemicals to reduce pollution, this problem can be sorted out.

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। आज हम सभी देश को आगे बढ़ाने के लिए चिंतित हैं। हमारे किसान देश की रीढ़ हैं, लेकिन देश में किसान आत्म हत्या कर रहे हैं, किसानों की अवस्था बहुत सोचनीय है। इस विषय के बारे में हम सभी को एक हो कर सोचना चाहिए। आज हम लोग संसद में बैठे हुए हैं, हम लोगों के पास आराम है, ए.सी में बैठे हुए हैं, पीने के लिए शुद्ध पानी है लेकिन सोचने वाला विषय यह है कि जहां 30 करोड़ भारतीयों को सही से पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता है। वे गर्मी से जूझ रहे हैं, वे हीट वेभ से मर रहे हैं। हम सभी को एक हो कर, इस विषय के बारे में सोचना है।

The Ministry of Water Resources should speed up its rivers interlinking programme. A total of 14 links have been identified under the National Perspective Plan. Since this programme is of national importance, it must be taken up on a high priority. As per the National Perspective Plan, interlinking of rivers project would benefit around 35 million hectares of irrigational land and generate around 34,000 megawatt of power. It will also help in controlling flood, navigation, water supply and fisheries.

Hon. Chairman, I would like to highlight a very important point. The assessments of exact acreage affected by drought like condition, the extent of damage to standing crops as well as short-term and long-term ameliorative steps are being compiled. The preliminary estimates suggest that approximately Rs.6000 crore may be required to set in place drought proofing agriculture which would be a permanent measure to stabilise incomes of smallholder farmers. In this regard a reference will be made to the Central Government by our State Government.

As per the SDRF norms, the damage by flood in 2015 was assessed to be Rs.8761 crore. Against this, an amount of Rs.713.9 crore was recommended for release by the high level committee in the Ministry of Home Affairs. But, out of this, only Rs.446.1 crore has been released by NDRF.

Over six lakh houses and 30 lakh hectares of agricultural land were affected.

Sir, for landslides which occurred in Darjeeling in 2015, as per norms, we had sought Rs. 67.7 crore and the Ministry of Home Affairs has recommended only Rs. 21.6 crore while we got Rs. 13 crore only. Where the Ministry has recommended Rs. 21.6 crore, we have got only Rs. 13.5 crore from NDRF and it is still pending. Sir, through you, I would request the Union Government that the funds may be released quickly. What about the poor people who are now heartless? They do not have any source of income. Their livestock have been totally destroyed. So, I would request the Government to immediately release funds so that justice may be done to the people of West Bengal.

With these words, I thank you.

श्री चन्द्रकांत खेरे (औरंगाबाद) : सभापित महोदय, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में सूखे की स्थिति के बारे में नियम 193 के अंतर्गत जो चर्चा चल रही है, उसमें में शिवसेना की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।...(व्यवधान) पूरे महाराष्ट्र राज्य, खासकर मराठवाड़ा क्षेत्र में लगातार चौथे वर्ष भयंकर सूखा पड़ा है। इस व्रं का सूखा पिछले तीन वर्षों से भी ज्यादा है। इस क्षेत्र में 11 प्रमुख डैम हैं जिनमें से 8 पूरी तरह सूख चुके हैं और 4 डैमों में 2 प्रतिशत से भी कम पानी बचा है। अगर पूरे मराठवाड़ा की एवरेज निकालें तो 8.5 प्रतिशत पानी बचा है। सूखे के कारण किसानों की फसल नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है। पिछले साल मराठवाड़ा में 1138 लोगों ने आत्महत्या की थी। इस साल आज तक 392 किसानों ने मराठवाड़ा में आत्महत्या की है। वहां अकाल पड़ा है, इसलिए आत्महत्याएं हो रही हैं। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र में 80 प्रतिशत इलाका सूखाग्रस्त है और मराठवाड़ा में 90 प्रतिशत इलाका सूखाग्रस्त है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है कि 29 हजार से भी ज्यादा गांव सूखाग्रस्त हैं। मराठवाड़ा में 8,700 गांव हैं जिनकी जनसंख्या 2 करोड़ से भी ऊपर है। सरकारी आंकलन के हिसाब से पूरा मराठवाड़ा सूखाग्रस्त है, यह भी बताया गया है। वहां पहले से ही सिंचाई के लिए पानी की किल्लत थी, लेकिन अब पीने के पानी की भी किल्लत हो रही है। पीने के पानी के लिए टैंकर्स की व्यवस्था की जा रही है। मराठवाड़ा में सिर्फ 3,573 टैंकर्स हैं। केन्द्र सरकार के माध्यम से उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जैसे हम लातूर में ट्रेन द्वारा पानी दे रहे हैं, हो सकता है कि उसी तरह मराठवाड़ा में भी करना पड़गा।

पशु-पक्षी, जानवर, हम गाय-बैलों के बारे में ज्यादा बोलेंगे। उनके लिए भी पानी और चारा नहीं है। हमने काफी प्रयास किया तब 386 चारा छावनी चालू हुईं। उनमें भी कभी कुछ मिलता है कभी नहीं मिलता। केन्द्र सरकार को चारा छावनी की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नहीं तो कुछ लोग पशु धन कौड़ियों के भाव बाजार में ले रहे हैं। यह भी बड़ा स्कैम है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूं कि मराठवाड़ा के कई जानवरों की बांग्लादेश में तस्करी हो रही है। इसे रोकना पड़ेगा और इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से चारा, पानी आदि मिलना चाहिए, यह मेरी मांग है।

वहां पिछले चार सालों से बरसात नहीं के बराबर हुई। इस कारण काफी मुश्किल हो रही है। इस मौसम में तापमान 45 डिग्री तक चला गया, इस कारण पशुधन और लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। अगर पानी का संचयन और बंटवारा उचित तरह से होगा तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। राज्य एवं केन्द्र सरकार का जल प्रबंधन में पूरी तरह से विफल रहना ही सूखे का कारण है। अगर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने इसका अध्ययन किया होता और इसके लिए पहले से प्रयास करते तो आज जो मौतें हो रही हैं या किसानों द्वारा आत्महत्याएं हो रही हैं वह उतनी नहीं होती। आज प्रधानमंत्री सिंचाई योजना सारे

मराठवाड़ा क्षेत्र में ज्यादा लागू करनी पड़ेगी दूसरी जगहों पर कम करने पर भी कम चलेगा लेकिन सूखाग्रस्त इलाके में पूरी मदद करनी पड़ेगी और प्राइरिटी देना पड़ेगी। अभी आपको पता है कि महाराष्ट्र में निदयां, तालाब, नाला और कुंएं सूखे पड़े हुए हैं। लातूर में पानी की ट्रेन आती है तब 144 धारा लगाई जाती है क्योंकि सारे लोग भिड़ जाते हैं और पानी के लिए राइट्स होने लगते हैं, इस पर भी हम लोग विचार करें।

पीने की पानी की समस्या कैसे हल होगी इस विषय को केन्द्र सरकार को देखना चाहिए ऐसा मेरा मत है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट थोड़ी बहुत मदद कर रही है, लेकिन उनकी हैसियत उतनी नहीं है। आपकी तरफ से मदद होनी चाहिए इसके लिए एक कमेटी फर्म होनी चाहिए विशेष समिति स्थापित करने के बाद निश्चित रूप से काम अभी से करना चाहिए। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं एक महीने या दो महीने में पानी पड़ेगा, उसके आगे क्या होगा अभी पता नहीं क्योंकि चार साल से लगातार सूखा-अकाल पड़ रहा है।

शिव सेना के माध्यम से शिव सेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने शिव जल क्रांति मराठवाड़ा में शुरू किया था। आत्महत्या पीड़ित किसान के पास उद्धव जी ठाकरे के साथ हम सभी लोग गए थे सारे विधायक और एमपी वहां गए थे। वहां की स्थिति बहुत गंभीर है, हम लोगों ने उनकी मदद भी की थी, आत्महत्या पीड़ित किसानों को एक लाख रुपये तक की मदद की, किसी को अनाज दिया, किसी को कपड़े दिए। आत्महत्या का एक और कारण उनकी लड़िकयों की शादी का न होना है, वह पैसा कहां से लाएंगे। इस कारण शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने कन्यादान योजना भी शुरू किया। मेरे क्षेत्र के 244 लड़िकयों ने कन्यादान योजना में भाग लिया। मैं ये कहूंगा कि इस आयोजन में सभी धर्म के लोग थे, आठ मुस्लिम थे, 42 बौद्धिष्ठ थे और शेष हिन्दु के अलग-अलग समाज के थे। इससे किसानों का बहुत राहत मिली इसी तरह से परबनी, उस्मानाबाद, बीड़, के किसानों को इससे कुछ न कुछ राहत मिली। मैंने आपको फीगर बताया कि इतने-इतने किसानों ने आत्हत्याएं की है। एक लाख रुपये देने से कोई मतलब नहीं है। आपको पांच लाख रुपये देना चाहिए। छत्रपित शिवाजी जी क्या बोलते थे।

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): मैं देख रही हूं कि सारे माननीय सांसदगण नीचे बैठे हुए हैं अगर आप इनको भी अपने साथ बैठा लेते तो बहुत अच्छा होता। ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खेर: सूखे के बारे में गंभीरता कीजिए। हम लोग सूखाग्रस्त इलाके में पिस रहे हैं। ...(व्यवधान) यह सूखे का गंभीर विषय है। पिछले सरकार के कारण महाराष्ट्र में कोई जल योजना नहीं शुरू हुई।

सभापति महोदय, वहां के लिए कोई सिंचाई योजना नहीं है। ...(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा राज: माननीय सभापित महोदय, मैं देख रही हूं कि हमारे सामने की बैंचों पर बैठने वाले सारे सांसदगण नीचे फ्लोर पर बैठे हुए हैं और श्रीमती सोनिया गांधी जी बैंच पर बैठी हुई है। मेरा आग्रह है कि नीचे बैठे हुए माननीय सांसदों को भी ऊपर बैठा लेते, तो बहुत अच्छा होता। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please-Please.

श्री चन्द्रकांत खेरे: माननीय सभापित महोदय, सूखे का विषय बहुत गम्भीर है। मेरा आग्रह है कि माननीय सांसद मेरी बातों को ध्यान से सुनें। दोनों तरफ से कोई गम्भीरता नहीं दिखाई जा रही है। मैं तो सूखाग्रस्त इलाके से हूं और वहीं के बारे में बता रहा हूं।

सभापित महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की पिछली सरकार के जमाने में मराठवाड़ा के लिए कोई जल योजना नहीं बनी। उसके कारण भी वहां सूखे का दृश्य दिखाई देता है। मराठवाड़ा में, जैसा मैंने अभी बताया पिछले साल के लगभग 1138 और इस साल अभी तक लगभग 370 किसान ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या की है। महाराष्ट्र में इनकी संख्या और भी अधिक है। इन पीड़ित किसानों को महाराष्ट्र सरकार तो कुछ नहीं दे पाती है। इसलिए मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि प्रत्येक आत्महत्या पीड़ित किसान के परिवार को उसकी ओर से कम से कम 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाने चाहिए।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री चन्द्रकांत खेरे: सभापित महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2015-16 में पूरे देश के 10 राज्यों में 246 जिले सूखे से प्रभावित हैं। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना आदि राज्य हैं। देश के इतने राज्य सूखे की चपेट में हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार को इसके प्रति गम्भीरता दिखाते हुए इन राज्यों को कुछ न कुछ सहायता देनी चाहिए।

सभापित महोदय, सूखे से निपटने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। छत्रपित शिवाजी महाराज सदैव कहते थे कि अगर किसान बचेगा, तो प्रजा बचेगी और यदि प्रजा बचेगी, तो राजा बचेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले हमें किसानों को देखना पड़ेगा और उन्हें बचाना पड़ेगा। यदि किसान बचेगा, तभी हम लोग आगे जा सकते हैं।

सभापित जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मनरेगा के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हमारे मराठवाड़ा में केवल 10-12 हजार काम निकाले हैं। मेरा निवेदन है कि कम से कम 20-25 हजार काम निकालने चाहिए।

हमारे यहां मजदूरों की 3 लाख की संख्या है। उन्हें हम काम दे सकते हैं, लेकिन केवल 1.71 लोगों को ही काम दिया गया है।

सभापित महोदय, यहां आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि देश में सूखे की गम्भीरता को देखते हुए किसानों के जितने भी प्रकार के ऋण हैं, वे सभी पूरी तरह से माफ किए जाने चाहिए। देश के सूखाग्रस्त इलाके के जितने भी जिले हैं, उन सभी में जितने भी किसान हैं और उनके जितने भी ऋण हैं, वे सभी किसान ऋण-मुक्त किए जाएं। हर प्रकार का ऋण, फिर चाहे वह बैंक का है या और किसी प्रकार का, वह सब का सब माफ किया जाना चाहिए। शिव सेना के सभी सांसदों की ओर से यही मुख्य मांग है।

महोदय, मैं यह विनती भी करना चाहता हूं कि सूखाग्रस्त इलाके में रह रहे विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कॉलरिशप दी जाए, तािक वे फ्री में शिक्षा ग्रहण करें, उनकी परीक्षा फीस माफ की जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए, तािक उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इम्पौर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि आज हमारा मराठवाड़ा सूखाग्रस्त है। जब महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले थे, तब आदरणीय प्रधान मंत्री जी 27 बार महाराष्ट्र में आए। इसके अलावा कुछ कार्यक्रमों में भी आए थे, लेकिन अब मराठवाड़ा की स्थिति बहुत गम्भीर है। इसलिए यदि मंत्री जी, आपके साथ वहां प्रधान मंत्री जी आएं, तो वहां के लोगों की मदद हो सकेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से भी विनती करना चाहता हूं कि आपको मराठवाड़ा में आकर वहां के लोगों की पूरी मदद करनी चाहिए, तािक लोगों को मदद मिल सके और आप पर भरोसा हो सके। यदि प्रधान मंत्री जी वहां आते हैं, तो उन्हें वहां के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें डिक्लेयर करनी पड़ेंगी।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी एवं माननीय प्रधान मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि वे हमारे सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र में जरूर आए, ताकि वहां के किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here to participate in the discussion under Rule 193 on the situation arising out of drought and drinking water crisis in many States and the need to consider interlinking of rivers and water resources management for sustainable solution to mitigate the crisis. Initially, when this was being debated that in what format we should discuss this issue, my point was that we have been discussing about drought many a time, invariably, every year, but actually the discussion should concentrate more on provisioning of drinking water, water conservation, interlinking of rivers, which was a long pending idea going on for quite some time. Conservation of water is supposed to be one of the major issues, besides recharging of groundwater. However, somehow or the other, we have been discussing on drought situation because it is very alarming in the country. More than 40 crores of people are affected in this country because of too prolonged drought situation, and less rainfall in this country has affected a large section of the population. After two years of drought, India is facing a water crisis.

That is hardly surprising. Even in a bad year, India gets around 2,600 billion cubic metres of rain while it needs around 1100 BCM to meet the entire requirement. As per our population, the requirement of water either for drinking or even for farming is 1100 BCM to meet all requirements. Where is the problem if India is getting more than 2,600 billion cubic metres of rain? The problem lies in the fact that our capacity to store water is mere 253 BCM. We are getting around 2600 BCM of water. India needs around 1100 BCM of water. Our storage capacity in whatever form -- reservoirs or ponds that we have throughout the country -- is only 253 BCM. So, with 90 per cent of available rain water not getting stored, a failure in rain is a catastrophe.

The problem gets worse when it comes to drinking water. Wastage of water is there for everyone to see especially in cities. Water is priced at a fraction of its cost. In Delhi for instance, water is supplied free to a large section of population. There is neither enough money to build out more piped water infrastructure nor is

there enough recycling or treatment of water. An interesting thing to note is that Delhi generates 3,700 million litres per day (MLD) as compared to the sewage treatment plant capacity of 2,330 MLD. What to speak of water recycling, we are all aware that the 'urgent' always gets precedence over the 'important'. The important thing to do is to plan for optimal utilization of water resources. India has four per cent of world's water while it has 18 per cent of the world's population. There lies the problem; and there lies our solution also if we attend to that aspect.

I am informed that the Union Government has a draft model Bill on water to stress on storage creation. This Bill will recommend giving precedence to drinking water supply over allocation of resources for agricultural and industrial purposes. Today what is happening is that it is left to the respective State Governments to decide as per the guidelines. What should be the priority? How much percentage of water will be given for drinking purposes? How much of water will be utilised for farming purpose? How much water will be utilised for industry? Now a model Bill is in the process. That is what I could gather. The Indian Government is now trying to prepare that model Bill. It is going to circulate that Bill. Probably some States may be adopting that Bill. It will be a model for other States to adopt.

As we all know, water is a State subject. Our Party's view is that it should remain a State subject. They can prepare a model Bill as they are thinking of doing it. Government says that this current crisis in several States is due to poor demand side management of water. Earlier, supply side management measures like dam construction have not yielded the desired results. Community participation in water management and changing crop pattern according to rainfall can do wonders.

Here, I would like to draw the attention of the Agriculture Minister because he is here. During the last three Plan periods, some attempt has been made for water management in agriculture. But, it has not been to that extent that it will revolutionise the water management system in agriculture. We have always been

talking about Israel pattern of water management and all that. But the problem still lies that the manner in which we utilise water in flow irrigation method has not yielded that much of result. Rather ground water has been dissipated. We are unable to recharge our ground water to that extent. That has created a huge problem in the country. I can quote here. There is a drought in many parts of India. Why has it not been noticed? While we say more than 40 crore people have been affected, hardly it is discussed in the media or in the House. And as we witness today, the subject that was supposed to be discussed at the earliest has now been relegated to the fag end of this Session and that too done in a staggered way. I may say that if Rajya Sabha had cleared the Appropriation Bill, this House would have been adjourned by now. ... (Interruptions) It is a dry well. ... (Interruptions)

I come from a rural area. I was born and brought up in a rural area. I have been repeatedly told, "Do not jump into a dry well. If you do, you will not die at all but you will only break your bones. So, be careful when you are sitting in a dry well. ... (*Interruptions*)

Right now the drought is not about agriculture. Whatever rabi crop has been planted is already destroyed. Today when you are discussing about rabi crop, that rabi crop has already been harvested. The more immediate concern now is about drinking water. In about two months from now, in our State it will be another one month, the monsoon will be breaking. By that time everybody would forget about the problem that we are facing today.

Odisha has registered record heat this year in Titlagarh. A number of media reports even called the town Tatlagarh. Titlagarh town recorded 48 degrees Celsius. Around 17 towns and cities in Odisha recorded more than 46 degrees Celsius this year which is unthinkable and unheard of earlier. One consolation India has is that global climate models are pointing to a weakening of El Nino which was the main cause of 2015 drought.

My friend from Maharashtra just now mentioned about Marathwada. I would only mention in brief that not only Latur all the cities in Maharashtra are

short of drinking water. In this most rapidly urbanizing State, Tier 2 and Tier 3 towns report abysmal water supply data. And with this Swachh Bharat Mission, I would only draw the attention of the House, we would need more water in the households and that needs to be attended to. The demand for water will be more. Demand for water in the rural areas also will be more. Demand for water in the urban areas will be much more than that. Therefore, there is a need today to plan accordingly because in most of the cities the demand for water is going up after the Swachh Bharat Mission has come into operation and a large amount of money has been provided in this Budget.

There is a drought prone area programme which the Rural Development Ministry is supposed to look into. Last time during the Winter Session when we discussed about the drought situation, immediately the Agriculture Minister took it upon himself and the Home Minister who is heading that high-level Committee also sat and there was a discussion. And we came to read from the newspapers, "Centre okays Rs.4,000 crore for seven drought-hit States."

There were seven States including Odisha. A large amount of money was announced and in that respect, I would only mention that we had a problem relating to the allocation of funds for Phailin and there was a demand that we should get around Rs 400 crore of money for Phailin. But in two instalments, only Rs 250.71 crore were released and from that account, the statement from the Government was that they will be providing the full amount as was demanded by the State Government of Odisha relating to Phailin. Another Rs 149.11 crore has not been given to us.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. You have taken more than 10 minutes. Only 4 minutes was allowed to you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Hon. Chairperson Sir, I would like to make a mention relating to drought. Why am I mentioning this? It is because we had a discussion in the House. A high level committee sat and it also came out with the statement that this much of money has been allocated to Maharashtra, Odisha etc.

which means seven respective drought-hit States. But subsequently, the decision was changed. Though this declaration was made for allocation of around Rs. 600 crore to Odisha, there is still a shortfall of Rs. 214 crore because there was a change in the policy of declaration that if you have that much amount of money in your SDRF, that will be deducted from this. This decision was taken in the last week of December whereas SDRF was allocated in the month of January 2015. The State Government had kept that amount anticipating some difficulty in future. So, that should not have been deducted and that is our demand as to how the Central Government is playing truant, even if with their own amendment.

I would also reiterate again that during the deliberation on the Finance Bill, I had mentioned about the agriculture income that is being taxed. Agriculture income that is to be taxed is not to be taxed because that is the law. But I had also mentioned that if in the name of agriculture income, certain agriculturists or some Members or some citizens or some companies of this country are showing that they are earning more than hundred crores of rupees and they are being exempted from income tax, why are you not taxing them? Recently, a news item has come Several realty companies and rich socialites are declaring annual farm income of Rs 100 crore to Rs 900 crore to claim exemption and they are being exempted. There are different Parliamentary committees which can go into that. I had also mentioned about certain companies which are dealing with seeds. They are showing more than Rs 230 crore of income or more than Rs 600 crore income and they are being exempted. They are taking the help of the law that is there to help the farmers whose tax is to be exempted. Especially, IT companies which have large amount of land are also showing that they have this much of income from farming. This should stop.

I would also like to make a mention about interlinking of rivers which I have always been saying. We have been hearing this for the last 40 years. It is nothing new. It was not during Shri Atal Bihari Vajpayee's time that this idea suddenly came up. We have been hearing it for 40 years or more than that, maybe

during the 3rd Five Year Plan when this idea was mooted. Rather, I would say, this idea was mooted in 1858 when Sir Arthur Thomas Cotton first initiated this idea of connecting the Himalayan rivers with the peninsular rivers, connecting the Brahmaputra with the Cauvery.

15.00 hours

This idea is there since 1858 but this idea has many flaws. The best thing would be to connect the rivers of respective States within the States as it is a State subject and accordingly funds can be provided; but how much fund is required? A sum of Rs. 11 lakh crore is required. That is the reason why the previous NDA Government had dropped this idea and thought it is not feasible.

I would also mention that technically Odisha should not have water problem because next to Uttar Pradesh, Odisha has the largest rainfall and water bodies and because it has an average rainfall of 1502 millimetres. Yet vast areas of our State face an acute drinking water shortage every year with ensuing heat waves. A maximum temperature of 48°C was recorded in Titlagarh. Tubewells stopped yielding water during summer due to a seasonal problem. In water rich Kerala, the water crisis is mainly due to poor water conservation and quality planning. The centralized system of pipes that deliver safe drinking water is the culprit.

My focus today of course was only relating to water. Recently the Water Resources Minister had been to Bhubaneswar. She said there that the Centre was working on a water law to restrict use of fresh water and there was a need for a national policy on water. There are a number of reports which say that water would be very scarce by 2025. She said that already the National Water Framework Law was in the making and there was a need to review the National Water Policy.

Now, we need to make changes to meet the escalating water crisis through water conservation, drip irrigation, reforestation, recycling of water, harvesting of rainwater and better infrastructure where pipes do not leak. Here I am reminded of that famous place in Shimla where Shrimati Indira Gandhi and Zulfiqar Ali Bhutto sat down to sign the India-Pakistan agreement in 1972. Once when the Public Accounts Committee was going around that place, they saw a big lawn in front of that famous building. The hon. Member is no more here in this House but he asked

very jokingly why that agreement failed. When I said, 'I do not know', he said it had a pit down below where it was all empty. So, conservation of water was thought of during that period; and that water was being used for gardening and keeping the lawns green. That is the idea which should be adopted, especially by the Urban Development Department. Whenever you are going to sanction any bill, water conservation should be kept in mind.

With these words, I would say these are dry days not of Bihar but in the sense that there is a shortage of water, failed monsoons and India has been parched. एक अखबार में लेख छपा है, जिसका शीर्षक है - "दम तोड़ती हैं नदियाँ "। Wherever we go around and see the rivers we have seen in our childhood, हमारी गंगा जी के बारे में चर्चा होती रहती है कि निरंतर बहती रहे गंगा, वह अब नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जब धर्मेन्द्र जी अपनी बात कहेंगे, तो वे कुछ सुझाव भी देंगे कि कैसे हम गंगा की निरंतर बहती धारा को बचाये रखें? धन्यवाद।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): सर, आज आपने मुझे सूखे और पानी के ऊपर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। दुर्भाग्य की बात है कि चार दिन से लोग वेट कर रहे हैं, राह देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सूखे के बारे में पानी के बारे में, कब चर्चा करेंगे, कब इसका सोल्यूशन निकलेगा और कब कुछ राहत मिलेगी। इसका हर आदमी इंतजार कर रहा है, लेकिन हर दिन इस डिसकशन को टालते गए। आज एक आखिरी सब्जेक्ट की तरह, लीस्ट सब्जेक्ट की तरह इसे लिया गया है। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा समझा गया था। अगस्टा वेस्टलैंड पर चर्चा करने के लिए बहुत से एमपीज यहां बैठे हुए थे, लेकिन गांव में प्रजा सोच रही थी कि अगस्टा क्या है? क्या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पागल हो गए हैं। यह महीना मई का चल रहा है तो अगस्टा के बारे में क्या बात कर रहे हैं? वे बोलते हैं कि किसी आदमी को चिन्ता नहीं है, किसी के पास तीन टाइम की रोटी नहीं है, न खाने के लिए रोटी है, न रहने के लिए घर है, न पीने के लिए पानी है।

आज 69 ईयर्स के बाद एक तरफ स्पीकर मैडम ने साइंटिस्ट्स श्रीहरिकोटा में सेटेलाइट लांच करने के लिए को बधाई दी। कहा जाता है कि भारत देश बहुत आगे जा रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के 69 ईयर्स के बाद भी लोगों के पास न खाने के लिए खाना है, न रहने के लिए घर है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें आज तक कोई नहीं दे सका। यहां पर वित्त मंत्री जी हर साल फाइनेंस पर दो घण्टे का भाषण पानी पीते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, थकते हुए देते हैं। अभी लास्ट टाइम

उन्होंने 19 लाख करोड़ रुपये बजट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, लेकिन मैं पूछता हूं कि यह पैसा हर आदमी को, 130 करोड़ लोगों तक यह पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्यों दोनों के बीच में भेद हो रहा है? एक आदमी ताज मानसिंह होटल में बैठकर 5000 रुपये का लंच करता है और दूसरी तरफ एक आदमी पांच रुपये का खाना भी नहीं खा पा रहा है। एक आदमी लाखों रुपये का सूट पहनता है और दूसरी तरफ एक आदमी फटे हुए कपड़े पहनता है।...(व्यवधान) दस लाख रुपये का...(व्यवधान) नहीं, उसका बिल मैंने नहीं देखा, लेकिन अंदाजे से मुझे मालूम पड़ा कि पांच लाख रुपये या दस लाख रुपये का सूट होगा। एक आदमी महल में रहता है, बड़े-बड़े घरों में रहता है और दूसरी तरफ किसी आदमी को सड़क पर भी सोने के लिए जगह नहीं मिलती है। मैं यह पूछता हूं कि यह भेदभाव आज क्यों हो रहा है? क्यों लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है?

15.09 hours (Dr. Ratna De (Nag) *in the Chair*)

अमीर लोग बिसलेरी का उण्डा पानी खरीदते हैं, उनको 20 रुपये में मिलता है, लेकिन वहां गांव में, लात्र में आज लाठीचार्ज हो रहा है। बुंदेलखण्ड में सेक्शन 144 लगाकर पानी की रक्षा की जाती है और राशन के ऊपर पानी दिया जाता है। Today, 13 States, that is 33 per cent of the total agricultured land, 25 per cent of the population are reeling under drought. Around 2.55 lakh villages, i.e., 33 crores people are thirsty and devoid of drinking water. This looks like another 'Paani pat' war. Section 144 in Latur and police protection in Maharashtra for supply of water to people speaks volumes about this problem. Some hospitals in Jharkhand are closed for want of water. इस कारण से एक ऑपरेशन नहीं किया जा सका। बिना ऑपरेशन के एक आदमी की जान वहां जा रही है, लेकिन हॉस्पीटल में एक बूंद भी पानी की नहीं है। जिससे हॉस्पीटल को बंद करना पड़ा। आज पेपर्स और टीवी में हम देख रहे हैं that people are eating grass rotis. आज घास से बनी हुई रोटी लोग खा रहे हैं। It is unthinkable but it is a reality today. Sunstroke is the common word for the common man's death. Earthquakes and floods take the toll in no time but this demon of drought is like slow poison. I am reminded of Somalia, a common name for starvation. If the Government does not stand up and take energizing measures to tackle this, the coming generations will suffer the brunt of our wrong doing... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Reddy, please address the Chair.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Our leader, KCR, with his foresight started two long lasting projects like Mission Baghiratha and Mission Kakatiya for supply of water to farmers and drinking water to each and every house in all the villages. We require Rs.40,000 crore to rejuvenate 40,000 lakes for supplying 240 TMC to farmers and Rs.33,000 crore for taking drinking water through pipelines to each and every village in Telangana.

I would request the Central Government to take cognizance of the hugeness of the projects and the dire need for the supply of water. It should sanction funds liberally and show the country a pathway to combat this monster of drought. I appreciate the Government's policy of repayment of loans if the crop-yield is less than 33 per cent.

Again I would like to say that there is drought politics going on. Some districts get drought relief funds in summer, flood relief funds in the monsoons and the cyclone relief in winter. These districts are agriculturally very rich. There, the farmers are wealthy with political connections. This should be avoided and available funds should go only to the deserving districts of different States.

The issue of drought should be seen in a way as we see the national disasters. We go to the Minister of Agriculture and tell him that we have drought. Then he sends a team. That team comes for inspection and they ask us to use our State funds and after that the Centre will send the money. That is not how people can be saved. I would request instead of that as you send national disaster people for flood relief or cyclone, the drought should also be tackled in that fashion by sending NDRF teams.

I come from the State of Telangana. It receives an annual normal rainfall of 905.4 mm, of which 79 per cent (715 mm) is received from the South-West monsoon between June and September. The State received only 611.2 mm rainfall as on 30th September 2015 against the normal rainfall of 713.66 mm for this period. During the Rabi season from 1st October, 2015 to 31st December, 2015, only 27.5 mm against the normal rainfall of 129.5 mm was received during the

period with a deviation of -79 per cent. About 231 mandals in the State were declared drought affected during the South West monsoon in 2015. In this year, the State has received 25 per cent deficit rainfall against the normal rainfall up to March, 2016 and resulted in a fall in water level of 2.61 m bgl when compared to May 2015. In the drought declared mandals, 64 lakh cattle units are present with a fodder requirement of 50.79 LMTs from January to June, 2016. In order to address shortage of available fodder, the Animal Husbandry Department has supplied 1832.97 MTs of fodder seed with an expenditure of Rs. 988.47 lakh under various schemes and programmes in 231 mandals and a total of 1.22 lakh acres are brought under fodder cultivation by 1.83 lakh farmers... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please address the Chair.

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: मैडम, मैं चश्मा निकाल लेता हूं तो मुझे दिखाई भी नहीं देता। मैं उस साइड में नहीं देख रहा हूं, मैं सीधा आप ही को देख रहा हूं।

Madam, we had submitted a proposal under Drought Action Plan as per NDRF norms for an amount of Rs. 75.90 crore for organisation of cattle camps and also for transport of farmers.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. There are more 50 speakers to speak on this.

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: मैडम, यह बहुत ही सीरियस मुद्दा है, पीने के लिए पानी नहीं है। एज पर बिजनेस भी देखेंगे तो कुछ भी काम नहीं है। अभी बिजनेस में अगले दिन के लिए भी कोई बिल नहीं है। केवल हम तीन-चार लोग बोलेंगे, हम लोग छः बजे तक क्या करेंगे।

Madam, agriculture accounts for around 25 per cent of the State's total GDP and the heavy losses incurred due to crop failure is the main reason for the alarmingly high number farmer suicides in the State. The State had taken some time in assessment and declaration of drought. In its final memorandum to the Government of India, it had requested for Rs. 3064 crore from the National Disaster Relief Fund (NDRF) to undertake relief and drought mitigation. But, till date, the State has been allocated a sum of Rs. 791 crore, out of this Rs. 712.62

crore proposed to be released by Government of India, a sum of Rs. 56.30 crore was released in February, 2016; a sum of Rs. 328.16 crore was released on 31st March, 2016 and a sum of Rs. 328 crore was released on 8th April, 2016.

Madam, furthermore, as per the recommendation of the 14th Finance Commission, the State Disaster Response Fund (SDRF) allocation to the State of Telangana for the year 2016-17 is Rs. 288 crore. This is totally inadequate for us to mitigate the damage and also make arrangements for the next season.

Madam, I would like to highlight an issue that is being faced by droughtprone States, including Telangana and a few short-term suggestions in this regard depending upon feasibility.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. There are another 50 speakers to speak on this.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Madam, we come from the State of Telangana and the State was ruled by the Nizams. हमारे निज़ाम हमेशा बोलते थे कि आज करे सो काम कल कर, कल करे सो काम परसों कर। इतनी जल्दी क्या है भाई, जब जीना है उम्र भर। इसलिए हमें इतनी उम्र जीना है तो जल्दी बटन दबा-दबा कर कहां जाना है।

Madam, the Indian Meteorological Department forecasted deficient rainfall in Telangana during the South West monsoon in 2015. But this is not a new forecast for the State of Telangana. We were expecting heavy losses, crop failures and unemployment. Ours is a drought-prone State and we are taking all necessary measures to address the expected shortage through massive irrigation projects. Another short-term suggestion is that given the poor performance and planning development programme is to commit all funds under the MNREGA scheme towards the revival and creation of water conservation structures and watershed management programmes until water availability improves.

Almost one quarter of our population suffers during water crisis. Such a commitment under MNREGA will be one of the most effective tools in bringing all our citizens together for a common cause, just like the success of the Swacch Bharat Mission.

मैडम, मेरा कृषि मंत्री से और ड्रिंग्किंग वॉटर मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि तेलंगाना के अंदर एक्युट प्रॉब्लम है। आपको वहां एक बार विज़िट करना चाहिए। हमने तीन हज़ार करोड़ रूपये की मांग आपसे की थी। उसमें से आपने 750 करोड़ रूपये ही दिए हैं। बाकी का पैसा इमिजिएटली हमें भेज दीजिए नहीं तो फिर आप कहेंगे कि जुलाई का महीना आ गया, बारिश आ गयी अब क्या करेंगे। उससे पहले ड्रॉट से तेलंगाना की प्रजा को सेव कीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): मैडम, एक गंभीर और संकटमय स्थिति हमारे देश के विस्तृत इलाकों में हैं। में समझता हूँ कि बड़ी गंभीरता से इसकी चर्चा होनी चाहिए। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया है। हमारा देश भारी सूखे की चपेट में है। पिछले साल जिन क्षेत्रों सूखा था, उसकी चर्चा हम मार्च तक कर रहे थे। नए पैमाने पर इस बार फिर वह संकट और भी गहरा होता जा रहा है। ...(व्यवधान) मैडम, हमारे देश की जीडीपी में कृषि की भरपाई जितनी भी कम हो, लेकिन अभी भी हम कृषि निर्भर देश हैं। हमारी जो कृषि अर्थनीति है, उसके ऊपर 50% से अधिक लोग निर्भर हैं। सीधा-सीधा सूख का जो प्रहार है, बाकी दूसरे मामलों में तो है ही, लेकिन हमारी कृषि की जो व्यवस्था है और किसान जो है, उसमें खास कर गरीब किसान है, जो प्रांतिक खेती करने वाले हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं, गांवों में जो आर्टिज़ंस होते हैं, तरह-तरह के कामों के साथ ग्रामीण अर्थनीति के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर सीधा प्रहार है। मैं समझता हूँ पिछले तीन सालों से, सन् 2014 का खरीफ, फिर 2015 की रबी, फिर 2015 की खरीफ, इमसें परेशानी होने के बावजूद भी इस बार सूखे को समझना सरकार की तरफ से और उसके लिए काम करने में काफी ढिलाई हुई या अनदेखी हुई। इसलिए आज यह परेशानी इतने ज्यादा भयंकर रूप से हमारे सामने है। हमारे देश में कृषि का एक मंत्रालय है, पीने के पानी के लिए दूसरा मंत्रालय है और वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को पूरा तब्दील कर के गंगा का विषय बना दिया है। यह अलग-अलग क्षेत्रों में बंट गया है। सरकार कह रही है कि इस मामले को हमें होलिस्टिक तरीके से देखना चाहिए, लेकिन अलग-अलग तरीके से विभाजन कर दिया गया है और इसमें परेशानी और भी ज्यादा बढ़ चूकी है। अगर हम सूखे का सीधा प्रहार देखते हैं, अभी मराठवाड़ा से जो बोले, वे भी कह रहे हैं, जो तेलंगाना से बोले, वे भी इस बात को कह रहे हैं, चाहे वे बुन्देलखंड के क्षेत्र से हों, मध्य भारत हो, पश्चिम भारत हो इस बार बहुत ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। सूखे की सिचुएशन हमारे दूसरे प्रान्तों में भी है। इसमें हम यह देखते हैं कि कृषि का संकट जो मंडरा रहा है, वह एक कान्टिन्यूइटी है और यह बढ़ता जा रहा है। किसान की आत्महत्या, अन्तर्राष्ट्रीय सर्वे में यह पता चला कि हर आधे घंटे में हमारे देश में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर इस बारे में सरकार से पूछें तो कभी तो वे कहते हैं कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है, बीमारी है, अलग-अलग तरीके से बयान आते हैं। मूल तो वह कृषि का जो संकट है, यह उसके कारण है। मैं समझता हूँ कि जब सूखा पड़ता है, सूखे की चपेट में जब किसान आते हैं तो वह संकट और भी गहराता है और उससे किसानों की जिन्दगी और भी ज्यादा परेशानी का सबब बनता है। किसान, खेत मजदूर और उनके परिवार को इस संकट को सबसे ज्यादा झेलना पड़ रहा है। इसमें सीधा-सीधा जो होता है कि उनका जो फार्म लोन है, जो कृषि ऋण होता है या फसल नट होती है तो उसको वे वापस नहीं कर पाते हैं।

उसका असर खाद्य संकट के ऊपर देखने को मिलता है। कृषि की उपज भी कम हो रही है। पीने के पानी की एक बहुत बड़ी परेशानी है।

हमारे देश में सरकार एक के बाद एक घोषणाएं करती हैं कि हम पाइप्ड वाटर, पोर्टेबल वाटर पूरे देश में सब जगह देंगे, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र का बहुत बड़ा इलाका, छोटे और मझोले शहरों में भी, दिल्ली जैसे शहरों में भी हमें पानी का संकट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारा पशुधन है, यह उसके ऊपर सीधा प्रहार है। आज के अखबार में, मैं एक हिन्दी पत्रिका में देख रहा था कि सूखे हुए तालाब में गाय दलदल में फँसी हुई है। हम गाय, पशुधन, कैटल और कैटल स्मग्लिंग को लेकर बहुत चर्चा करते हैं, बहुत बहस करते हैं, इसे राजनीति का बखेड़ा बघेड़ा बनाते हैं, लेकिन कहाँ गए वे पशु प्रेमी, जिन्हें गाय को बचाना है और उन्हें पीने का पानी जुटाना है, वह उस वक्त देखने को नहीं मिलता। हमारे पशुधन के ऊपर भी सूखे का बहुत बड़ा असर हो रहा है।

मैडम, मराठवाड़ा में सरकार विकेन्द्रिकृत करती है, अच्छी बात है। पशुधन को बचाने के लिए 70 रूपया उसमें प्रति पशु के लिए खर्चा बोला गया, क्योंकि लोग पशु छोड़ रहे हैं, ऐसा होने से वे उसे रखेंगे, लेकिन अजीब स्थिति है, इंस्पेक्टर जाकर के हिसाब करता है कि गोबर बिकने का 7 रूपया कटेगा तो फिर बाद में वे उसको काटने का बंदोबस्त करते हैं। अभी मराठवाड़ा से हमारे शिव सेना के साथी कह रहे थे कि केन्द्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कृषि का जो संकट होता है, किसानी के साथ जो जीते हैं, पशुधन उनकी आमदनी का एक स्रोत होता है। अगले साल यदि बारिश हो भी जाए, लेकिन उसका पश्धन से आमदनी का स्रोत खो जाता है तो फिर से उसे रिपेयर करना उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बन जाता है। मैं समझता हूँ कि यह जो दिक्कत हो रही है, उदारीकरण से हमारे देश में हमारे किसानों को और किसानी को पूरे विश्व के सामने धकेल दिया गया। बायोटेक्नोलॉजी, मॉर्डर्न इरीगेशन जो कॉस्टली और एक्स्पेंसिव है, ये सब बयान हम सुनते आए हैं। आज भी इस दौर में, पिछले 20-25 साल में हमारा जो किसानी का क्षेत्र है, उसमें इरीगेटिड एरिया जो है, वह हम नहीं बढा पाए हैं। क्रॉप इंश्योरेंस की जो सहायता मिलनी चाहिए, वह नहीं हुआ। बैंक से जो इंस्टीट्यूशनलाइज लोन किसानों के पास पहुँचना चाहिए, वह पूरी हद तक नहीं पहुँचा। यहाँ तक कि जो पानी की बात हम कर रहे हैं, आप देखिए कि इस सरकार ने अभी फिलहाल क्या किया, हमारा पानी का जो सबसे बड़ा सेन्ट्रल ग्राउंट वाटर बोर्ड है, अब सरकार उसके ऊपर प्रहार कर रही है। जो सेन्ट्रल वाटर कमीशन है और सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, उस विषय के मंत्री यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन उसके ऊपर भी सीधा-सीधी प्रहार है। आप देखेंगे कि वर्ष 2013-14 में 12,961 करोड़ रूपए का अलोकेशन दिया था, वह पिछले साल वर्ष 2015-16 में घटकर के दो हजार करोड़ हो गया। इसमें प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना भी शामिल है। पहले साल जब हमने इतना ढिंढोरा

पीटकर प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो पहले साल उसका सिर्फ चार करोड़ रुपये खर्च हुआ। आप समझ सकते हैं कि घोषणाएँ जिस तरीके से हो रही हैं, किसान को या गाँव को उसकी उस तरह से सेवा नहीं मिल रही है। अभी भी अगर हम कहेंगे तो सरकार कहेगी कि कुँए, बावड़ी, तालाब आदि के संरक्षण के लिए उसने योजनाएँ बनाई हैं, लेकिन हमारा सीधा प्रश्न यह है कि इन दो सालों में हम कितना कर पाए हैं? या जब से यह स्कीम चालू हुई है, पिछली सरकार के समय भी यह स्कीम थी, तो हम कितना कर पाए। जब भी हम प्रश्न करते हैं तो सरकार यह बयान देती है कि ऐसी-ऐसी स्कीम्स हैं। लेकिन मनरेगा एक बहुत बड़ी योजना है जिसका ज्यादातर काम था। प्रधान मंत्री खुद कहते हैं कि यह गड़ढा खोदने वाली योजना है। जबिक सूखे के दौरान यही गड़ढा खोदना बहुत ज्यादा ज़रूरी था। हमारे देश में 1 करोड़ 11 लाख ऐसे छोटी-बड़ी या मझोली वाटर बाडीज़ हैं और यदि सरकार सही दृष्टिकोण से मनरेगा को देखे और पंचायती व्यवस्था को सही तरीके से लागू करे तो हम यह जो ग्राउंडवाटर रीचार्ज करने के लिए और पानी स्टोरेज के लिए यह काम कर सकते हैं, लेकिन हम सरकार से यह पूछते हैं तो वह राज्य सरकार पर डालती है और राज्य सरकार को कहें तो वे ऑकड़े दिखाती हैं कि इतने मैनडेज़ बढ़ गए। लेकिन आज अगर उस स्रोत को हम बचा पाते और पानी को रीचार्ज करने की स्थित में रहते तो हमें इस दुविधा में नहीं पड़ना होता।

इसी तरह से पीने के पानी का जो संकट है, सरकार टैंक से पानी भेज रही है। यह ठीक है, शार्ट टर्म अरेंजमैंट हो सकता है, लेकिन सूखे से निपटने के लिए जैसे शॉर्ट टर्म, मिडटर्म और लांग टर्म तीनों पॉलिसी लेनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ इसका सामाजिक पहलू है, आर्थिक पहलू है, शासकीय पहलू है और पर्यावरण का मामला है। यह सब जूड़ा हुआ है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं खुद बंगाल से आता हूँ।

मैडम, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि दुष्काल प्रभावित क्षेत्र की हैसियत से पिछले 100-200 सालों में हम इससे काफी पीड़ित हुए हैं। इसलिए जब सूखा पड़ता है तो उसका सीधा असर पड़ता है और दुकाल की स्थिति पैदा होती है। गाँवों से लोगों का पलायन होता है, माइग्रेशन होता है चूँकि उनको वहाँ पर फार्म रिलेटेड काम नहीं मिलता है। जब कृषि से रोज़गार घट जाता है और काम नहीं मिलता है तो उनकी पर्चेज़िंग पावर भी कम हो जाती है। आप देखिए कि एक सर्वे अभी बता रहा है कि मराठवाड़ा रीजन में दुकानों की बिक्री 60 प्रतिशत कम हो गई। इसी तरह से आर्टिज़न्स के रोज़गार में भी कमी आ जाती है।

मैडम, जो फॉडर है और खाद्यान्न है, इसका एक बहुत बड़ा संकट देखने को मिल रहा है और इसका एक सीधा प्रभाव हो रहा है कि जो इनफ्लेशन है, फूड आइटम्स की कीमत बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में सरकार को जो करना चाहिए था, सरकार की तरफ से वह देखने को नहीं मिला। हमारे प्रधान मंत्री जी सिर्फ एक कैंपेनर नहीं हैं। वह असम से केरल जाएँ, बंगाल जाएँ, लेकिन बीच में मराठवाड़ा

में। उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जहाँ भी हैं। अभी जब चर्चा इतनी बढ़ गई तो हम यह देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से मुख्य मंत्री या उनकी पूरी टीम से चर्चा हो रही है। लेकिन जो प्रोएक्टिवनैस सरकार के अंदर थी, वह देखने को नहीं मिल रही है। क्या प्रधान मंत्री एक इलैक्शन मीटिंग रद्द करके केरल में, मराठवाड़ा में जो किसान मर रहे हैं, वहाँ जो पशुधन की मौत हो रही है, वहाँ पर स्टापओवर नहीं कर सकते थें? इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं। वे लेबर करते हैं, 19 घंटे, 24 घंटे काम करते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। वह डिटूर भी कर सकते थे। अगर इनंटरनेशनल फ्लाइट को वे डिटर कर सकते हैं तो डोमैस्किट फ्लाइट को वे इज़ीली डिटर कर सकते थे। मैं समझता हूँ कि वह न होने के कारण लोगों में रोष पैदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीने के पानी का संकट है। आज भी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में पानी के टैंकर से पानी पहुँचाया जा रहा है। हमने देखा उत्तर प्रदेश में इंडियन एक्सप्रैस के होनहार फोटोग्राफर कनौजिया की मौत हो गई। आखिर देश में यह हो क्या रहा है? क्या देश में सरकार है? अगर सरकार है तो क्या वह गाँवों के बारे में सोचती है? अगर गाँवों के बारे में सोचती है तो किसान और किसानी उसके दिल और दिमाग में है? ...(व्यवधान) प्रधान मंत्री एन.आर.आईज़ के पास पहुँचे, अच्छी बात है। जो भारत से भागे हुए भारतीय हैं, उसके लिए सरकार जितनी तवज्जो दे रही है और जो भारत में रहकर ज़िन्दगी के साथ जूझ रहा है, उसके साथ वह क्यों नहीं जूझ सकती?

HON. CHAIRPERSON: Shri Mohammad Salim, please conclude.

SHRI MOHAMMAD SALIM: I am going to conclude. I am very happy that you have shown me indulgence. I would request for some more indulgence.

जैसा मैंने किसान के बारे में कहा, वैसे ही बच्चों के बारे में है, उनकी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि उन्हें वोट का अधिकार नहीं है। अभी हमारे जो नोबल प्राइज़ प्राप्त कैलाश सत्यार्थी जी हैं, उनका भाषण मैंने सुना, उन्होंने कहा कि 16.5 करोड़ बच्चे इससे प्रभावित हैं। यह सिर्फ दुष्काल के कारण या सिर्फ पीने के पानी के कारण नहीं है। इस बारे में वीमैन और चाइल्ड वैलफेयर मिनिस्ट्री जो है, वह क्या सोच रही है, इन बच्चों इसका लाँग टर्म इफैक्ट होता है, उनकी उम्र की वजह से दुष्काल और पीने के पानी की कमी की वजह से, खाद्यान्न न मिलने की वजह से उसके अन्दर एक लाँग टर्म इफैक्ट होता है। इन बच्चों का ट्रैफिकिंग हो रहा है, इन बच्चों को बेचा जा रहा है, लोग जैसे पशुओं को बेचते हैं, मैडम, आप बंगला लिट्रेचर से, शरत् चन्द्र चटर्जी के महेश से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, दुष्काल की जब स्थिति होती है तो मैं समझता हूं कि हम सब को उसका पूरा हिन्दी अनुवाद करके भेजना चाहिए।

समय नहीं है, मैं बोल नहीं पा रहा है। जो लोग पशुओं के बारे में और गाय के बारे में इतना सोचते हैं, शरत् चन्द्र चटर्जी ने आजादी से पहले दिखाया कि किसान के साथ गाय का क्या सम्पर्क होता है और

पानी न मिलने के कारण, फॉडर न मिलने के कारण किस तरह से उसके हाथ से उसे खोना पड़ता है।...(व्यवधान) इसी तरह से उनकी जो प्रोपर्टी है, ज्वैलरी है, उनकी जो जमीन है, वह मोर्टगेज होती है। उसका सोचा-समझा प्रोपराइजेशन हो रहा है, एक वामपंथी के नाते मैं समझता हूं कि दुकाल में जब सरकार सही ढंग से सही वक्त पर काम नहीं करती है तो सीधे-सीधे एक सैक्शन, जो मार्जिनलाइज़ सैक्शन है, उसको और भी मार्जिन में भेजा जाता है और उनकी जो जमीन है, उनकी जो जायदाद है, उनकी जो प्रोपटी है, यहां तक कि उनके जो परिवार के मैम्बर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनसे भी उनको हाथ धोना पड़ता है।

यह स्थिति बन रही है, इससे सरकार यह न्यौता ले और युद्धकालीन परिस्थिति की हैसियत से इसका निर्वहन करे और साथ-साथ जो कृषि ऋण है, उसको माफ करने का बन्दोबस्त करे।...(व्यवधान) धन्यवाद।

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Thank you, Hon. Chairperson, for giving me this opportunity to speak on severe drought and scarcity of drinking water in many parts of the country. Situation is very alarming. Many people in the country do not have drinking water also. We can understand the severity and magnitude of the problem when drinking water has to be transported by rail to Latur to feed 30 lakh or 40 lakh people. Same is the situation in many parts of the country, including Telugu States — Andhra Pradesh and Telangana. In many parts of the States crops have been withered away and the ground water table has gone down like anything. There is no drinking water even for the wild animals, which are coming out of the forest areas to the villages for water. Such is the situation.

There was a Press Report on 8th of this month in Telangana, Adilabad district which stated that a poor woman has started her journey with her two children to go to the neighbouring village. Mother asked her children to be in a tree shadow, and went in search of water. She could not find; she fell unconscious. These two children started roaming around for want of drinking water; they could not find. They fell unconscious; and they died. Such is the situation. Next day, it seems that there was a marriage of the daughter of her sister. Actually the ground water table has gone down like anything where the fluoride content is very heavy. In many villages, where the fluoride content is heavy, people of 25 years of age could not see the sun in mid-day.

That is why, out of concern, I am giving my MPLAD Fund only for setting up RO Plants in many parts of my constituency. The first priority of all State Governments and the Government of India is to solve this problem of drinking water. They have to look into this problem very seriously and solve this problem by taking steps on war footing. The first priority of the Government of India as well as State Government is to provide drinking water to the people, the second priority is to give water for farming and the third priority is to supply water for industries.

In Andhra Pradesh, we have mighty rivers Godavari and Krishna. In Krishna delta alone, 40 lakh acres are being irrigated through Srisailam and Nagarjuna Sagar Dams. Both these dams are empty now. In the same way, in Godavari delta also, there is no water for the second crop.

This is the situation everywhere. So we may have to change our crop pattern also. Instead of sugarcane, paddy and wheat, we may have to go for cultivation of arid crops like ragi, bajra and jowar. Till 1980s, people used to eat these grains. But of late, as the Government started the Public Distribution System and started providing rice at Rs. 2 per kg., everybody switched over to cultivating paddy and stopped cultivating arid crops. So, we may have to revisit our cropping pattern and start cultivating arid crops also and we have to supply these small grains through PDS.

Madam, in our country we have very scanty natural resources. We have a geographical area of 2.4 per cent, fresh water of four per cent whereas our population is 17.69 per cent, about 1/6th of the population of the world. So we have to preserve our natural resources very carefully and we have to think of connecting our rivers. There are some mighty rivers in our country where there is plenty of water which is going waste into the sea. Sometimes, in Godavari itself, more than 2,000 TMC of water is going into the sea every year. This is plenty of water and with this water we can irrigate both Andhra Pradesh and Telangana for two years.

So, it is high time that we have to think of linking our rivers. When Dr. Rajasekara Reddy was alive, he started the Polavaram Project for linking of Godavari and Krishna rivers. Now, if the present Government sticks to their word, the Polavaram Project would be completed by 2018. If it is done, at least local rivers can be connected. This is high time that the Government of India should also think about this. If linking of rivers is technically and financially feasible, they should start this project immediately. We have to take expert advice and definitely start this project. When drinking water is scarce in many parts of the country, naturally we have to think about it very seriously and solve this problem.

Madam, if we cannot provide drinking water to all citizens of the country – leave alone luxuries – then what is the use of mighty Governments? So, it is high time that all the State Governments and the Government of India to look into this problem very seriously and give first priority to providing of drinking water to our people.

As the hon. Member from Telangana said, the Government of Telangana has started a novel project of giving water to every household in the State. This is a good scheme. I appreciate it. If they succeed, it is going to be a model scheme and the entire country may also adopt that scheme.

That Government of India also should think like that. We have to preserve each drop of rainwater. Rainwater harvesting has to be taken in a big way. In many States, nowadays, everybody has started rainwater harvesting. This is definitely going to help. Farmers also nowadays are digging the trenches all around their farming area so that the ground water gets charged and bore wells function very well. We are seeing many examples like that. Like this, the Government of India should think in a big way with the expertise at their command and solve this problem once and for all. It is a recurring thing. Every year when summer comes, we think like this and we discuss this problem. It is not like that. Now it is high time that the Government of India as well as the State Governments should think about this problem and solve this problem. Thank you very much, Madam.

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): मैडम, मैं राज मोहन रेड्डी जी का भाषण सुन रही थी, उन्होंने एक पीड़ित मां और उसके दो बच्चों की कहानी सुनाई। शायद, वह मेरे ही राज्य की होगी। क्योंकि इस देश में ऐसे 11 राज्य हैं, जहां आज हम बहुत सुखा देख रहे हैं। आप कभी भी पेपर पढिए या टी.वी. देखिए लातूर और मराठवाड़ा की बात रोज समाचार में आ रही है। मुझे दुःख से कहना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार इसे नियंत्रण करने में पूरी तरह से फेल्योर हुई है। जैसे - राज मोहन रेड़डी जी ने एक कहानी सुनायी, वैसे एक 12 साल की लड़की योगिता देसाई थी, जो स्कूल जा रही थी, उसे कहीं पानी नहीं मिला, उसे डिहाइड्रेशन हुआ और वह मर गई। राजश्री काम्बले नाम की दस साल की लड़की थी, वह कुएं के पास मां को मदद करने के लिए गई थी, वह ऊपर से गिर गई और उसका भी देहांत हो गया। सचीन, खेद्वार, स्वाति ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हम किसानों की आत्म हत्या के बारे में हमेशा चर्चा करते हैं, लेकिन इस बार एक और भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि बच्चों की मृत्यु भी इस समय बहुत ज्यादा हो रही है। स्वाति पितले नाम की एक लड़की थी जो एसटी से कॉलेज जाती थी। उसे सिर्फ 260 रुपये एसटी के लिए चाहिए थे, उसने सरकार से बहुत मांग भी की, लेकिन सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। लड़की ने अपने पिता जी को खत लिखा, जिसके बारे में शायद खैरे जी ने भी बोला कि मराठवाड़ा में लड़कियों की शादी में बहुत दिक्कत हो रही है। लड़की ने ऐसा खत लिखा कि मैं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन एसटी के लिए पैसे नहीं हैं। कल मेरी शादी करनी पड़ेगी, उसमें भी पैसे खर्च होंगे, उससे बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं और 19 साल की लड़की ने जान दे दी। Madam, it is really a tragic situation in Maharashtra today.

I was listening to Khaire ji's speech. खैरे जी, का जो भाषण था, भले ही हम अलग दल के सदस्य हैं लेकिन महाराष्ट्र में हर पार्टी, सिर्फ एक पार्टी को छोड़ कर, एक आवाज में बोल रही है। हम सभी की मांग एक ही है कि आप कुछ तो किरए। इसमें हमें राजनीति नहीं करनी है। वैसे तो वहां शिवसेना राज्य में है, लेकिन अगर आप खैरे जी के सभी मुद्दों पर ध्यान देंगे तो उन्होंने सभी मांगें केन्द्र सरकार से की है, महाराष्ट्र सरकार से नहीं की है। उनकी कैटल कैम्प्स की मांग, उन्हें तो राज्य ही चला सकता है। यहां से कौन कैटल कैम्प्स देगा, यहां से पैसे जा सकते हैं। मुझे याद है, शायद खैरे जी को भी याद होगा, राजीव सातव जी भी महाराष्ट्र से चुन कर आये हैं, वर्ष 2012 में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, तब ऐसी गंभीर स्थिति नहीं थी, इतना रेन डेफिसिट भी नहीं थी, हर पार्टी ने मिल कर, तब शायद बी.जी.पी. भी कैटल कैम्प्स में ऐक्टिव थी, लेकिन शिवसेना हो, कांग्रेस हो या एनसीपी हो, हर रिपब्लिक पार्टी ने साथ मिल कर कैटल कैम्प्स चलाये थे। मुझे याद है, खैरे जी प्लीज मुझे करैक्ट करें, तब दूध का

रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था। सभी लोग पूछ रहे थे कि पानी की बहुत दिक्कत है, फिर भी सूखे में दूध का प्रोडक्शन इतना अच्छा कैसे हुआ है?

महाराष्ट्र में पहली बार इतना सूखा पड़ा है। यह कोई नई बात नहीं है। सबको पता था कि सूखा पड़ने वाला है। अगस्त-सितम्बर में जब बारिश खत्म हो गई, तो सबको पता था कि मराठवाड़ा में बारिश का 50 टका डैफिसिट है। बहुत लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री जी को खत भी लिखे थे कि आप कुछ कीजिए। वार फुटिंग पर काम करना पड़ेगा। पानी कहीं से भी मंगवाइए, लेकिन कुछ कीजिए क्योंकि दिक्कत आने वाली है। मुझे यह बोलते हुए खेद होता है कि इस सरकार का पूरा फेल्योर हुआ है।

एक बात लातूर के बारे में सब बोल रहे हैं कि लातूर में ट्रेन आई। बहुत अच्छी बात है। वह खैरे जी के औरंगाबाद से होते हुए लातूर जाती है। विजुअली बहुत अच्छी चीज थी। सबको लगा कि लातूर में हिस्ट्री में पहली बार पानी आया है। पहली बार नहीं दूसरी बार आया है। दो साल पहले जालना में भी रेलवे से पानी आया था। रेलवे डिपार्टमेंट या कोई भी मंत्री हो, रेलवे डिपार्टमेंट की महाराष्ट्र को हमेशा मदद की भूमिका ही रही है। इस बार भी लातूर की रिक्वायरमेंट के बारे में सब बोल रहे हैं। लातूर की पानी की रिक्वायरमेंट 5 करोड़ लीटर है। अगर सूखा पड़े तो ढाई करोड़ लीटर देना पड़ता है। आज लातूर में 65 लाख लीटर पानी जा रहा है। रेलवे डिपार्टमेंट मदद करना चाहता है। मैं लातूर और सांगली के कलेक्टर्स का उल्लेख करना चाहती हूं। आज नीरज से लातूर रेलवे से पानी आ रहा है। जो भी पानी आ रहा है, अच्छी तरह आ रहा है। जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा है।

आज ही एक बहुत गंभीर न्यूज़ आई है कि पातुर से भी पानी आने वाला था। ट्रेन औरंगाबाद में खैरे जी के यहां खड़ी है। वहां के मंत्री श्री लोनीकर जी ने आज ही स्टेटमैंट दिया है कि 15 दिन से ट्रेन खड़ी है, लेकिन हमारा नियोजन ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए हम लातूर को पानी नहीं दे सकते। मैडम, आप ही सोचिए कि is not this mismanagement? आपको पता है। आप पांच महीने का हर पेपर पढ़िए। लातूर ने कैबिनेट मीटिंग करवाई। महाराट्र के सब मंत्री लातूर गए। हमें लगा कि हम भी कोई मदद करें। टूरिज़्म की तरह सब मंत्री देखकर आए, हर तालुका घूमकर आए। उसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट का क्या हुआ।

मैंने मराठवाड़ा जाने के बाद दो चीजें कीं - प्रधान मंत्री जी को खत लिखा और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को लिखा। मैंने टाइम भी मांगा। प्रधान मंत्री जी ने टाइम दिया। महाराष्ट्र के काफी सांसद उन्हें मिलने भी गए। उन्होंने हमारे सुझाव सुन लिए थे। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने एक खत भी नहीं लिखा कि आपका खत आया है। It is really a tragedy कि इस सरकार के मन में क्या है। ये सब जगह जाते हैं, 'मेक इन इंडिया' का इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया। हमारे सीएम साहब यहां-वहां घूमते रहते हैं। मुझे सिर्फ इतना

कहना है कि क्या वे दस दिन मराठवाड़ा में अपना पूरा सामान लेकर नहीं जा सकते। अगर सीएम साहब 10-15 दिन मराठवाड़ा जाएं तो वहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर हिल जाता है। कलैक्टर अच्छा काम कर रहा है।

बहुत लोगों ने नरेगा की बात कही। नरेगा की शुरुआत कहां हुई, 1972 में महाराष्ट्र में शुरू हुआ, जब कांग्रेस की सरकार थी। मुझे याद है 1972 में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, लेकिन वह पानी का नहीं, अन्न का सूखा था। इस समय अन्न है, लेकिन पानी नहीं है। इस साल प्रॉब्लम थोड़ी अलग है। महाराष्ट्र में उसका नाम एनआरईजीएस था। उसी समय 1972 में यह स्कीम शुरू हुई। स्कीम शुरू होने के बाद जब-जब अड़चनें आईं, वहां नरेगा स्कीम यूज़ की गई। मैडम, आपको आश्चर्य होगा कि मनरेगा आज मराठवाड़ा में बिल्कुल चल रही है।...(व्यवधान) नरेगा में जितना काम होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है। मैं मंत्री जी से विनती करुंगी कि आप सबको उसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

सलीम भाई ने पलायन की बात की। पूरे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा से काफी माइग्रेशन हो रहा है। दुख की बात है कि लोग कुछ भी काम कर रहे हैं। अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बहुत प्रैशर आ गया है। मुम्बई, ठाणे या पिम्परी-चिंचवण हो, मराठवाड़ा के सब लोग वहां रहने जा रहे हैं क्योंकि अगर गांव में नरेंगा के अच्छे काम हो जाएं तो उन्हें माइग्रेशन की जरूरत ही नहीं है।

मेरी थोड़ी सी मांगें हैं। जो स्थिति है, वह इनको सब पता है। मुझे याद है कि स्पीकर महोदया द्वारा एक बहुत अच्छी वर्कशॉप Speaker's Research Initiative की थी। हमें पहले चर्चा करनी चाहिए और बाद में रिसर्च इनीशिएटिव को काम करना था। यहां उल्टा हो गया। स्पीकर संवेदनशील हैं लेकिन सरकार इतनी सीरियस नहीं है, यह दिख रहा है। It is factual, it is really a tragedy.

इस परिस्थिति में माननीय कृषि मंत्री जी से विनती करती हूं कि हमारी तीन-चार मांग महाराष्ट्र की तरफ से है। सलीम भाई और चन्द्रक्रांत जी ने भी वही बात कही We want a complete loan waiver for all the farmers. हम सब पूरी तरफ से ऋण माफी चाहते हैं, हर तरफ से चाहते हैं, कम्पलीट क्रॉप वेबर चाहते हैं। यह कहा जाता है कि 15 दिन में बारिश आएगी, चन्द्रकांत जी बात कर रहे थे तो कोई कह रहा था कि कल बारिश हुई। अभी किसान अगर बैंक के जाएगा तो उसे कौन पैसा देगा, इस बारे में सरकार ने क्या सोचा है इस बारे में सीधा-सीधा हां या न में जवाब चाहिए। आप पूर्ण ऋण माफी करेंगे हां या न? इसका जवाब मुझे दे दीजिए। जो पहले कर्ज लिया था उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे या नहीं? ये बातें किसानों के बारे में कही है लेकिन बहुत सारे लैंडलेस लेबरर हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, इनके बारे में क्या सोचा है? सलीम भाई ने बहुत अच्छी बात की कि महिला और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। सलीम भाई आपको आश्चर्य होगा कि जब टैंकर आता है तब

144 धारा तो लगती है लेकिन लाइन में कोई पुरुष खड़ा नहीं होता है, सब महिलाएं ही होती हैं, कभी-कभी चार घंटे महिलाओं को खड़े रहना पड़ता है, कभी-कभी रात को 11-12 बजे टैंकर आता है 2 बजे तक महाराष्ट्र की महिलाएं आज पानी के लिए लड़-झगड़ रही है, उनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए, आप इस बारे में क्या करेंगे? आज उमा भारती जी होतीं तो और भी अच्छा होता। दो दिन पहले टीवी पर मैंने उनका बयान देखा था, उमा जी के पास यह डिपार्टमेंट भी है, उन्होंने कहा था कि वह महाराष्ट्र में जाने वाली हैं, वहां बहुत अच्छे प्रोग्रामस हैं, प्रोपट लाल पवार जिन्होंने अहमदनगर में अच्छा काम किया है उसे देखने जाने वाली हैं।

खानापुरकर जी ने धुलिया में श्रीरपुर पैटर्न नाम के माध्यम से बहुत अच्छा काम किया है, अविनाश पोल जी भी मराठवाड़ा में अच्छा काम कर रहे हैं, बीड में लोहिया जी मानव लोक नाम की एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है, ग्राम विकास नाम की संस्था भी काम कर रही है आज ये एनजीओ सरकार से भी अच्छा काम कर रही हैं। मैं सरकार से विनती करती हूं कि इस बारे में सोचें, लोक वेबर के बारे में जवाब सीधे-सीधे दें। बच्चों की शिक्षा के बारे में आपने क्या सोचा है? सरकार ने घोषणा की थी कि बच्चों की शिक्षा में हम मदद करेंगे लेकिन सिर्फ एग्जामिनेशन फीस माफ की गई है पूरे साल की फीस माफ नहीं की है। मैं पूरे राज्य के लिए नहीं मांग रही हूं जो बच्चे इस पीड़ा में हैं जिनकी शिक्षा लेने की इच्छा है लेकिन उनके माता-पिता एक भी पैसा नहीं दे सकते। मोटर ही नहीं चला तो बिजली का बिल लोग कैसे भरेंगे? इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए। आज आपकी महाराष्ट्र सरकार जल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो टेक्नीकल इश्यू है, वहां कोई जियोलॉजिस्ट काम नहीं कर रहा है, यह काम साइंटिफिकली नहीं हो रहा है। एक्विफियर एक बार डैमेज हो जाए After 20 years it will be a national disaster. मेरी विनती है कि आप ये सारे काम जरूर करें लेकिन अगर टेक्नीकल एडवाइज ले लें तो किसानों को ज्यादा मदद होगी। माइग्रेशन का बहुत बड़ा चैजेंज है। कैटल कैंप के बारे में आपकी क्या सोच है क्योंकि इसकी पेमेंट नहीं आ रही है। आज उस्मानाबाद जाइए, बीड जाइए, लातूर जाइए, सोलापुर है, वहां कैटल कैंप की बहुत दिक्कत है। आपके पास डेटा बहुत पहले आ चुका है इसलिए में आपको डाटा नहीं दूंगी। महाराष्ट्र आज बहुत दिक्कत में है, वहां का लीडरशिप बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है ऐसा मैं अकेला नहीं कह रही हूं खैरे जी की स्पीच में भी यह बात आई। केन्द्र सरकार से नम्र विनती है कि आप महाराष्ट्र के लीडरशिप से बात कीजिए और डेटा वेरिफाई करें। अगर उनसे काम नहीं हो रहा है तो वहां आर्मी भेजिए और हमारी मदद कीजिए। आज महाराष्ट्र के मराठवाड़ा को राजनीति की नहीं हम सब की जरूरत है।

16.00hours

DR. PRITAM GOPINATH MUNDE (BEED): Thank you, Madam. With your permission, I may be allowed to speak in my mother tongue, Marathi.

<u>16.02 hours</u> (Shri Ramen Deka *in the Chair*)

HON. CHAIRPERSON: Yes, please.

*DR. PRITAM GOPINATH MUNDE: Hon. Chairman Sir, I would like to speak in Marathi. If an MP from *Marathwada* rises to speak, in this August House, it is a foregone conclusion that he or she would definitely speak on drought. And that is why when I demanded for a passport office in *Marathwada* region few days ago as many people came to me and asked why I was demanding for it while ignoring the severe drought conditions in *Marathwada*. I know that unfortunately drought is a common phenomena for *Marathwada* but it does not mean that we would not raise any other demand except drought. I am thankful to all for giving me an opportunity to speak on drought conditions. It is really very unfortunate that we are facing this serious situation. Here, we should discuss about how we can deal with this drought condition in future; but in place of that, we are simply discussing and citing examples about how the Central or the State Government have failed to fight this drought. I, being a young MP, feel that we should change our approach towards drought.

Some issues like these should be spared and they should be seen through a social angle. Regarding drought relief, firstly, we should focus on what losses farmers have already incurred and what has been done in that regard. Secondly, we should think about how our farmers would face the drought conditions in future if it happens again and what had been done in past.

Every time, we discuss about farmers' suicides and what was the number in the different regimes. I have a NCRB report right now with me. But instead of going through the data, I think, the steps taken by the Government are more important. We should not make it a sport. We can not be so insensitive. Our

^{*} English translation of the speech originally delivered in Marathi.

Chief Minister met our Hon. Prime Minister last week only and they decided to offer a package of Rs.5200 crore for drought-hit farmers of Maharashtra and I am really very thankful for it. A six week joint action plan has been proposed by our Chief Minister. Through the earlier Memorandum, a demand for Rs.4500 crore was made and Rs.4000 crore has been sanctioned. In addition to this, a supplementary memorandum is also permitted for further relief assistance as it is being treated as a special case. I think it is a great achievement on the part of State and Central Government which cannot be ignored.

We always keep on talking about loan-waiver. But it should not be taken as one time measure. We should take it positively and I think loan-resturcutring is more important. The approach of this Government is to strengthen the last man of our society and not to make him depend on somebody. He should be self-reliant and independent so that he can service his loans. He needs our support in that regard too.

About loan-waiver, we know it very well that it is not confined to this Government only. These loans were taken by the drought-hit farmers of Marathwada during last four years. The BJP Governments at the State and Centre, are in the process of loan restructuring and through this, they are restructuring the loans worth Rs.8500 crore with the concession in the interest charged. It can be regarded as a great achievement.

RBI is not permitting the restructuring of the loans taken during 2012-13. Had the then Congress Government taken a stand that time, the present BJP regime would not have to take up this issue now.

For the last many years, while fighting with drought, Government set up, the cattle shelters. Usually they started it in the month of January or February. But our State Government had started it in the month of August and it is still working properly. For this purpose, Rs.170 crore had been allotted. In Marathwada region 371, cattle shelters have been opened and they accommodate

around 4 lac cattles. Government has proposed to waive off the examination fees of all the students of the drought-hit area.

Everybody is talking about the tragic incident of suicide by a school girl in Latur for a bus-pass. Latur is my neighbouring district. It is very unfortunate and painful. Only for a few hundred rupees, that girl had to commit suicide. Hence, our Maharashtra Government has decided to issue bus passes free of cost to every student.

Everybody should come forward for the crop insurance scheme. Every MP and MLA should contribute for the success of this crop insurance scheme. It is not necessary to be in power to do something good for the people. We only keep on blaming the Government. We have been elected by lacs of people and we should keep that in mind and should also work for public awareness. In my district, the farmers have got the insurance cover of Rs.300 crore just because we are working together. We are providing them solar pumps. They are also getting discounts in electricity bills.

Through *Antoday Yojana*, our State Government is providing rice at a rate of Rs.3 /kg. and wheat at the rate of Rs.2/kg. to the poor and needy farmers other than the BPL families. It is a revolutionary decision taken by the Government.

Health issues are also equally important. In my district, we organized a mega health camp and 1.5 lac people got benefitted out of it.

I would like to elaborate upon a few of the schemes being implemented by Maharashtra Government. 'Jalyukta Shivar' is the most successful scheme of the State Government. During the last one and a half year, works of worth around Rs.2400 crore have already been done and 24 TMC of water has been conserved through it. The Government of Rajasthan and a delegation from Israel had come to study it. We will see its positive effects in the next monsoon. The Soil Health Card and drip irrigation are other important subjects. Atalji had initiated for the River-linking Projects. In the year 2014, Government started this work through

different committees constituted by it. It would be a great achievement on the part of the Government.

Rainwater harvesting should be made compulsory not only in urban but also in rural areas. We should keep in mind that not only farmers get affected by drought, Jinning industries and Sugar factories also get affected. Government should take some steps for operating a thermal power plant through the waste water management.

If the farmers are facing so many problems then what would be the fate of farm labourers? The sugar schools should be started again for the children of labourers.

There is no point in blaming each other. I would like to recite some lines written by an unknown poet who said that a farmer should never quit fighting. Time will definitely change. Have patience and keep on fighting.

This is my message to all the farmers. We have the solid support of the State and Central Government and hence we will be able to fight the drought situation vigorously in coming days.

Thank you.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): माननीय सभापित जी, देश में करीब 10-11 राज्यों में 40 करोड़ से ज्यादा लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। दिल्ली में सरकार से बड़े-बड़े बयान जा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि में समझता हूं कि सूखा राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन आज तक इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया। यह राष्ट्रीय समस्या है और राज्य भी इसी में आते हैं लेकिन आज तक इसे आपने राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया। जब घोषित नहीं किया, आप कितने सार्थक प्रयास कर रहे होंगे, इस बात की हमें पूरी शंका है।

आज से नहीं, आजादी के समय से, 1950-60 के दशक से हमारे नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया जी कहते रहे कि जब तक देश की निदयों को नहीं जोड़ेंगे तब तक सूखा या बाढ़ का स्थायी निदान नहीं हो सकता है। मुझे अफसोस है कि आजादी के 68 साल बीतने बाद भी इसके लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं हुए हैं। सूखा हो या बाढ़, इन दोनों समस्याओं का दो तरह से समाधान हो सकता है। एक, स्थायी निराकरण करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और दूसरा, तात्कालिक प्रभावित लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए, दोनों स्तर पर सरकार को काम करना होगा, चाहे प्रदेश सरकार हो या राज्य सरकार हो। आप किस तरह से गंभीर हैं, इस बात को मंत्री जी आप अपने उत्तर में बता दीजिएगा।...(व्यवधान) अनुराग जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप बहुत गंभीर नौजवान हैं। खाली ट्रेन भेजकर आप राजनीति करना चाहते हैं। झांसी के स्टेशन पर खाली ट्रेन खड़ी करके आप राजनीति करना चाहते हैं। ढाई लाख गांव आज सूखे से प्रभावित हैं, कितने गांवों में ट्रेन का ट्रैक बना हुआ है।...(व्यवधान) यह राजनीति का विषय नहीं है। केंद्र की सरकार और प्रदेशों की सरकार मिलकर काम करें। उसी के चक्कर में अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि "इंडियन एक्सप्रेस" के पत्रकार की करेंट लगने से झांसी में मृत्यु हो गई।...(व्यवधान) खाली ट्रेन भेजकर आप पानी पर राजनीति कर रहे हो।

सभापित महोदय, मैं चाहता हूं कि इस समस्या का स्थायी समाधान और निराकरण होना चाहिए। दस राज्यों में सूखे का संकट है। उत्तर प्रदेश समेत मेरी हर ऐसे राज्य के प्रति संवेदना है जहां सूखे का संकट है। मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि समस्या के समाधान के लिए सबसे बेहतर प्रयास अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। मैं यह बात केवल हवा में ही नहीं कह रहा हूं।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में एक लाख अस्सी हजार बुंदेलखंड के लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, उन्हें समाजवादी राहत पैकेट के नाम से राहत सामग्री दी गई। उस पैकेट में दस किलोग्राम आटा, दस किलोग्राम चावल, पच्चीस किलोग्राम आलू, पांच किलोग्राम दाल, पांच किलोग्राम सरसों का तेल, एक किलोग्राम शुद्ध घी, एक किलोग्राम मिल्क पाउडर, नमक, चीनी, हल्दी आदि

चीजों का पैकेट बनाकर दिया गया। यहां बुंदेलखंड के सांसद होंगे, आप उनसे पता कर लीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिले। प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके कहा कि हमारी बहुत पोजिटिव बैठक हुई। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड के लिए कुछ मांगें रखी थीं। वे मांगें मैं आपके माध्यम से सदन और देश के सामने रखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग की है कि सूखा मेमोरेंडम 2015 का अवशो 1123 करोड़ रुपए को मुक्त करें। ओलावृष्टि मेमोरेंडम 2015 का अवशो 4741 करोड़ रुपए है। 7500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने बांटा और आपने 2800 करोड़ रुपए आपने दिए। हम चाहते हैं कि आप 4741 करोड़ रुपया आप वापिस कीजिए। वी 2015-16 के अंतर्गत जनपदों में कम बारिश की बुआई राहत के लिए 1261 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम है। बुंदेलखंड और विंध्याचल इलाके जो सूखाग्रस्त हैं, 200 मानव दिवस की मांग मनरेगा के अंतर्गत की है। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार करें। बुंदेलखंड क्षेत्र में मनरेगा के तहत 300 रुपए मजदूरी की मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की है, हम चाहते हैं कि इसे भी स्वीकार करें। बुंदेलखंड में 24 पेयजल परियोजनाएं हैं, उनके लिए 1689 करोड़ रुपए की मांग को स्वीकार कीजिए।

सभापित जी, ट्रेन की बात बहुत कही गई, 10 हजार टैंकरों की मांग उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप राजनीति करते रहना, लेकिन टैंकर हमें दे दो जिससे उत्तर प्रदेश के जो प्यासे लोग हैं, उनकी प्यास बुझाने का काम पूरी तेजी से किया जा सके। उनकी प्यास बुझाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कर रही है। आज भी 1100 टैंकर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बुंदेलखंड में चलवाए जा रहे हैं। भारत सरकार उत्तर प्रदेश से 10 गुना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि टैंकरों की मांग को भी भारत सरकार मांगे।...(व्यवधान) हम टैंकर मांग रहे हैं आप दे दो। बड़ी सरकार है, बड़ा खजाना है, आप टैंकर दे दो।...(व्यवधान) बुंदेलखंड की जनता देख रही है कि जब हम बुंदेलखंड की आवाज उठा रहे हैं तो कौन लोग व्यवधान डाल रहे हैं।...(व्यवधान) आप लोग सूखे पर राजनीति कर रहे हैं।...(व्यवधान) अनुराग जी यह गलत बात है।...(व्यवधान) सभापित जी, यह घोर आपित्तजनक बात है।...(व्यवधान) हम गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे।...(व्यवधान)

हमने डॉ. मुंडे जी की बातों को सुना। वे विदर्भ से आती हैं। हमने उनका दर्द सुना। हम बुंदेलखण्ड का दर्द कहेंगे, तो आप नहीं सुनेंगे। ...(व्यवधान) आप कैसी राजनीति करते हो, आपको अफसोस होना चाहिए। ...(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी मांगें की हैं। साथ ही, बहुत सारे साथियों ने मांग की है, उनसे स्वयं को जोड़ते हुए, मैं कहना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) आप यह राजनीति बंद करो। आप क्या बीमा दे रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि आपके चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि किसानों को डेढ़ गुणा

समर्थन मूल्य दिया जाएगा। क्या आपने उनको डेढ़ गुणा समर्थन मूल्य दे दिया? मेरी मांग है और मैं फ़क्र के साथ कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों द्वारा लिये गये बैंकों का साढ़े सोलह सौ करोड़ रुपये का ऋण माफ किया है। हमारी मांग है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का पूरा का पूरा कर्ज और विशोकर सूखाग्रस्त इलाकों का कर्ज माफ किया जाए। ... (व्यवधान) आप केवल सूखाग्रस्त इलाकों का कर्ज माफ कर दें। आप वह भी नहीं कर रहे हैं।

माननीय सभापति: आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री धर्मेन्द्र यादव: देश के सामने संकट है। आप इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत सारी मांगें की हैं। ... (व्यवधान) आप कर्ज माफ कर दें, किसानों को डेढ़ गुणा समर्थन मूल्य दे दें, दस हजार पानी के टैंकर दे दें। समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो उत्तर प्रदेश में ऐसा करके दिखा दिया। आप भी करके दिखा दीजिए। ... (व्यवधान) आपके चिल्लाने से नहीं हो जाएगा। ... (व्यवधान) उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए काम कर रही है। बुंदेलखण्ड की जनता इसे जान रही है। वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जय-जयकार हो रही है। लेकिन भारत सरकार आज तक ध्यान नहीं दे रही है। यह मेरा आरोप भी है और सवाल भी है। मैं मंत्री जी की बहुत इज्ज़त करता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि आप इसे कर दीजिए, आप भी किसान परिवार से हैं। लेकिन आपकी इज्ज़त का क्या करेंगे, यदि आप किसानों पर ध्यान नहीं देंगे।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): माननीय सभापित महोदय, नियम 193 के तहत आज बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। मुझे दुख है कि जितना गंभीर विषय है, उतनी गंभीरता इस हाउस में दिखायी नहीं दे रही है। अपोजीशन में जो सबसे बड़ी पार्टी है, देखिए, वे कैसे बैठे हैं।

में समझता हूँ कि आज देश में जो सूखे की स्थिति है, जब देश के 300 जिलों के लोग सूखाग्रस्त हों और देश की 25 पर्सेंट आबादी संकट में हो, तो इस हाउस में सदस्यों को गंभीरता दिखानी चाहिए। जहाँ तक जल संकट का सवाल है, यह सेहत के लिए, शिक्षा के लिए, पशुओं के लिए भी गंभीर है। खेती में इसका जो प्रभाव है, क्योंकि हमारे देश के 70 पर्सेंट गरीब लोग खेती पर निर्भर करते हैं। आज खेती में उत्पादन कम हो रहा है। किसान खुदकुशी कर रहे हैं और खेती संकट में है। इसका एक कारण जल संकट भी है। इसके और कारण भी हो सकते हैं जैसे खेती की लागतें हैं, ये बढ़ रही हैं। बीज कंपनियों में, मंत्री जी ने स्वयं माना है कि उनकी मोनोपोली है, उन्होंने कहा है कि मोनोपोली तोड़नी चाहिए। इसके लिए सिस्टम बदलना होगा।

मैं समझता हूँ कि सरकार के मुखिया साहब ने कोशिश तो की है, सॉइल हेल्थ कार्ड लाकर, फसल बीमा स्कीम लाकर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाकर। उन्होंने नैशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात की है। उसमें केवल 17 पर्सेंट किसानों को ही फायदा होगा क्योंकि 83 पर्सेंट किसानों के पास तो पाँच एकड़ से कम भूमि है, वे तो अनाज मार्केट में बेचते ही नहीं।

पानी का महत्व हमारे जीवन के लिए और खेती के लिए बहुत ज्यादा है। हमारी वाणी में लिखा है - पहला पानी जिओ है। गुरुओं ने हमारी वाणी में पानी को पिता के रूप में बताया है- पवन गुरू पानी पिता। यहां एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। यह नेचुरल कैलामिटी है, क्लाइमेट की वजह से सूखा आता है, लेकिन में कह सकता हूं कि अगर सरकारें, देश और समाज इकट्ठा होकर इस संकट से निपटेगा तो लोगों को जो नुकसान हो रहा है, उसे हम कम कर सकते हैं। बड़ी गंभीर बात है। सरकार ने सर्वे किया है कि जल की उपलब्धता देश में 1870 बिलियन क्यूबिक मीटर है, उसमें से 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का हम उपयोग कर सकते हैं, मगर दुख की बात है कि अभी तक हम 450 बिलियन क्यूबिक मीटर सर्फस वाटर और 240 बिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउण्ड वाटर ही यूज कर पाए हैं। इस तरह से हम कुल 690 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर ही यूज करते हैं।

आज यहां सूखे पर बहस हो रही है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि यूएनओ ने भी रिपोर्ट दी है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण दस हजार बिलियन डालर का नुकसान होता है, उसमें से 7,470 मिलियन डालर का नुकसान बाढ़ की वजह से होता है। हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा कि हम इस

पानी को कैसे बचा सकते हैं। रिपोर्ट आई है कि बारिशों का 70 प्रतिशत पानी खत्म हो जाता है। मेरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र के साथ जुड़ता है, अनुराग जी का भी साथ ही है। वहां से पानी चला जाता है, हमारे खेतों में नहीं आता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ से आगे जाकर पाकिस्तान वालों ने बांध लगा लिया, सूरतगढ़ में पानी ही पानी है। अगर हम पानी को यहां संभाल पाएं तो उसके लिए हमें स्कीम बनानी चाहिए। मैंने कई बार बोला है, आज माननीय कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मनरेगा में सबसे ज्यादा प्राथमिकता इसे दें।...(व्यवधान) चौधरी साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी से बोल दीजिए कि मनरेगा का सारा पैसा, आपने बहुत अच्छी स्कीम बनाई कि आप तालाब खुदाई के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी के पास पैसा नहीं पहुंचा। मनरेगा वाले अन्य काम करते हैं, कभी टोपे की सफाई, कोई सड़कों पर मिटटी डालने आदि का काम कर रहे हैं। अगर सारा पैसा तालाबों की खुदाई में, झीलों की खुदाई में लगाया जाए, चेक डैम बनाए जाएं, लो डैम बनाए जाएं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंटरलिंक्ड रिवर की बात कहते हैं, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। यह दो-दो, तीन-तीन राज्यों के आपसी झगड़े का कारण बन जाएगा और सबसे ज्यादा खर्च आएगा। 11 लाख करोड़ रुपये में अगर हर प्रदेश में पानी को संभालने के लिए कोशिश हो तो देश आगे बढ सकता है, इस संकट से निकल सकता है। इसमें एक दिक्कत आती है कि हमारे जो मंत्रालय हैं, पानी का मंत्रालय किसी के पास है, खेती का मंत्रालय किसी के पास है, माइन्स का मंत्रालय की किसी के पास है और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री किसी अन्य के पास है। अनुराग जी को मालूम है, जब हम नदियों पर चेक डैम लगाते हैं, हम लो डैम लगाते हैं या जब हम तालाब की खुदाई करते हैं तो माइन्स वाले कहते हैं कि खुदाई न करो, फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि यह इनवायरनमेंट का मामला है। इसलिए नेशनल लेवल पर कोई वाटर मैनेजमेंट बोर्ड होना चाहिए, ये चारों मंत्रालय इकटठे हों तभी इससे काम बन पाएगा, हम पानी को संभाल पाएंगे।

आज हमारा ग्राउण्ड वाटर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहे पानी को खेती के लिए यूज करना बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए जब तालाब और झीलें बनेंगी तो हम सस्ता पानी खेती के लिए ला सकेंगे।

वन ड्रॉप-मोर क्रॉप का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कांसेप्ट है, उसे सफल करने के लिए ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, उसमें हमें सब्सिडी देनी होगी। आप सब्सिडी कम देते हैं, किसान उसे लगाता नहीं है। किसान अपना नुकसान क्यों करे। इसलिए यदि हम अपने पानी को पिता के रूप में समझें तो हमें पानी की वेस्टेज रोकनी होगी। आज इतना नुकसान हो रहा है? हमने पानी को मिसयूटिलाइज किया, पानी की मिसमैनेजमेंट की और इसका उपयोग नहीं कर पाए, इसलिए हमें ऐसा संकट झेलना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट बोर्ड बन जाए, ये

चारों मंत्रालय इकट्ठे हो जाएं तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि इस देश के किसानों की आमदनी डबल करना है, वन ड्रॉप-मोर क्रॉप का सपना है, वह सफल हो पाएगा।

अंत में में एक ही बात कहना चाहता हूं जो हमारे पंजाब की प्रोब्लम है। सूखा दो-तीन किस्म का है। एक सूखा वह है, जहां सूखा पड़ गया और किसान बुआई नहीं कर पाया। हम उसको भी कम्पनसेशन दे देते हैं। एक सूखा वह है जहां बुआई कर ली, लेकिन कम्पलीट फसल नहीं हो पायी। उसको भी हम कम्पनसेशन दे देते हैं। तीसरा सूखा वह है, जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को झेलना पड़ रहा है। वहां बारिश भी सबसे कम हुई और बुआई भी सबसे ज्यादा कर ली, फसल भी सबसे ज्यादा उगा ली और कहा गया कि आपको कम्पनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पेरामीटर्स पूरा नहीं करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पैरामीटर्स को चैंज किया जाए। हमारा कुसूर क्या है, क्या हमने ज्यादा प्रोडक्शन कर ली, फूड सिक्यारिटी में ज्यादा हिस्सा डाला, हमने अपना पानी खत्म कर दिया, हमने अपनी धरती की शक्ति को खत्म कर दिया देश का पेट भरने के लिए? इसलिए जो नाम्स हैं, नाम्स क्या हैं, कहते हैं कि जो प्रोडक्शन है, उसकी ऐवरेज ली जाएगी। प्रोडक्शन हमारी ज्यादा हो जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन नाम्स को चैंज करके जो प्रदेश देश के फूड बाउल में योगदान डालते हैं तो उनको ज्यादा कम्पनसेशन देना चाहिए। उनका खर्च केन्द्र सरकार को उठाना चाहिए। हमारा पिछले समय का पैसा पड़ा हुआ है। देश में सबसे कम बारिश हुई और हमें पैसा नहीं दिया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सिंचाई की योजनाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में लिया जाए, इसको प्राथमिकता दी जाए, तभी देश ऐसे संकट से बच पाएगा। धन्यवाद।

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to participate in the debate, when the country is discussing an important issue, that is, drought, water scarcity and the interlinking of rivers. Drought in India is not a new thing. But what is important is how we deal with it.

Drought is not new to India. Between 1802 and 2002, in the last 200 years, the country has experienced 42 severe droughts, almost once in every five years. Between 1900 and 2006, 1,061 million people were affected and 4.5 million people lost their lives. The important thing is around 68 per cent of cultivable land in India is susceptible to drought meaning failure of rains from south-west monsoon. It is a known fact that there are three types of drought – meteorological, hydrological and agricultural, but all put together, the common thread or cause is the shortage of water.

This House is aware of the reality that drought is a natural calamity and it is not man-made. Nobody can be blamed, but we have to understand one thing, that is, drought cannot be prevented, but if properly tackled, the effects can be minimized. This is what we have failed to understand, which is what I feel.

In India, the severity of drought is aggravated due to the bad management of water resources. Whatever reservoirs we have in Karnataka, I will come to it later and tell you how we have failed to utilize it and what the situation today is. I will come to that point later. However, I would like to tell one thing. We are facing problems because of lack of storage facilities, proper distribution network and proper planning for its utilization. India receives around 4,000 billion cubic metres of rain annually or about one million gallons of fresh water per person every day, but the problem, as I said, in its storage and management. India has around 18 per cent of the world's population with 2.3 per cent of geographical area and four per cent of water resources.

It is unfortunate that even after 70 years, after having so much of rain वैसे तो भारत की नेचर ने भारत के ऊपर बहुत उपकार किया है। Many a time we are having almost all types of rich natural resources in the country. In spite of that, in the last 200 years,

we had 42 severe droughts. The thing is that in the last 70 years after getting Independence, we could have managed it by proper water management. But we have miserably failed.

Today the situation in the whole country is the worst in the last 40 years. About 246 districts in ten States have been declared as drought-affected during the present fiscal year. There has been 14 per cent deficit in rain especially during the South-Western monsoon. The Central Government is trying to do its best to facilitate the States to fight this drought and to minimise its effect. But ultimately in the federal structure, it is the State which has to tackle the situation. But many States have miserably failed in this. For example, Karnataka is reeling under drought which is said to be the worst in forty years. About 136 talukas have been affected badly and they have been declared as drought-hit. The worst among them is the North Karnataka area. The position of dam is a worrying factor. The Northern districts have registered 70 per cent deficiency in rainfall. The Almatti dam in Bijapur District faced the worst drought since its inception. Water catchment is not even half full with the present capacity of 32.23 TMC, while the full capacity of dam is 51.61 TMC. This is the situation. As a result, both the kharif and rabi crops have been totally wiped out. The analysis of the Revenue Department shows that it is an unprecedented situation with the failure of crops in the same year. According to the data, 74 lakh hectares of the primary *kharif* _crop has been lost and eight lakh hectares saw no sowing due to absence of rain.

I have pointed out earlier that the drought is inevitable but the management of it is important. We all know which party was ruling Karnataka State for long years. It is known to all. Look at the electric power situation in Karnataka. The three-phase electric power is supplied for just two to three hours in villages. I would like to explain it. One of the persons by name Girish complained to the State Power Minister about the shortage of power in his village. For having called one or two times, the Power Minister lodged a police complaint and that person was arrested. I would tell you as to how he was arrested. During midnight, the

police went to his residence. He did not open the door. But the police broke open the terrace and entered his house and he was arrested. This is how a person who demanded electric power to his village was treated. Supply of electric power for just two to three hours is affecting even the drinking water. Ultimately, people are dependent on the bore well water. When they have to draw water from the bore well, electricity is needed. ... (Interruptions) सुरेश जी, आप मिनिस्टर के ब्रदर हैं, इसीलिए आप डिफैंड करते हैं। आप उधर बैठे हैं, आप चुप बैठिये।...(व्यवधान) उधर बैठकर ऐसा करते हैं। ... (व्यवधान) He has now understood the incident that I have narrated. What has happened is that he has been jailed. He has been prosecuted. This is a fact. How is water management done by these people? With all west and east flowing rivers in the State including the major rivers Krishna and Cauvery, the State has a potential of 3,425 TMC of water resources excluding ground water. But given the situation, only 1,695 TMC can be economically utilised for irrigation purpose. Who has ruled the country and the State for the last 70 years? Let them understand this.

Out of 3,475 TMC of water, they have just been able to use 1,695 TMC of water. Though in the Krishna Basin we have got 903 TMC, even after more than 50 years of Congress rule in Karnataka they are not able to utilise 700 TMC of water. And what does their Chief Minister say? Day in and day out he accuses Prime Minister Modi.

What is the situation today? He has recently demanded Rs.12,000 crore. As of now if I can quote the entire country's allocation, Rs.10,275 crore have been released in 2015-16 to the State Government, of which Rs.6,055 crore was released to the State by 31-3-2016 and the remaining Rs.4,220 crore was released on 8-4-2016. But I would like to remind them.... (*Interruptions*) ध्रुव नारायण जी, अगर आप उधर बैठ कर बात करते I would have appreciated your concern. You are more

bothered about your leader than the drought. लीडर चली गईं, ... * दिलत नेता उधर बैठे हैं। ... * दिलत नेता इधर बैठे हैं, क्या करें यही ये पार्टी है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। अभी ... * भी नहीं हैं। ... (Interruptions) Further, the Central Government has released a total of Rs.2,551 crore as the first instalment of Central share in SDRF to the 10 drought affected States.

The 14th Finance Commission has enhanced the State Disaster Response Fund. That also has been released to the States, Rs.61,221 crore has been released. We should appreciate the fact that for the first time ever the Prime Minister himself called the Chief Ministers of all the affected States. This has happened for the first time in the country after seventy years of Independence. The Prime Minister called all the Chief Ministers. For the first time Shri Siddaramaiah appreciated Shri Narendra Modi saying he welcomed this step.

He demanded Rs.12,000 crore and stated that what he demanded was not given. Karnataka Government in the first instance demanded Rs.2,278.7 crore. Out of that, Rs.1,540.27 crore has been released. This is 69 per cent of the amount requested for. Never in the history of the country 69 per cent of the demanded amount was given. When we were ruling in 2011-12, the situation was the same in Karnataka.

We demanded around Rs.6,200 crore but the then UPA Government led by Sonia Gandhi, because ultimately it was Sonia's rule, released just Rs.469 crore which is eight per cent of the demand. But this Government released 69 per cent. And what is your position there? It was released in September 2015. Today in 2016 May, you are yet to disburse Rs.346 crore in the State.

What did the Modi Government do? The Modi Government, without thinking even for rabi, released Rs 723 crore. It has been sanctioned and it is going to be released any time. ... (*Interruptions*) You have not utilized not only this, you are yet to utilize Rs 346 crore. I would also like to tell you that the

.

^{*} Not recorded.

performance of the Karnataka Government is so low that the target for making of ponds and dug wells was around 1,11,340 but work done is just 8763 which is seven per cent of the total target. ... (*Interruptions*) This is the situation in Karnataka.

I would also like to mention that in Rashtriya Krishi Vikas Yojana, Rs 346 crore was released in 2015-16. The total amount available was Rs 347 crore and the expenditure is Rs 129.23 crore. ... (*Interruptions*) How much money they did not spend? They did not spend Rs 218 crore on Rashtriya Krishi Vikas Yojana. This is as per the statistics. It is their statistics, not mine.

In National Food Security Mission, in 2014-15 the release was around Rs 169 crore and the expenditure is Rs 135 crore. They were not able to spend around Rs 34 crore. ... (*Interruptions*) In 2015-16 which ended recently, in National Food Security Mission, the total fund available was Rs 167 crore which the Centre released. Out of that, they spent just Rs 39 crore. They were not able to spend Rs 127 crore.

I can quote many figures like integrated scheme for oilseed, pulses, palm oil and maize. In that, they have been allotted Rs 13.35 crore and the total fund available was Rs 18 crore. They have spent just Rs 48 lakh. This is how they have dealt.

I quoted the figure of Rs 1540 crore. The amount was released in September. A team of four Ministers constituted by Shri Siddaramaiah went to Haveri, the district of Shri Shivkumar Udasi last month. Just a week back, Shri Siddaramaiah went there and suspended 20 officials. Why was the amount not disbursed? ... (*Interruptions*)

श्री राजीव सातव (हिंगोली): महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बात रखने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे सभी साथी आज वेल में हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय पर, जब किसान की बात आती है, जब देश के किसान की समस्या की बात आती है तो आज हमारे वेल में रहने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ पर बात रखने का मौका दिया, मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगा।

महोदय, अभी हमारे विष्ठ नेता जोशी जी यहाँ पर बात कर रहे थे और जोशी जी की बात पर मुझे दो लाइन याद आईं कि झूठ बोले कौआ काठे, काले कौए से डिरओ, जनता आपको घर भेजेगी, देखते रिहओ। यहाँ पर यह चर्चा चालू है। रक्षा मंत्री जी दाद दे रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ पर हम अकाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुझे अपेक्षा थी कि जब अकाल की बात हो रही है, देश के दस राज्यों में अकाल है, देश के दस राज्य इससे जूझ रहे हैं।

मुझे अपेक्षा थी कि हमारे सदन के नेता आदरणीय प्रधान मंत्री जी यहाँ पर होंगे, गृह मंत्री जी यहाँ पर होंगे। ... (व्यवधान) अभी थोड़े दिन पहले आपने राजमाता की बात की। जब राजमाता की बात कर रहे हो तो आपके टिवटर पी.एम. कहाँ हैं, यह भी हम पूछना चाह रहे हैं। जब टिवटर पी.एम. की बात हम करते हैं, आपने बात निकाली तो मैं भी आपके साथ यहाँ पर बात करना चाहूंगा। जब ट्विटर पी.एम. की बात हम करते हैं, प्रधान मंत्री जी हर बात पर टवीट करते हैं, तो 17 मई, 20014 से 6 मई, 2016 तक मुझे अपेक्षा थी कि प्रधान मंत्री जी अकाल के बारे में कुछ बात करेंगे। अंग्रेज़ी में ड्राउट कहते हैं। तो उन्होंने ड्राउट पर ट्वीट ज़ीरो बार ट्वीट किया है, शून्य ट्वीट किया है। मुझे लगा कि हिन्दी में किया होगा। सूखे पर ज़ीरो बार ट्वीट हुआ, आत्महत्या पर पिछले दो सालों में प्रधान मंत्री जी का ज़ीरो बार ट्वीट रहा। विदर्भ के बारे में शून्य बार ट्वीट रहा। मराठवाड़ा के बारे में एक भी ट्वीट प्रधान मंत्री जी द्वारा पिछले दो साल में हुआ नहीं है। हर रोज़ बीस-बीस ट्वीट प्रधान मंत्री जी के द्वारा होते हैं, लेकिन एक बार भी प्रधान मंत्री जी को सूखे के बारे में, विदर्भ के बारे में, आत्महत्या के बारे में, मराठवाड़ा में परेशान किसान के बारे में बात करने के लिए यहाँ समय नहीं मिला, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। यहाँ पर हमारे कृषि मंत्री बैठे हैं। पिछले दो सालों से आदरणीय कृषि मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। लेकिन कृषि मंत्री जी कितने परेशान हैं? अकाल की सहायता कौन देता है? अकाल की सहायता गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी देती है। लेकिन गृह मंत्री तो यहाँ बैठे ही नहीं हैं। उनको तो पता ही नहीं है सदन की भावना क्या है। हम बैंक की बात करते हैं तो कृषि मंत्री जी कहते हैं कि बैंक को हम ऋण देने में लगाएँगे। कृषि मंत्री जी की बात लेकर हम बैंक के पास जाएँगे, तो बैंक हमें दरवाज़े पर खड़ा नहीं करता, यह आज की स्थिति है।

यहाँ पर प्रधान मंत्री नहीं हैं, यहाँ पर वित्त मंत्री नहीं हैं, यहां पर गृह मंत्री नहीं हैं और यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज़ मिनिस्टर भी उपस्थित नहीं हैं और अकाल की बात आप कर रहे हैं। यह कौन सी बात आप कर रहे हैं? अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के विष्ठ नेता भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। इससे दिखता है। ...(व्यवधान) पर्रिकर साहब अकेले विष्ठ नेता नहीं हैं। अगर पर्रिकर जी को अकेले विर्ठ नेता आप मानते हैं तो पर्रिकर जी को आगे एड्रैस करेंगे। ...(व्यवधान) ये अकाल की बात कर रहे हैं। मुझे याद है कि 20 मार्च, 2014 को मेरे ज़िले में प्रधान मंत्री आए थे। प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार थे और तब बड़ा मशहूर मामला था - चाय पर चर्चा। हमारे यहाँ डाबड़ी में चाय पर चर्चा के लिए प्रधान मंत्री आए थे। हमें भी लगा था कि ये जब आगे प्रधान मंत्री बनेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। दो साल हो गए लेकिन उस चाय पर चर्चा मंं भाग लेने वाले विट्डल राठौर नाम के किसान ने 9 महीने में खुदकुशी की। ...(व्यवधान) कोई मिलने नहीं गया। इलैक्शन के वक्त आप वोट लेने के लिए जाते हैं। बाद में जिस किसान ने खुदकुशी की, उसके घर कोई नहीं गया।...(व्यवधान) हमारे राज्य के मुख्य मंत्री एक किसान के घर गए जिसने आत्महत्या की। उसकी पत्नी से वह मिले और आठ दिन में उस पत्नी ने आत्महत्या की। राज्य का मुखिया जाता है, उसके बाद भी वह विश्वास नहीं दिला सकता, यह सरकार की स्थिति है। इसलिए दिखता है कि किस प्रकार से सरकार का काम चल रहा है।

सभापित जी, मैं आदरणीय अध्यक्षा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने चार-पाँच दिन पहले स्पीकर रिसर्च इनीशियेटिव का आयोजन किया था। उसमें झाउट पर चर्चा हुई, उसमें वाटर पर चर्चा हुई। उसमें बड़ी अच्छी चर्चा हुई। ...(व्यवधान) महोदय, अभी तो शुरू किया है। दो-तीन मिनट का समय दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: टाइम की शॉर्टेज है।

श्री राजीव सातव : उस चर्चा में जो रिसर्चर्स आए थे, मंगला राय जी थे और अनेक सांसद भी उसमें थे। उस चर्चा में जो रिसर्चर आए थे, उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार को एक साल पहले हमने बताया लेकिन एक साल में राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।

अकाल पड़ने वाला है, बहुत बुरी हालत आने वाली है, लेकिन बताने के बावजूद राज्य सरकार ने कुछ किया नहीं। मनरेगा के अन्तर्गत वहां पर कोई काम नहीं हुआ है और यहां पर मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगा कि अगर किसी को किसी ने राहत दी है तो वह सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है।

धन्यवाद।

श्री चिराग पासवान (जमुई): सभापति महोदय, आज आपने बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।

पिछले दो साल से बारिश कम हो रही है और इस वजह से सूखे जैसी त्रासदी की आशंका तो पहले ही थी, लेकिन क्या इस भयावह सूखे की वजह सिर्फ कम बारिश और बारिश पर हमारी निर्भरता है? मेरा मानना है कि बारिश की कमी के अलावा हमारी प्लानिंग और हमारे प्रबन्धन की भी कमी है और हममें यह कमी दशकों से रही है। हम खतरे को जान-बूझ कर अनदेखा करते हैं। आंकड़े मेरे पास भी हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे लगभग 11 राज्यों के 256 जिले सूखे से प्रभावित हैं, सूखे की चपेट में है, लेकिन मैं इन आंकड़ों में नहीं पड़ना चाहता। हकीकत यह है कि अगर एक भी जिला सूखे से प्रभावित होता तो हमें इतना ही दर्द होता। अगर हमारे एक भी किसान भाई को सूखे की वजह से आत्महत्या करनी पड़ती तो हमें इतना ही दुख होता। मैंने सदन में इससे पहले भी इस बात को कहा था कि कुछ ऐसे विाय हैं, जिनमें हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा करने की जरूरत है और यह विषय उन्हीं में से एक है।

हमें विरासत में क्या मिला और क्या नहीं मिला, इस पर चर्चा करने से ज्यादा जरूरी है कि हम विरासत में क्या छोड़कर जाने वाले हैं। पिछले 60 सालों में इन्होंने देश निर्माण में क्या किया, क्या नहीं किया, उससे ज्यादा जरूरी इस बात की चिन्ता करना है कि आज की इस संकट की स्थिति में इनका क्या योगदान रहने वाला है, जो आने वाले समय में देश और दुनिया को याद रहे। इसी क्रम में मैं अपनी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से दो सुझावों पर बहुत ही संक्षेप में अपने विचार रखना चाहता हूं।

सबसे पहला इंटरिलंकिंग ऑफ दि रीवर्स है, निदयों को जोड़ने की योजना, काफी समय से हम इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह एक ऐसी प्रभावशाली योजना है, अगर सही मायनों में धरातल पर उतर जाये तो पानी से जुड़ी हुई हमारी अधिकांश समस्याओं का इससे हल हो सकता है। इंटरिलंकिंग ऑफ दि रीवर्स देश भर में एक पैटर्न हम लोगों ने देखा है कि कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां पर ज्यादा बारिश होती है। कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां पर एवरेज बारिश होती है। कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां पर न के बराबर बारिश होती है। मैं जिस प्रदेश बिहार से आता हूं, वहां पर भी हमने देखा है कि एक कोसी की बैल्ट है, जो बाढ़ से प्रभावित रहती है, पर कुछ ऐसे इलाके हैं, जो कि सूखे से प्रभावित रहते हैं। मेरे खुद के जमुई लोक सभा क्षेत्र में, जिसमें शेखपुरा जिले की शेखपुरा विधान सभा भी आती है, उसके तो कुछ घाटकुसुम्बा जैसे प्रखण्ड ऐसे हैं, जो कि बाढ़ से प्रभावित रहते हैं और अरिअरी जैसे प्रखण्ड, जहां पर सूखा पड़ा रहता है। मुझे विश्वास है कि अगर यह इंटरिलंकिंग ऑफ दि रीवर्स किया जायेगा और ऐसे इलाके,

जहां पर ज्यादा पानी है, जहां पर वाटर टेबल हाई है, उसको डाइवर्ट करके, चैनलाइज़ करके ऐसे इलाकों में भेज दिया जाये, जहां पर कम पानी है तो इस योजना के बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को हम लोगों को मिलेंगे और इससे जुड़ी हुई पेयजल की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो या फिर सूखे और बाढ़ की समस्या हो, उस पर काफी हद तक अंकुश लगाने में हम कामयाब रहेंगे। हमारी एन.डी.ए. की पहली सरकार ही इस योजना का प्रस्ताव लेकर आई थी। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की मौजूदा एन.डी.ए. की सरकार इसको पूर्णतया धरातल पर उतारने का कार्य करेगी।

दूसरा प्रस्ताव, जिस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं, वह वाटर पॉलिसीज़ को लेकर है। यह जरूरी है कि आज के समय में कुछ जल नीतियों के ऊपर हमें पुनः कार्य करने की, उस पर पुनः चर्चा करके उन्हें सुधारने की, उन्हें और मजबूत करने की, सूखे से निपटने के लिए जरूरी है कि केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर जल संरक्षण के साथ-साथ जल प्रबन्धन की एक ऐसी प्रभावी योजना तैयार करें, जिससे अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि पानी कम हो तो कम से कम देशवासियों को कम पानी का एहसास न हो, उन्हें इसके द्वारा आने वाली कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

हमने खाद्य सुरक्षा कानून की सौगात तो देशवासियों को दी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि खाद्य सुरक्षा जल सुरक्षा के बिना पूर्णतः अधूरी है। जरूरी है कि हमें इस सदन में बैठ कर जल सुरक्षा कानून पर भी चर्चा करने के लिए एक ऐसा कानून बनाये जाने की, जैसे भोजन का अधिकार हमने सब को दिया है, उसी तरीके से पीने के पानी का कानूनी अधिकार हम अपने देशवासियों को दे सकें, इस पर भी मैं चाहूंगा कि सदन इस पर भी चर्चा करे। हमें अपने जल संसाधनों का बेहतर प्रबन्ध करना होगा, जिसके लिए कि शायद और बेहतर और प्रभावी वाटर पॉलिसीज़ की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ इसी के जरिये हम सूखे और पानी की कमी के असर को सीमित कर सकते हैं।

महोदय, सूखे से लड़ने की जो इच्छाशक्ति हमारी एनडीए की सरकार ने दिखाई, वह इसी बात से साफ जाहिर होती है, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस मसले पर अपनी संजीदगी दिखाई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर एक हल निकालने की कोशिश की। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे वित्त मंत्री जी का भी, जिन्होंने पहले ही तमाम राज्यों को हर संभव सहायता का आश्वासन दे रखा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे रेल मंत्री जी का भी जिन्होंने प्रभावित इलाकों में रेल के माध्यम से पानी भिजवाने का काम किया। सर, ये टेंपरेरी सोल्यूशंस हैं। जरूरत है हमें परमानेंट सोल्यूशंस पर काम करने की, एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की जिससे कि आने वाले समय में कम से कम हमें इस तरह की भयावह तस्वीरें देखने को न मिलें, जिस

तरीके से टेलीविजन या प्रिंट मीडिया के माध्यम से सूखा प्रभावित इलाकों की जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी, आने वाले समय में ऐसी भयावह तस्वीरें हम लोगों को देखने के लिए न मिलें।

सर, अंत में अपनी बातों को समाप्त करने से पहले इस विश्वास के साथ कि आज इस चर्चा के बाद सरकार जो भी निर्णय ले, वह एक परमानेंट सोल्यूशन के तौर पर हमारे देश के सामने प्रस्तुत हो और जो भी निष्कर्ष निकले, वह इतना ठोस और मजबूत हो कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को जल जैसी अमूल्य सौगात, अमूल्य धरोहर सुरक्षित तौर पर सौंप कर जा सकें। इन्हीं बातों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): सभापित महोदय, आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैंने तमाम मित्रों के भाषण सुने हैं। मैं अपनी बात को बुंदेलखंड और नर्मदा से बाहर नहीं ले जाऊंगा, जो मैं जानता हूं, सिर्फ उतनी ही बात करूंगा। एक प्रार्थना जरूर आपके माध्यम से सदन से है कि सूखे से निपटने के लिए जो सकारात्मक प्रवृत्ति हमें चाहिए, मुझे लगता है कि हम सब उस पर बहुत गंभीरता से विचार करें। हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि जब से देश आजाद हुआ है, तब नहीं उसके पहले से भी इस देश के साथ में बड़ा षड़यन्त्र हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे नीति शास्त्री या हमारे विचारक अपनी बात नहीं कह गए। मैं हमेशा सदन में उस बात को कोट करता हूं, शायद तीसरी बार कह रहा हूं। दैशिक शास्त्र में लिखा है कि जब भी आप धन को नजरंदाज करेंगे और द्रव्य पर ध्यान देंगे और द्रव्य की ताकत बढ़ेगी तो ये परिस्थितियां सामने आनी ही हैं। धन क्या है? हमारी जमीन, हमारे जंगल, हमारे जानवर और हमारा जल। अगर आज सूखे से कोई प्रभावित है तो ये चारों चीजें प्रभावित हैं। लोग पैसे की मांग कर रहे हैं। जिस द्रव्य की आलोचना हमारे उन मनीषियों ने की धी, हम उसके इर्द-गिर्द घूमने की कोशिश कर रहे हैं। यह तात्कालिक प्रभाव हो सकता है लेकिन यह स्थायी समाधान कभी नहीं हो सकता है।

में मध्य प्रदेश से आता हूं और बुंदेलखंड से आज संसद सदस्य हूं। नर्मदा को मैंने किनारे चलकर देखा है, वह ग्लेशियर की नदी नहीं है। लेकिन आज देश के लगभग 285 शहर और कस्बे उससे पानी पी रहे हैं और जो किनारे पर सिचांई कर रहे हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है। मेरा कहना है कि सदन क्या इस पर विचार करेगा? आज भी हमारे पास में पशुधन की संख्या का वाजिब अनुमान नहीं है। चारागाहों का अनुमान नहीं है, बल्कि हमने उन्हें घटाया है। आज ही एक अखबार में मैं दिल्ली की रिपोर्ट पढ़ रहा था। यहां पर 1,011 तालाबों में से, जो आंकड़ा कल मैंने एक अखबार में पढ़ा, यह सामयिक है, कुल 1,011 तालाबों में से कुल 971 तालाब दिल्ली में बचे हैं। हम दुनिया की बात न करें, दिल्ली वह है

जहां हम बैठकर यह चर्चा कर रहे हैं। वहां 40 का अस्तित्व समाप्त हो गया, उसमें 338 सूखे हैं, 321 में पानी है, लेकिन वह गटर का पानी है, अतिक्रमण 168 पर हुआ है, आंशिक रूप से 70 और पूरी तरह से 98 तालाब यहां समाप्त हो गए हैं, यह राजधानी का हाल है। तालाबों पर जो निर्माण हुए हैं, वहां 117 तालाबों पर अट्टालिकाएं खड़ी हो गई हैं। उसमें कहते हैं कि 78 कानूनी हैं और 39 अवैध हैं।

<u>17.04 hours</u> (Shri Hukum singh *in the Chair*)

में ऐसे ही टीकमगढ़ का उदाहरण दूंगा, बुंदेलखंड में 1,065 उस समय के परमारकालीन और चंदेलकालीन तालाब थे जिनमें आज कुल 450 बचे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन से यह कहना चाहता हूं कि अगर हमने पुरानी विरासत को ही संभालकर रखा होता तो यह संकट आज पैदा न होता। अगर हमें चर्चा करनी है, तो आज कितने दिन बचे हैं? हम नीति आयोग के पास बुंदेलखंड के सांसद गए थे। हमने उनसे आग्रह किया कि 22 काम करने के दिन हमारे सामने बचे हैं। अगर वह यंत्रों से नहीं हो सकता है तो वह काम नहीं हो सकता है। वर्षा आने के बाद में किसी भी तालाब की रिसिल्टिंग नहीं हो सकती है। आज छोटा तालाब या बड़े तालाब की रिसिल्टिंग करेंगे तो वही समाज, जिसके दरवाजे पर वह तालाब है, उससे वह निस्तार करेगा, सिंचाई करेगा और उससे वाटर लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन, हम ने उसको प्राथमिकता नहीं दी। राज्य की पैरवी करने वाले तमाम लोगों ने अपनी पैरवी की है, मैं दलीय आधार पर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि आज से तीन महीने पहले सूखे ने देश के सामने दस्तक दे दी थी। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई दुंगा, जिस समय उन्होंने राज्य के प्रमुखों को बुलाया था, क्या उन्होंने अपनी प्राथमिकतायें तय की, क्या उन्होंने रिसिल्टिंग के लिए पैसा दिया? बजट का पैसा बजट पास होने के बाद जायेगा लेकिन अगर आपके पास में जो काम करने के दिन हैं, उस समय आपके पास संसाधन नहीं है तो यह मौसम किसी का इंतजार नहीं करेगा, पानी किसी का इंतजार नहीं करेगा, उसके बाद आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। क्या हम इस पर विचार करेंगे?

सूखा सिर्फ आदमी को परेशान नहीं करता है, आदमी तो एक जगह से दूसरी जगह चले जायेंगे, लेकिन मवेशी कहां जायेंगे? जहां सूखा है, वहां घास नहीं मिलती है, हम लाख दावे करें, परिवहन करके पशुओं का पेट नहीं भर सकते हैं, यह जमीनी सच्चाई है। जो गांव में रहते हैं, उससे उनका सामना हुआ है, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि यह तात्कालिक समाधान नहीं है, कोशिश की जा सकती है लेकिन उसका पेट नहीं भरा जा सकता है।

मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है और जहां तक काम करने की बात है, मैं बुंदेलखंड से चुन कर आया हूं, हमारे इलाके में आल्हा की पत्नी के नाम पर एक बेला ताल है। बिना सरकारी खर्च के वह तालाब जीवित हो गया और आज उसमें कम से कम डेढ़ मीटर पानी है। ऐसा नहीं है कि यह नहीं हो

सकता है, हमारे बुजुर्गों ने जो व्यवस्था दी है, उसके कैचमेंट पहले से भूगोल के आधार पर बने हुए हैं। लेकिन हम ने उनको गंदा करने का काम किया है। इसलिए हमें सूखे के कारणों को जानना पड़ेगा।

सभापित महोदय, जहां पर कैश क्राप्स होती हैं, मैं नरिसंहपुर जिले में पैदा हुआ हूं, जहां पर एशिया महाद्वीप का सबसे उपजाऊ भूमि है। लोग कहते हैं कि जब से वहां पर नर्मदा की कृपा है तब से आज तक नरिसंहपुर में अकाल नहीं पड़ा। आज हमारे यहां तीन सौ फीट के बाद पानी मिल रहा है। हमारी बारहमासी जितनी निदयां थीं, सारी की सारी सूख गईं।

वर्ष 1996 में जब मैं बंजर विकास भूमि की सब-कमेटी का सदस्य था, मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, मैंने कहा था कि सब लोग नर्मदा से लेने काम करना चाहते हैं, उसे देने का काम कोई नहीं करना चाहते हैं, वह ग्लेशियर से निकलने वाली नदी नहीं है। हमने अनेक बार कहा कि जो बंधान प्रणाली नरसिंहपुर जिले की है, जबलपुर की पाटन तहसील की, वह उनकी जीवन रेखा है। वह नर्मदा को जल देने का सबसे बड़ा तंत्र था। लेकिन किसान गलत नीतियों के कारण परेशान हुआ। वे बच्चों को पढाने के लिए कैश क्राप्स की तरफ गये, पहले हम सोयाबिन की फसल की तरफ गये और अब गन्ने की फसल की तरफ गये, उसका यह परिणाम हुआ कि हमारी बारहमासी चलने वाली नदियां सूख कर खत्म हो गईं और आज नदियां नहर बन गई। रानी अवंती बाई सागर की नहरों से आज उन नदियों में पानी डाले तो डाले, वरना एक बूंद पानी उनमें नहीं बचता है। यह परिस्थितियां हमने पैदा की है, यह हमारी गलतियों का परिणाम है। हम इस पर कभी विचार करेंगे कि हमारी जो रिचार्जिंग की परम्परागत सिस्टम थी, पत्थरों से रिचार्जिंग नहीं होती है, लाल मिट्टी से रिचार्जिंग नहीं होती है। हमारी बहन जी अभी बोल रही थीं, मैं जीओलॉजी का छात्र रहा हूं। अगर रिचार्जिंग के सिस्टम के बारे में सोचना है तो रिचार्जिंग की जो जमीन है, काली मिट्टी होगी तो रिचार्जिंग होगी, बाकी अन्य जगहों पर रिचार्जिंग नहीं होगी। रेत से रिचार्जिंग हो सकती है लेकिन वह पानी आपको मिलेगा या किसी और को मिलेगा, इसका दावा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि तंत्र बनाने से पहले क्या हम इस पर बात न करें? यह सदन केवल आलोचना करने के लिए नहीं है। अगर सरकार ने गलती की है तो आप आलोचना करिए लेकिन सरकार ने चेताया, भारत सरकार की जितनी हिस्सेदारी है, उसने तय की, सदन में एक प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री जी ने कहा था कि आपदा का पैसा बजट पास होने के 48 घंटे बाद दे देंगे। बजट कानूनी बाध्यता है। इसलिए मैंने कहा कि राज्य सरकारों के पास जो समय था, क्या राज्य सरकारों ने उसका वाजिब उपयोग किया?

सभापित महोदय, सबसे पहला प्रश्न है कि जब हम केन्द्र को कटघरे में खड़ा करते हैं तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी के बारे में बताते हैं, अगर आप यहां खड़े होकर यह कहते कि हमने इतना काम कर दिया

है, उस प्रत्याशा में हम इतना काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप आश्वासन दें, तो मैं दावा करता हूं कि उसमें भारत सरकार कहीं भी पीछे नहीं है। जब नीति आयोग के सामने सारे माननीय सदस्य गये थे तो नीति आयोग ने कहा कि आप 20 दिन का प्रोग्राम बनाइए, आप तीन दिन के अंदर अपनी कार्य योजना भेजिए। यह काम मराठवाड़ा के बाकी हिस्सों में भी हो सकता था। लेकिन, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम सिर्फ आलोचना को इस गति के साथ कहें, यह उचित नहीं होगा।

इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे विषय हैं जिनपर तात्कालिक रूप से समाधान की जरूरत है और हमें करना भी चाहिए। जैसे हमारे यहां हुआ है, हमने अपने जिले में किया है, लेकिन थोड़ा विलंब हमें भी हुआ। पैसा पंचायतों के पास जाता है। क्या हम पंचायतों को कंक्रीट के काम करने से नहीं रोक सकते? गर्मी की फसलें जो तीन गुना से ज्यादा पानी का उपयोग करती हैं, औसत खेती के अलावा, क्या उनका पहले से फरमान जारी करके वोनी नहीं रोक सकते। यह काम सरकारें कर सकती हैं, यह राज्य सरकारों का काम है। पंचायत के स्तर पर जो फैसले किए जाने चाहिए, अगर इन संभावनाओं को देखकर काम किया जाता तो विकराल परिस्थिति को बढ़ने से रोका जा सकता था। अगर हम तय करते कि वास्तव में पशुओं के पास चारा नहीं है और उन जल प्रबंधनों को, जिन्हें हमने सिंचाई के नाम पर बाहर कर दिया, आज सरकार के सामने रो रहे हैं। पानी कोई सरकार नहीं पैदा कर सकती, प्रबंधन कर सकती है, लेकिन खत्म हुए पानी को तत्काल लाकर नहीं दे सकती। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ ऐसे रास्ते जिनके बारे में हम सब मिल-जुलकर कोई चार्टर बनाएं कि वास्तव में आपदा के आधार पर युद्ध स्तर पर कौन से काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि युद्ध स्तर पर एक ही काम हो सकता है कि हमारे पास जितने बचे हुए दिन हैं, हमारे पास जो जल स्रोत सूखे पड़े हैं, उनकी रीसिल्टिंग का काम युद्ध स्तर पर हो सकता है।

मनरेगा की बात आई थी। भारत सरकार ने एक सर्कुलर निकाला। पहले पंचायत स्तर पर 40:60 का रेशियो था। उन्होंने उसे जिले का बना दिया। नीतियां तत्काल नहीं बदली जा सकतीं। उस कम्पोनैंट को जिसमें मजदूरों का 60 प्रतिशत है, घटाया नहीं जा सकता। लेकिन एक रास्ता निकल गया कि जिले के स्तर पर अगर 60 और 40 का प्रतिशत है तो शहरों के पास की पंचायतें जहां मजदूर नहीं हैं, वहां यंत्रों से काम होकर इस काम को गित दी जा सकती है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि अगर हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेहतर समाधान हमारे सामने होगा।

मैंने अपनी बातों को अपने अनुभव के आधार पर कहा है। मैं भारत सरकार से एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं कि क्या हम फंडिंग पैटर्न को बदल सकते हैं। कहीं न कहीं कानूनन आपकी बाध्यता होगी,

लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो प्रत्याशा में राज्य सरकारों या जो लोग काम कर रहे हैं, उन संस्थागत लोगों को पैसा देने का काम हम कर सकते हैं। क्या इस वित्तीय प्रबंधन पर कहीं न कहीं कोई मौनीटिरंग का सिस्टम होगा? जैसे आप दीनदयाल अवसंरचना की बात करते हैं। क्या इसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तर्ज पर उस मौनीटिरंग के बारे में कहा जा सकता है?...(व्यवधान) राज्य पैसा लेते हैं। राज्यों ने जो काम-काज किया, क्या सैटेलाइट के माध्यम से उन कार्यों का मूल्यांकन करके उस पर कभी बहस होगी, कभी उस पर चर्चा और मॉनीटिरंग होगी। तब कहीं हम इस घपले को रोक पाएंगे। बुंदेलखंड में पैसे की बर्बादी को हमने अपनी आंखों से देखा और आज हम उस बर्बादी का परिणाम भुगत रहे हैं। मैं इस अवसर पर उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। मैं किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता।

यादव जी चले गए। उत्तर प्रदेश के बारे में नीति आयोग खुलेआम कह रहा है। जमीन पर जो दिखता है, वह यहां कहने पर नहीं लगता।...(व्यवधान) इसलिए मैं कहूंगा कि हम सब सकारात्मक भाव से इस आपदा से निपटने के बारे में सोचें। यह भी सोचें कि नीतियां काफी उल्टी चल गई हैं। इन्हें काबू में लाने के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा। मैं मानता हूं कि यह सरकार कर रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम कुमार शर्मा (सीतामढ़ी): सभापित महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से आज की स्थिति पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी देश की बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। अपनी आजीविका के कारण लाखों लोग कृषि पर ही आधारित हैं। इस कारण खेती पर निर्भर 59 प्रतिशत वे परिवार हैं जो भूमिहीन श्रेणी में आते हैं। 20 प्रतिशत एक से दो हेक्टेयर भूमि के मालिक हैं और दो से पांच हेक्टेयर और पांच से दस हेक्टेयर तथा दस हेक्टेयर से ऊपर क्रमश: तीन प्रतिशत और सात प्रतिशत लोग ही हैं। इस आंकड़े से स्पष्ट है कि देश में आज खेती किस दुर्दशा में पहुंच गई है। आज किसान अलाभकारी खेती के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं।

कृषि का प्राण जल है और यह निर्विवाद सत्य है कि पिछले दो वर्षों से देश में कमजोर मानसून के कारण सूखे की स्थिति होती जा रही है। वर्तमान में सरकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि देश की 25 प्रतिशत आबादी सूखे की चपेट में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र झारखंड, कर्नाटक विशेष रूप से सूखे की चपेट में है। परंतु यदि इस संबंध में गहराई से अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि देश के दस राज्य सूखे की चपेट में आ चुके हैं। देश के 678 जिलों में से 254 जिलों में सूखे की काली छाया छाई हुई है।

गत दो वर्षों से देश में सूखे की स्थिति बनी हुई है। समाचार पत्रों के माध्यम से जैसी मेरी जानकारी है कि इन वर्षों में वर्ष 10 से 15 प्रतिशत कम हुई है। किन्तु इस इस वर्ष समाचार मिल रहा है कि देश के बड़े-बड़े जलाशयों में भी केवल 23 प्रतिशत पानी उपलब्ध है। यह विचार करना चाहिए कि वर्षा का जल या जल की उपलब्धता केवल 10 से 15 प्रतिशत कम हुई है। परंतु जल संचय क्षमता 77 प्रतिशत कम कैसे हो गई, यदि इस पर हम गहन अध्ययन करें तो मैं समझता हूं कि जो देश में विश्व की बढ़ती उष्णता के कारण जलवायु में परिवर्तन स्वरूप अनिश्चितता पैदा हुई है। उसके कारण देश में वर्षा भी अनिश्चित हुई और ये अनिश्चित समय के हिसाब में ही नहीं स्थानों के दृष्टि से भी है।

पिछले वर्षों में मैंने देखा है कि देश में जिन क्षेत्रों में सूखा हुआ करता था उसमें बाढ़ आई और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था उसमें सूखा पड़ा। इसी का परिणाम है कि वर्षा के कमी का प्रतिशत और जल संचय क्षमता का प्रतिशत में काफी अन्तर हो गया है। इसलिए अब जरूरत है कि देश में जल संचय क्षमता को बढ़ाना होगा। अन्यथा आगामी 20-25 सालों में अन्य वस्तुओं की तरह जल का भी आयात करना देश की बाध्यता हो जाएगी। पिछले वर्षों में सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने पुष्टि की है कि देश में वार्षिक जल की उपलब्धता 4 हजार बिलियन क्यूसिक मीटर होती है जिसमें से उष्णणता और भाप के

कारण होने वाली कटौती को छोड़कर जल की उपलब्धता का आकलन 1 हजार 869 बिलियन क्यूसिक मीटर माना गया है। किन्तु इस मात्रा में से भी 1 हजार 123 बिलियन क्यूसिक मीटर जल उपलब्ध होने का आकलन किया जाता है क्योंकि शेष जल प्रवाह जैसी कटौती के बाद उपलब्ध है। नेशनल कमीशन फॉर एन्टीग्रेटेड वॉटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश की जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जल संचय क्षमता 458 बिलियन क्यूसिक मीटर जरूरी है। किन्तु सेंटर वॉटर कमीशन ने एक अध्ययन कर एक यह आकलन किया है कि देश में अभी 225 बिलियन क्यूसिक मीटर जल संचय क्षमता स्थापित हैं। उपरोक्त जानकारी सदन के समक्ष रखने का मेरा उद्देश्य यही है कि सरकार समस्या के समाधान को जाने और उस समाधान के लिए ठोस कदम उठाए ताकि समस्या का समाधान हो सके।

मैं सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री जी के प्रति उन्होंने मनरेगा के तहत प्रत्येक गांव में जलाशय निर्माण के सोच का समर्थन एवं प्रशंसा करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

किन्तु मैं यह भी कहना आवश्यक समझता हूं कि इस सोच को केवल सोचकर ही नहीं छोड़ दिया जाए बल्कि समयबद्ध लक्ष्य निर्माण कर राज्य स्तर पर ही नहीं जिले स्तर पर भी जवाबदेह योजना अमल में लाई जाए और इस योजना के क्रियान्वयन में निगरानी हेतु एक निपक्ष शक्ति संपन्न और जवाबदेह व्यवस्था किया जाए ताकि देश से सदा-सदा के लिए जल समस्या को अलविदा किया जा सके।

आज 30 निदयों के बेसिन में मानसून के समय बाढ़ आती है और यह पानी बहकर समुद्र में चला जाता है, इस पानी को संचय करने के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर एक ठोस योजना बनानी होगी। मैं सीतामढ़ी जिले से आता हूं वहां बागमती नदी में पानी रहती है, वहां के अधवारा समूह की कई निदयां सूख गई हैं। निदयों से नदी जोड़ने की योजना है उससे इसका लाभ मिलेगा इसी प्रकार से मगध में फल्लगु, मुरहर, धरहा, पुनपुन एवं सोन निदयों को जोड़कर मगध के इलाके में स्थाई रूप से पेयजल संकट को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार की योजना सरकार ने बनाने का सोचा है इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। चर्चा में भाग लेने के लिए सभापित महोदय को भी धन्यवाद देता हूं।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर): सभापित महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सूखे की हालत है, पीने की पानी की बहुत दिक्कत है, ऐसी स्थिति में यह डिस्कशन बहुत ही अहम है। आज हम सब मजबूर हो रहे हैं कि पानी की दिक्कत को कैसे दूर किया जाए? स्पीकर मैडम ने 4-5 मई को एक सेमिनार रखा था उसमें हिन्दुस्तान के कई एक्सपर्ट्स और कन्सलटेंट्स आए थे।

माननीय सभापित महोदय, उन्होंने जो आंकड़े दिए वे बहुत हैरान करने वाले और चौंकाने वाले थे। इसलिए उस दिशा में हमें बहुत कुछ काम करना है। मैं इस बारे में सबसे पहले सूखे की बात करता हूं। सूखे के अध्ययन के लिए पिछले 60 साल में अनेक कमेटियां बनीं और सूखे को दूर करने के लिए कई पॉलिसीज बनाई गईं, लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत काम करना बाकी है। उनसे हमें जो डिजायर्ड रिजल्टस मिलने चाहिए थे, वे अभी तक नहीं मिले हैं। इसलिए हमें इस दिशा में तेजी से काम करना होगा।

महोदय, आज देश के 29 राज्यों में से 13 राज्यों में अकाल की स्थिति है। देश के 680 जिलों में से 251 जिलों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अकाल की स्थिति से निपटने और राहत के कामों के संचालन का सबसे ज्यादा दायित्व राज्य सरकारों का है, परन्तु केन्द्र सरकार भी अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि भारत सरकार को भी इसमें बहुत करना होता है। हालांकि पिछले 60 सालों में लॉग टर्म ड्राउट मैनेजमेंट का जो काम हुआ है, वह जितना होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है, बिल्क जितना भी काम हुआ है, वह सिर्फ एउहाँक बेसिस पर ही हुआ है।

महोदय, सूखा और गरीबी, दोनों इंटर-कनेक्टेड हैं और सूखा और खाद्यान्न आपस में इंटरिलंक्ड हैं। जब सूखा पड़ता है, तो कृषि का उत्पादन कम होता है और जब कृषि उत्पादन कम होता है, तो उससे कृषि जिन्सों के भाव बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, जब कृषि में उत्पादन कम होता है, तो उससे सबसे ज्यादा सीमांत और छोटे किसान प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी आत्महत्या करने की भी नौबत आ जाती है। इसलिए इसे मैनेज करना बहुत जरूरी है।

महोदय, सूखा और फसल बीमा का भी संबंध है। जो नैशनल एग्रीकल्चर स्कीम थी, उसमें काफी खामियां थीं। मैंने उसे देखा था। मेरे एरिया में भी वह लागू हुई थी। उसमें किसान जो प्रीमियम देते थे, कभी भी उन्हें हुए नुकसान का पूरा मुआवजा नहीं मिलता था। इसलिए प्रधान मंत्री जी, अभी जो फसल बीमा योजना लाए हैं, मैं इसके लिए उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इसमें उन कमियों और खामियों को दूर कर दिया गया है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूं कि यदि कोई किसान अपनी फसल को खिलहान में रखता है और बारिश आ जाती है या अन्य किसी आपदा से उसका नुकसान हो जाता है, तो

पहले वाली योजना में किसान को कुछ सहायता नहीं मिलती थी, लेकिन प्रधान मंत्री जी द्वारा लाई गई नई फसल बीमा योजना में, अगर 15 दिन में कुछ होता है, किसान को पूरा मुआवजा मिलता है। आप जानते हैं कि गरीब किसान है। उसके रहने के लिए भी झोंपड़ी होती है। इसलिए वह अपनी फसल को पक्के और कवर्ड स्थान में कहां से रखेगा। अब नई स्कीम में इस कमी को दूर कर दिया गया है। इसके लिए में प्रधान मंत्री को पुनः धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं राजस्थान राज्य के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पिछले तीन सालों से अकाल पड़ रहा है। राजस्थान में टोटल 46 हजार गांव हैं, जिनमें से आज 27 हजार गांव सूखे से प्रभावित हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से नैशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में 10,400 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है, लेकिन भारत सरकार ने प्रदेश को केवल 1,190 करोड़ रुपए दिए हैं। यहां माननीय मंत्री बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि एन.डी.आर.एफ. के जो बाकी पैसे हैं, वे शीघ्र जारी करें, ताकि हम राहत कार्यों का संचालन कर सकें।

सभापित महोदय, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में चारे और पीने के पानी की बहुत दिक्कत होती है। हमें चारा अन्य राज्यों से मंगाना पड़ता है। पीने के पानी के लिए वहां टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में आज कम से कम 300 टैंकर लगे हुए हैं। पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने नैशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड से 300 करोड़ रुपए की मांग की है, लेकिन भारत सरकार ने प्रदेश को सिर्फ 90 करोड़ रुपए दिए हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बाकी पैसा है, वह हमें शीघ्र दें, तािक हम पीने का पानी प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा सकें। हमारी तो प्रार्थना है कि भगवान शीघ्र बारिश कर दे, तािक आने वाले दो-तीन महीने में पीने के पानी की उतनी दिक्कत नहीं हो। हालांकि, यह मामला गृह मंत्रालय से संबंधित है। इसलिए मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप मेरी यह रिक्वेस्ट गृह मंत्री जी तक अवश्य पहुंचा दें। वहां हाई लैवल कमेटी ने भी दौरा किया है और उसने भी अपनी रिपोर्ट में रिक्मेंडेशन की है कि राजस्थान सरकार को इतना पैसा मिलना चािहए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप शो धनरािश शीघ्र जारी कर देंगे।

सभापित महोदय, अब मैं पेयजल के बारे में बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर कोई नदी नहीं है। वहां बाहर की कुछ निदयां हैं, जिनसे पानी आ रहा है। जैसे इंदिरा गांधी नहर का पानी आ रहा है, जो हिमाचल प्रदेश से जाता है। नर्मदा नदी के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम बना है, उससे राजस्थान के मेरे बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में पानी आ रहा है। मेरा कहना है कि जो निदयां हैं, उन्हें आपस में जोड़ने और उनसे पेय जल उपलब्ध कराने की कई स्कीमें हैं, लेकिन राजस्थान सरकार के पास उन स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए धन नहीं है। इसलिए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से 31 हजार करोड़ रुपए

का लोन मांगा है। यहां माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं और वे मेरी बातों को सुन रहे हैं, इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में जो पेयजल योजनाएं हैं, जिन्हें इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर से बनाया जाना है, उन पर लगभग 30 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसलिए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उसे जापान, नाबार्ड या वर्ल्ड बैंक से लोन दिलाया जाए। यदि यह लोन मिल जाता है, तो पेयजल की समस्या का समाधान हो सकता है।

सभापित महोदय, जो लिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात है। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी 6 रिवर्स हैं, जिन्हें राजस्थान से जोड़ सकते हैं। इससे हमारे प्रदेश की पेयजल का काम आगे बढ़ सकता है। जब मैं 11वी, 12वीं और 13वीं लोक सभा में सांसद था, उस वक्त श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे, उन्होंने इस मामले में बहुत आगे तक काम किया। परन्तु उसके बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे यहां जब चुनाव हुआ था तब 12 मई को नरेन्द्र मोदी जी रैली में आये थे। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बन गयी तो मैं यहां की नदियों को जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बड़ी खुशी है कि उनके प्रधान मंत्री बनने के बाद आज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के ऊपर काफी चर्चा और काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि वे इसे और आगे बढ़ायेंगे।

सभापित महोदय, सबसे पहले मैं नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की बात करना चाहूंगा। इसमें पानी आ रहा है लेकिन उस बांध की हाईट बढ़ानी चाहिए। उस बांध की हाईट नहीं बढ़ रही क्योंकि कुछ लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे सब एरिया मर्ज हो जायेगा। मेरे ख्याल से इस बांध की हाईट करीब 17 मीटर बढ़ानी चाहिए। अगर इस बांध की हाईट बढ़ाते हैं तो जैसेलमेर, गुडामलानी, चौहटन, शिव व कुछ जैसलमेर जिले के भाग को पीने व सिंचाई का पानी भी मिलेगा।

सभापित महोदय, इसके साथ-साथ तापी नदी को नर्मदा से जोड़ने की बात है। हालांकि वह साढ़ें तीन सौ-चार सौ किलोमीटर दूर पड़ती है। अगर नर्मदा नदी को तापी नदी से जोड़ दिया जाये तो नर्मदा में पानी की कोई कमी नहीं होगी। इससे जैसलमेर और बाड़मेर में पीने के पानी के साथ-साथ सिंचाई के साधन भी बन जायेंगे। दूसरी सरस्वती नदी पर परियोजना है। यह पौराणिक और लुप्त नदी है। इस बारे में वर्ष 2001-02 में सर्वे हो चुका है। करीब 18 ट्रायल ट्यूबवैल्स भी खुदे हैं, यानी ड्रिलिंग की गयी है। उससे यह ऐस्टेब्लिश हो गया है कि यमुना नगर से सिरसा, नोहर, भादरा, सरदारशहर, डुंगरगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर के क्षेत्र से निकलते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती है। इस नदी पर योजना बनाकर पानी का दोहन किया जाये। हालांकि यहां काफी चर्चा हो रही है। इसमें पीने का पानी का काफी है जिससे सिंचाई भी हो सकती है। अगर इस पर कुछ योजना बनाकर काम करेंगे तो इन सब इलाकों को मदद हो सकती है।

दूसरा, यमुना सतलुज राजस्थान लिंक परियोजना है। यह परियोजना भी बहुत जरूरी है। सारदा लिंक केनाल सिर्फ यमुना जाती है। इसमें यदि काम आगे बढ़ाया जाये तो हरियाणा और राजस्थान को बहुत फायदा होगा। इसमें नरोडा और उसके आसपास के क्षेत्र में पानी को रोककर इस पानी के बहाव को अलवर एवं भरतपुर जिला के साथ-साथ झुझूनु, सीकर, चुरू एवं नागौर होते हुए जोधपुर एवं लुणी नदी, जिसे बाड़मेर की गंगा कहते हैं, वहां तक जा सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि यमुना राजस्थान लिंक पर काम होना चाहिए।

सभापित महोदय, चौथा मैं राजस्थान साबरमती लिंक परियोजना के बारे में कहना चाहता हूं। यह यमुना राजस्थान लिंक का विस्तार है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कर्नल सोना राम जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

कर्नल सोनाराम चौधरी: सभापित महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यह लिंक राजस्थान से बाड़मेर, जैसलमेर व जालौर से गुजरता है और गुजरात में जिला बनासकांठा, मेहसाना व गांधीनगर से गुजरता है इसलिए इस पर भी काम होना चाहिए। इसी तरह से पारबती-कालीसिंध-चम्बल लिंक है। इसमें गांधी सागर डेम और राणा प्रताप सागर डेम जो चम्बल दिरया के पार है, उसे डायवर्ट करके नये प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए।

सभापित महोदय, इसी तरह ब्राह्मणी एवं बनास नदी को जोड़ा जाये। जयपुर में पानी की बहुत कमी है। अगर ब्राह्मणी नदी का पानी बनास नदी में पहुंचाया जायेगा तो बिसलपुर डैम में पानी मिल सकता है।

सभापित महोदय, मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि जैसलमेर बाड़मेर एरिया ऐसा है, जहां वर्ष 2014 में सिर्फ 11 एमएम पानी बरसा और वर्ष 2015 में 34 एमएम पानी बरसा। अगर आप पिछले पन्द्रह-बीस सालों का एवरेज लें, तो वहां सिर्फ 25 एमएम बारिश होती है। ऐसी स्थिति में यहां की निदयों को जोड़ा जाये और जो पैसे मांगे गये हैं, उन्हें आप उपलब्ध करायें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।

*SHRI RAOSAHEB PATIL DANVE (JALNA): Hon. Chairman Sir, you have permitted me to speak on the issue of drought and drinking water under '193', I am very thankful to you. Hon. Chairman, around 11 states are facing drought conditions in our country. Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra are the badly affected states. To tackle this problem, Central Government has given monetary help to the states and some states have succeeded to handle this problem. I would like to state through you Sir, that the relief assistance given by Central Government was of great help to the State Government. But the intensity of this drought is so high. We have seen even the 1972 drought but this is harsher than that one. If we go through the data, we will find that around 28666 villages are drought affected in Maharashtra and out of it, 13817 in Vidarbha, 8526 in Marathwada, 4896 in North Maharashtra and 1427 in Western Maharashtra are in the shadow of drought. Central Government has given the financial assistance even more than what was demanded by State Government. But this cannot be political issue now. Everybody asked not to make this issue a political one but everyone tried to make it a political issue. In the year 2011-212, Government of Maharashtra requested for Rs.11026 crore but Rs.5574 crore were allotted by Central Government. In the year 2012-13, Rs.50033 crore were demanded but only Rs.18000 crore were given by Government. In the year 2014-15 Rs.60013 crore were demanded but only Rs.1962 crore were given. But, this is first time in the history of independence of India when Maharashtra demanded for Rs.4200 crore and Rs.3970 crore were Hon. Chairman Sir, usually this aid is given in the month of June but this is for the first time that this fund has been released in the month of April which helped to fight the drought condition in Maharashtra.

For the last three consecutive years, there has been scanty rainfall in Maharashtra. Hence the water reservoirs in dams are reduced. If we want to fight

^{*} English translation of the speech originally delivered in Marathi.

against this condition, we will need to do two things. A long time and short time measures would have to be taken up. Hon. Chief Minister of Maharashtra met Hon. Prime Minister on 7th of this month and in that meeting Hon. Prime Minister accepted to finance the construction cost of the long-pending dams in Maharashtra. As of today only 15% water is available in the entire Maharashtra and only 10% in Marathwada. In Konkan 40%, Marathwada only 2%, in Nagjim 23%, in Amravati region only 15% and in Nashik region only 14% water is available. Jayakwadi Dam which is the largest dam in Marathwada has no water, Bhima Ujni also has no water. Koyna Dam has 19% and Warna Dam has only 15% water available. When we calculate, only 15% water is available for entire Maharashtra and only 20% in Marathwada. In spite of this, Government has taken certain measures in this regard. Latur is a big city and the people there has no water to drink. Hence with the help of Central Government, Government of Maharashtra is supplying water there through water trains. Around 50 lac litre water is being supplied by train every day.

We are very serious about this issue and we are fighting vigorously this drought. We have started to provide employment to the labourers. Somebody has given a data but the issue of migration is not much serious there.

Government of Maharashtra started 'Jalyukta Shivar Yojna' last year and through this scheme we have conserved 24 TMC water by spending only Rs.1400 crore. We completed this work within a year when the opposition parties were in power, they took 8 long years to conserve 24TMC water by spending Rs.8000 crore for it. Now they are slamming us. They are involved in the scams worth Rs.70,000 crore in irrigation department. 'Paani Adva Paani Jirwa' scheme should have been implemented to store water and if that was done, we would not have faced this kind of situation. We could have averted this menace if we had taken some timely steps.

Through loan-waiver scheme, only the banks got benefitted and not the poor farmers. Today, those who are criticizing us, are responsible for causing

heavy losses to these banks. I claim that we have done a commendable work to stop farmers' suicides. Only our Government has taken concrete steps in this regard. On 15th August this year, our Government started to provide rice at the rate of Rs.3/1kg. and wheat at the rate of Rs.2/1kg. to the farmers of 14 drought affected districts. We managed to tackle this problem efficiently with the help of Central Government and, we would be able to handle it even in future.

Lastly, I would like to reiterate that we would definitely take some good measures and that would help us greatly to fight with this calamity.

Thank you.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): सभापति महोदय, आज जल की कमी के कारण देश अकाल एवं सूखे की चपेट में है। देश की एक चौथाई आबादी लगभग 33 करोड़ लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। दस सूखा प्रभावित राज्यों के 256 जिले सुखे से प्रभावित हैं। भारत में पानी की कमी भयावह रूप लेती जा रही है और इससे अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंच रही है। लगातार दो मानसून सूखे निकलने भी सूखे का एक प्रमुख कारण है। देश में जल संकट की भारी स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारत प्राकृतिक रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड़डी है। जैसे राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान धीरे-धीरे कम हो रहा है फिर भी कृषि क्षेत्र देश की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या को रोजगार और आजीविका प्रदान करता है। कमजोर मानसून और उसके परिणामस्वरूप सूखा या सूखे जैसी स्थिति और उसके पश्चात् फसल का नट होना करोड़ों गरीब किसानों, खेती करने वाले मजदरों और उनके परिवारों के लिए एक आघात की तरह है। वर्ष 2050 में 1.6 से 1.7 अरब भारतीयों का पेट भरने के लिए हमें 45 करोड़ टन खाद्यान्न की जरूरत होगी यानी मौजूदा उपलब्धता का दो गुना। ऐसे में बिना सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के सिर्फ मानसून भरोसे इसे हासिल करना असंभव दिखता है। जल संरक्षण पर दो लाइनें व्यक्त करना चाहुंगी। जल नहीं होगा तो कल भी नहीं होगा। आज समझ सकते हो तो समझ लो, वरना कल इसका कोई हल भी नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही अकाल को देश निकाल करने के लिए देश की 30 महानदियों को लिंकिंग करके देश के तमाम राज्यों की नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट बनाया था। वह प्रोजेक्ट अगर कांग्रेस की यूपीए सरकार ने चालू रखा होता तो वर्ष 2015 में यह पूरा हो जाता और हमें आज की इस भयानक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। जिन जिलों में पानी की बहुत किल्लत है जैसा हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि उसको दूर करने के लिए हमारी एनडीए सरकार ने बीडा उठाया और मराठवाड़ा के लातूर जिले में ट्रेनों एवं टैंकरों के जिए पानी पहुंचा कर लोगों के दुख-दर्द को बांटने का ठोस कदम उठाया है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की गंभीर समस्या को देखते हुए ट्रेनों से जो पानी पहुंचता है उसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को धनराशि मुहैया कराती है। ट्रेन और टैंकरों द्वारा जो पानी पहुंचाया जाता है उसके परिवहन व्यय की भरपाई सरकर द्वारा की जाती है।

जैसे मनरेगा के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार ने निर्धारित 100 दिनों के काम को बढ़ाकर 150 दिन करने का निर्णय लिया है और मनरेगा की धनराशि सभी राज्यों को आवंटित भी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने पिछले साल सूखे के मुआवजा देने के नियमों में बदलाव करके 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत कर दिया था और मुआवजे के नियमों में भी किसानों के

हित में भारी बदलाव किया है। इस संदर्भ से यह प्रतीत होता है कि यह सरकार किसानों के प्रति कितनी चिंतित है। पहले भी बीमा योजना थी मगर सिर्फ 20 प्रतिशत किसान ही इससे लाभांवित होते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री बीमा योजना में 1.5 से 2 प्रतिशत प्रीमियम रबी और खरीफ फसलों पर रखा गया है। इस बीमा योजना से खेत से खिलहानों तक फसल की कटाई से 14 दिनों तक फसल को योजना में कवर कर लिया गया है। यह बताता है कि मोदी सरकार अन्नदाताओं को कितना मान और सम्मान देती है। ऐसे ही कृषि सक्षम देश के सूत्र को हमें सार्थक करना है।

केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय जल मिशन भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जल का संरक्षण, जल के अपव्यय को कम करना और एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन द्वारा राज्यों और राज्यों के बीच इसका और अधिक समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आते ही सिंचाई का क्षेत्रफल बढाने के उद्देश्य से 5500 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का प्रावधान किया है।

मेरा प्रदेश गुजरात भी सूखे से जूझ रहा है। बारिश प्रकृति का एक प्रसाद है, यह हम सब जानते हैं। यह कभी कम मिलता है, तो कभी ज्यादा मिलता है। हमारी गुजरात की कर्मठ महिला मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने एक दीर्घदृष्टि नेतृत्व के तहत सूखाग्रस्त और अर्द्ध-सूखाग्रस्त इलाकों में पीने का पानी, घास-चारा, एवं जरूरतमंद लोगों को रोजगार मुहैया हो सके, इसके लिए सघन आयोजन किया है। प्रो-ऐक्टिव एप्रोच दिखाकर लोगों की मुश्किलों में कंधे से कंधा मिलाकर हमारी राज्य सरकार काम कर रही है।

राज्य के पाँच जिलों के 994 गांवों को अर्द्ध-सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। वन विभाग के पास अलग-अलग गोदामों में 435 लाख किलोग्राम घास का जत्था उपलब्ध है और अर्द्ध-सूखाग्रस्त इलाकों के छोटे, सीमांत किसान, भूमिहीन पशुपालक, खेत मजदूर एवं गरीब चरवाहों को रियायती दर पर घास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उनके लिए घास डिपो की भी शुरुआत की है।

हैंड पम्पों की रिपेयरिंग कराने के लिए भी राज्य सरकार ने राशि उपलब्ध कराने का काम किया है। राज्यस्तर पर पीने के पानी की अद्यतन स्थिति से वाकिफ़ रखने के लिए तथा शिकायतों को निपटाने के लिए राज्य तथा जिलास्तर पर कंट्रोल रूम और टॉल फ्री नम्बर भी कार्यरत किया गया है तथा व्हाटअप जैसे सोशल मीडिया का भी इसमें भरपूर उपयोग किया जा रहा है।

इस तरह से पूर्ण अर्द्ध-सूखा से निपटने के लिए गुजरात सरकार द्वारा बहुआयामी, परिणामलक्षी प्रयास किये गये हैं।

गुजरात में नर्मदा डैम की ऊँचाई बढ़ाने के लिए और गेट लगवाने के लिए प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो पिछले दस सालों से यूपीए सरकार के समक्ष गुहार लगाते थे। लेकिन यूपीए सरकार की पेट का पानी नहीं हिला और पानी की राजनीति करके उस गेट की मंजूरी नहीं दी। इस स्थिति के विरोध में मोदी जी को 52 घंटों तक अनशन पर बैठना पड़ा। सरकार में आते ही हमारे श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने 17 दिनों मे उस गेट की मंजूरी भी दे दी और उसके लिए धनराशि भी आबंटित कर दिया।

मेरी दो मांगें हैं। गुजरात में उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में जैसे सूखे की स्थिति है, उससे निपटने के लिए समुचित राशि मुहैया करायी जाए।

मेरी दूसरी मांग यह है कि 8 से 10 सितम्बर, 2015 को गुजरात में आयी बाढ़ के कारण इसे करोड़ों रुपयों का नुकसान झेलना पड़ा था। इसके लिए सरकार से 4473.47 करोड़ रुपये की मदद मांगी गयी थी, लेकिन अभी तक यह पूरी रकम नहीं मिली है। मेरी सरकार से विनती है कि जल्द से जल्द उसे मुहैया कराया जाए। मैं दो सुझाव देना चाहती हूं, जिस प्रकार से इज़रायल जल प्रबंधन का एक मॉडल है, वहां जल प्रशासन के लिए एक मजबूत कानून वर्ष 1955 में पारित हुआ था। उस कानून में जल संसाधन को जनता की सम्पत्ति माना गया है और वहां जल की लगभग पूरी खपत मीटर पर रहती है। हमें भी यह नीति अपनानी चाहिए। गुजरात ने भी बेहतर जल प्रबंधन के साथ कृषि में जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाई है, ऐसी दक्षता भी बढ़ानी चाहिए। जिस प्रकार से गुजरात में हम चेक डैम, बोरीबंध, पानी का रिचार्ज और कुएं का पुनरुत्थान करते है, उस प्रकार से भी करना चाहिए। मेरी सरकार से विनती है कि मेरी दो डिमाण्ड्स हैं, उन पर गौर किया जाए। हम सूखे की इस समस्या से निजात पाने के लिए राजनीति के दायरे से उठकर सामृहिक रूप से सूखे के संकट से निपटने के लिए चर्चा, चिन्ता और चिन्तन करें। धन्यवाद।

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह): सभापति जी, सूखे पर चर्चा और उसमें माननीय सदस्यों द्वारा भारी संख्या में अपने विचारों को प्रकट करना और यह सभी के लिए चिन्ता का विषय है। इतने बड़े देश में, जिसकी 127 करोड़ आबादी हो, उसमें 70 साल की आजादी के बाद भी हमें ऐसे विषयों पर बहुत बड़े स्तर पर चर्चा करनी पड़ती है। सभापति जी, मेरे मित्र और मेरी साथी कृि मंत्री जी कृषि, सिंचाई और कृषि में सूखे से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जल संसाधन मंत्री सुश्री उमा भारती जी भी अपने मंत्रालय से संबंधित सवालों एवं चर्चा में उभरकर आए विषयों के बारे में उत्तर देंगी। पीने के पानी और कुछ माननीय सदस्यों ने मनरेगा के बारे में सवाल उठाए हैं, चर्चा की है कि किस प्रकार से मनरेगा को इसके साथ जोड़ा जाए तो वह योजना ज्यादा लाभकारी हो सकती है, इन्हीं विषयों तक मैं अपने आपको सीमित रखना चाहता हूं।

चेयरमैन सर, आज 13 राज्यों में ऐसी स्थिति है, जहां सूखे से प्रभावित इलाके हैं। उनमें से तीन राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने आपको सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया है। दो राज्य बिहार और हरियाणा है, गुजरात ने भी नहीं किया, लेकिन आंशिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित किया है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, उसको छोड़कर कोई अन्य बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)...*

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: महोदय, मैंने यह कहा कि दो राज्य बिहार और हिरयाणा ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया और गुजरात ने आंशिक रूप से घोषित किया है। देश के 313 जिले इससे प्रभावित हैं और गांवों की संख्या 1,58,205 है, जो सूखे से प्रभावित हैं। इस प्रकार से हमारी 4,44,280 बसावटें प्रभावित हैं। इन सब आंकड़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे देश की 25 प्रतिशत से ज्यादा आबादी आज के दिन सूखे से प्रभावित है।

महोदय, कई माननीय सांसदों ने यहां कहा कि जिस प्रकार से सहायता उपलब्ध होनी चाहिए, उस प्रकार से नहीं हो पा रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाए कि जो प्रबंध चार-छः महीने पहले किए जाने चाहिए थे, उनके बारे में भी राज्य सरकारों को पूर्व में सूचित नहीं किया गया। पिछले साल यह सर्वव्यापक था और सभी को यह मालूम था कि भारतीय मौसम विभाग ने यह भविष्ययवाणी की है कि 8 से 14 प्रतिशत बारिश देश में कम होगी और लगभग उसी के अनुरूप देश में सूखा पड़ा और बारिश कम हुई। लेकिन इस बार के लिए यह कहा गया है, एक प्राइवेट एजेंसी है, जिसने कहा है कि इस बार 14 प्रतिशत

^{*} Not recorded.

बारिश ज्यादा होगी। लेकिन सरकारी तौर पर भी इस तथ्य को माना गया है कि अब की बार मानसून अच्छा आएगा।

महोदय, मैं गांव से ताल्लुक रखता हूं और हमारे बुजुर्ग कहते थे कि दस साल का जो समय होता है, उस दस साल में से छः साल तो मानसून सामान्य रहता है, तीन साल सूखे के होते हैं और एक साल मानसून पूरे तीन साल की बारिश की कमी को पूरा करता है। राजस्थान के माननीय सदस्य इस बात से ज्यादा परिचित होंगे कि राजस्थान में यदि एक फसल फेल हो जाती है तो राजस्थान का किसान दूसरी फसल को बीजता है। यदि वह भी फेल हो जाती है तो तीसरी फसल का उसको अंदाजा होता है कि इस बार मेरा जो चना है या सरसों है जो मैंने बीजी है, वह इतनी होगी कि मेरे दो-तीन साल का घाटा पूरा कर देगी। यह राजस्थान के उन इलाकों में है जो रेनफेड एरिया हैं।

महोदय, हमें यह कहा जाता है कि हमने पीने के पानी के बारे में भी जानकारी लोगों को नहीं दी, राज्य सरकारों को पूरी मदद नहीं की। सूखा ग्रस्त आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में हमने 1360 करोड़ रुपये दिए, वह राज्य सरकार के पास था और यह फण्ड सूखे की स्थिति पैदा होने से पहले से ही उनके पास था। सूखे की स्थिति से निबटने के लिए राज्य सरकारों को काम करने चाहिए थे, क्योंकि फण्ड्स की कोई कमी नहीं थी। वोट ऑन अकाउण्ट होने के बाद हम राज्य सरकारों को 13 तारीख के बाद पैसा भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले वोट ऑन एकाउंट के समय अप्रैल और मई में हमने 564 करोड़ रुपये 2016-17 के बजट में से उन सूखाग्रस्त राज्यों को और भेजा है।

इसी प्रकार से आज के दिन सूखाग्रस्त राज्य सरकारों के पास 1900 करोड़ रुपये पार्क किये हैं, जो केन्द्र सरकार का पैसा है और जैसे शेयिरंग पैटर्न है। उसके हिसाब से 50 परसैन्ट फंड राज्य सरकार को देना होता है। यदि उन दोनों को जोड़ ले तो 3800 करोड़ रुपये से ऊपर आज के दिन राज्य सरकारों के पास पैसा है और उसमें से दस प्रतिशत फ्लैक्सी फंड होता है, जो वे 380 करोड़ रुपये किसी भी चीज पर सूखे से निपटने के लिए खर्च कर सकते हैं, उन्हें किसी से पूछने या किसी तरह की परमीशन की कोई जरूरत नहीं होती। उसके अलावा 15 प्रतिशत जो मेन्टिनेन्स के लिए होता है, आपरेशन के लिए होता है, वह पैसा भी खर्च कर सकते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि 25 धनराशि जो राज्य सरकारों के पास उपलब्ध हैं, उसका वह इस्तेमाल कर सकते हैं।

महोदय, मैं यह भी जरूर कहूंगा कि राज्यों में सूखे की स्थिति पर जब चर्चा शुरू हुई तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इस पर चर्चा करने के लिए उन्हें यहां आमंत्रित किया। अभी परसों तीन राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों से बैठकर सूखे पर चर्चा की

गई और उनसे पूछा गया कि आपको किन-किन साधनों की जरूरत है और कितना पैसा हमारे पास है, जो हमने आपको पहले भेजा हुआ है, उसके अलावा अभी अगर आपको कोई केन्द्र सरकार से सहायता की जरूरत होगी तो उस पर भी हम आपको सहायता देंगे। इसी प्रकार से आज तेलंगाना और मध्य प्रदेश के साथ चर्चा होगी। अगले दो दिन में दस राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ यह चर्चा होगी और जो भी इसमें हल निकल सकते हैं, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। मैं यह मानकर चलता हूं कि अगर आप सूखे को देखें तो इसमें दो ऐसी चीजें हैं, एक माननीय सदस्य ने कहा कि ऊपर वाला जो करता है, उस पर किसी का वश नहीं चलता और नीचे वालों ने जो कर दिया, उसे ऊपर वाला देखता भी है। आज जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो हम लोग हैं। देश को आजाद हुए 70 साल हो गये। में यह मानकर चलता हूं कि यह कह रहे थे कि नर्मदा ऐसी नदी है जो ग्लेशियर पर डिपैंड नहीं करती। मैं उन नदियों की बात करता हूं जो ग्लेशियर पर डिपैंड करती हैं। लेकिन आज से ढाई सौ साल पहले उन इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था ऐसी बनी कि आज जब हम पानी की बचत की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या उन राज्यों में उभरकर आती है। अभी चन्द्रमाजरा जी कह रहे थे कि वैस्टर्न यू.पी., हरियाणा और पंजाब राज्यों से इस देश के खाद्यान्न का 73 प्रतिशत भंडारण हमें मिलता है। लेकिन जिस किरम की पानी की व्यवस्था है, वहां फ्लो इरिगेशन नहीं हैं, फ्लड इरिगेशन है। फ्लो इरिगेशन हो तब भी काम चल सकता है। किसान की मानसिकता ऐसी बन गई है कि जहां पीने के पानी की व्यवस्था है, उसमें उसका इतना इंटरैस्ट नहीं है उसका इंटरैस्ट यह है कि जो वाटरवर्क्स हैं, उसका टैंक पूरा भर जाए, ताकि गांव में पानी की व्यवस्था बनी रहे।

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी एक मिनट रूकिएगा।

यदि सदन सहमत हो तो जब तक माननीय मंत्री जी का वक्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

श्री चोधरी बीरेन्द्र सिंह: सभापित महोदय, मैं कह रहा था कि इस प्रकार की व्यवस्था में हमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। जो राज्य, चाहे वह राजस्थान है, अगर इंदिरा गांधी कैनाल से पानी ले कर आते हैं या जैसे उनके मन में है कि नर्मदा से भी पानी आए। ... (व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): सभापित महोदय, यह तो रूरल डेवल्पमेंट मिनिस्ट्री का इंटरवेंशन है। यह कंपलीट आंसर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तो 30-35 लोग बोलने वाले हैं। मंत्री जी अभी 15 लोगों के लिए इंटरवेंशन कर रहे हैं। अभी 35 लोगों का सुनना है, फिर बाद में रिप्लाई देना है। फिर होम

मिनिस्टर देना चाहिए, उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर देंगे, वॉटर रिसोर्सेस मिनिस्टर भी देंगे। इसीलिए यह मत बोलिए कि इसी इंटरवेंशन पर खत्म कर रहे हैं। He can continue later on. ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कल चर्चा जारी रहेगी। ...(व्यवधान)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: सभापित महोदय, चर्चा कल जारी रहनी चाहिए। This is simply an intervention. ... (*Interruptions*) It is not a reply. ... (*Interruptions*) There is a list of around 35 Members who are yet to speak. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It is just an intervention. ...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): सभापित महोदय, आप हमें गाइड करें। आप सीनियर हैं। माननीय खड़गे साहब अपनी सीट से बोल रहे हैं और उनके सभी साथी सदस्य धरती पर लेटे हुए हैं। यह कहां की व्यवस्था है? क्या यह सही है कि अपने सभी सदस्यों को धरती पर बिठा कर, आ कर हस्तक्षेप करें। ...(व्यवधान) यह कहां तक सही है? ...(व्यवधान) एक तरफ आ कर अपना विषय भी रखना चाहते हैं। ...(व्यवधान) उसके बाद धरती पर बैठ कर सदन का अपमान कर रहे हैं और उसके बाद बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी, आप अपनी बात जारी रखें।

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: I want to make one thing clear. There would be more speakers tomorrow or maybe day after. If some issues are there concerning my Ministry, I have the right to reply to them. What I am telling you is nothing but the steps taken by the Ministries of Rural Development, Drinking Water and Sanitation.

सर, इसके अलावा मैं जो कह रहा था कि एक ऐसे नैशनल कंसेंसस की बात है, बहुत से इश्यु ऐसे हैं, जिनमें हमें राष्ट्रीय सहमित बहुत चीजों से उठ कर करनी पड़ेगी। अगर आप इस देश को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो इवन वैल में बैठे होने के बाद भी नैशनल कंसेंसस आपको करनी पड़ेगी। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो दो ओपिनियन हैं कि जो डैम बनाए जाते हैं, अपर रिजिस में, उसमें यह बात उभर कर आती है कि डैम बनने से पर्यावरणिवद या दूसरे लोग यह कहते हैं कि वातावरण बिगड़ेगा। मैं यह कहता हूँ, मेरा अपना यह मानना है कि इस देश में इंटरिलंगिकिंग ऑफ रिवर्स होनी चाहिए। यह कोई नई बात नहीं है। यह देश की आज़ादी से पहले भी और बाद भी एक बहुत बड़े इंजिनियर थे - वी.के.आर.वी. राव ने भी इस मुद्दे को साठ के दशक में उठाया था। उसके बाद हमारे पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको एक शेप देने की कोशिश की। उस समय भी ये दो बातें

उभरकर आईं, एक तो यह कि इस देश में इंटरिलंकिंग से पॉलिटिकल डिस्प्यूट पैदा होंगे। दूसरी यह बात उभरकर आई कि यह सम्भव नहीं है और इससे एन्वायर्नमेंट पर असर पड़ेगा।

महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि आप जिस इलाके से आते हैं, वहाँ आपने पॉपुलर की प्लांटेशन देखी होगी। पॉपुलर की प्लांटेशन फुटहिल्स से नीचे बहुत ज्यादा है, चाहे वह यमुनानगर का एरिया हो, चाहे आपके सहारनपुर का एरिया हो। हमारे हरियाणा में जो फॉरेस्ट कवर है, वह 6.5 प्रतिशत है, लेकिन जब फॉरेस्ट कवर से नीचे किसान पॉपुलर की और यूकेलिप्टस की प्लांटेशन करता है, वहीं कवर 16.5 प्रतिशत हो जाता है। एक तो इस देश के एन्वायर्नमेंट को बचाना है। मैं यह जरूर कहूँगा कि इन बातों पर सहमित रखनी पड़ेगी, अगर हम रिवर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप कितने ही भाग देते रहें कि सिर्फ 40 प्रतिशत या 38 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल होता है, बाकी बहकर चला जाता है। आज अगर स्वच्छ भारत के लिए लोगों में एक चेतना पैदा हुई है, उसको एक राष्ट्रीय मूवमेंट बनाया है लोगों ने तो इसको भी राष्ट्रीय मूवमेंट बनाना पड़ेगा कि इस देश में पानी को कन्जर्व करने के लिए जो भी साधन हैं, वे इस देश के किसान के लिए, इस देश के गाँव में रहने वालों के लिए और इस देश में जो शहरों की तरफ हमारा रूझान हो रहा है, अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अगले 10-15 साल में देश की 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी शहरों में आकर टिक जाए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कृपया आप शान्त रहें। आप बहुत आराम से बैठे हैं। आप शान्त रहें। श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: उस व्यवस्था में पानी की उपलब्धता और वह भी मानसून पर, वैसे तो वैज्ञानिक कुछ कहें, लेकिन मेरी भी धारणा है कि जब कोई संकट पैदा होता है तो कुदरत के कुछ ऐसे नियम हैं, जो उस संकट को खुद हल करती है। आज से 6 साल पहले अखबारों में क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बड़े-बड़े लेख आए थे। यह लेख था कि ऐसा समय आएगा कि जो ग्लेशियर हैं, वे छोटे होने शुरू हो जाएंगे और अल्टिमेटली जो हमारी रिवर हैं, उनका पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन आज से 6 साल पहले हिमालय पर इतनी बर्फ पड़ी कि अखबारों में आया कि 100 साल में इतनी बर्फ कभी नहीं पड़ी थी। मेरी अपनी यह मान्यता है कि अगर हम इस कुदरत के नियम को अपने तरीके से निभाना सीखें, जब आप बाथरूम जाते हैं, जब आप खाना खाते हैं, उसे बन्द कर दीजिए ना, लेकिन आपने बाथरूम जाना बन्द नहीं किया, खाना खाना बन्द नहीं किया, आपने बन्द किया वे पुरानी हमारी जो झील थीं, जो डिप्रेशन थे, जहाँ बारिश का पानी आकर इकट्ठा होता था, जो नाले थे, उन सबके ऊपर आज इन्क्रोचमेंट है। कोई यह कहे कि भारत सरकार की इन्क्रोचमेंट है, मैं यह कहता हूँ कि राज्य सरकारों को इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा और जब तक हम सख्ती से नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारी हजारों नहीं, लाखों एकड़ ऐसी जमीने हैं, जो

आज इन्क्रोच्ड हैं और जो प्राकृतिक नियम के अनुसार वहाँ पानी इकट्ठा होना चाहिए और उसके लिए हमने प्रबन्धन किया है।

माननीय सभापति : बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, मेरा आग्रह है कि आप कृपया शान्ति बनाकर रखें। श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : महोदय, मेरा यह मानना है, मैं यह समझता हूँ कि इन हालात में जो हमारी अपनी क्रिएशन है, हमें एक निर्णय के साथ यह सोचना पड़ेगा कि जो आज हम स्टेप्स ले रहे हैं पीने के पानी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, उनको क्या हम दो साल के अन्दर ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि ये स्टेप्स हम न लें।

मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हमने 9,33,360 हैंड पंप्स रिपेयर या रिस्टोर कराए। उसके साथ साथ जो किसानों के खेत में ट्यूबवैल लगे हुए थे और पड़ोस में पानी की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे 14,407 बोरवैल्स को हमने हायर किया कि वहाँ से पानी लेकर गाँवों में पानी पहुँचाया जाए ताकि पीने के पानी की किल्लत न हो। इसी प्रकार से जो राइज़र पाइप्स हैं, 14 लाख 80 हज़ार राइज़र पाइप्स को रीप्लेस किया गया या नीचे जाने के लिए उनको और बढ़ाया गया ताकि जो वाटर टेबल नीचे चला गया है, वह जा सके। इसी प्रकार से 57,728 नए बोरवैल उन एरियाज़ में कमीशन किए गए जहाँ पानी पीने की व्यवस्था थी और वहाँ पानी उपलब्ध था। इसी प्रकार से जो टैम्पोरेरी वाटर वर्क्स हैं, उन 1413 ऐसी वाटर बाडीज़ को रिपेयर किया गया, उनको रीजुविनेट करने के प्रबंध किए गए।

टैंकर्स के बारे में चर्चा चली कि उनकी उपलब्धता हो और लोगों तक पानी पहुँचाने का प्रबंध हो। उसके लिए हमने 2,09,766 ऐसे ट्रिप्स लगाए एक जगह से दूसरी जगह, जिससे जहाँ पानी की कमी थी उसको पूरा किया जा सके। इस प्रकार से 20,113 वाटर बाडीज़ को पानी पहुँचाने की व्यवस्था की गई। इसके साथ-साथ अभी खरगे जी ने कहा था कि होम मिनिस्टर को भी आना चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जहाँ ड्राउट सिचुएशन है, वहाँ होम डिपार्टमैंट ने अभी उन राज्यों के लिए 465 करोड़ रुपये और रिलीज़ किए हैं, जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था करनी है। इसी प्रकार से मैं ऑनरेबल मैम्बर्स को यह भी आश्वस्त करता हूँ कि 800 करोड़ रुपये ...(व्यवधान)

18.13 hours

(At this stage, Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

माननीय सभापित: आप शांति बनाए रखें। पहली बात यह है कि आप लोगों को अगर कुछ बात कहनी है तो अपनी सीट पर जाइए और वहीं से बोलिये। जो कुछ भी व्यवधान पैदा किया जा रहा है, कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

... (Interruptions)... *

माननीय सभापति : मंत्री जी जो बोल रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

... (Interruptions)... *

माननीय सभापति : आप अपनी सीट्स पर जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग बहुत देर तक शांति से बैठे थे। Please go to your seats. Whatever you want to say, first go to your seats.

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: सभापति जी, यहाँ राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। ...(व्यवधान)

सभापित जी, बिज़नैस एडवाइज़री कमेटी में यह तय हुआ था कि इस चर्चा को लेंगे और बिज़नैस एडवाइज़री कमेटी में कांग्रेस के सदस्य माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। यह तय हुआ था कि सुखाड़ के साथ ड्रिंकिंग वाटर और इण्टर लिंकिंग ऑफ रीवर्स को लिया जायेगा। ...(व्यवधान) उसी विषय में तीन मंत्रियों की बात हुई थी और चूिक यह इतने विस्तार का विषय है, जिसमें पीने के पानी की समस्या, इंटर लिंकिंग ऑफ रीवर्स और सुखाड़ तीन विषय हैं।...(व्यवधान) कभी-कभी ऐसा होता है कि एक-एक विषय पर, क्योंकि मामला इतना संगीन है कि तीन-तीन मंत्री इस पर उत्तर दे रहे हैं। ...(व्यवधान) लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो हमारे कांग्रेस के सदस्य हैं, इनकी यह कतई इच्छा नहीं है, देश में पूरे चारों कोनों में सूखा पड़ा हुआ है और जिस प्रकार से सदन में आकर के सूखे की बहस पर विरोध जता रहे हैं और पूरे भारत के लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के सदस्य, जब पूरा देश सुखाड़ पर चिन्ता व्यक्त कर रहा है तो हमारे माननीय सदस्य सदन के भीतर फ्लोर टेबल पर हैं, इससे बड़ा अपमान देश की जनता का कतई नहीं हो सकता है। पूरा सदन इस बात से आहत है कि कांग्रेस के मित्र सुखाड़ के विषय पर अपना

^{*} Not recorded.

विरोध जता रहे हैं और उनको यह चिन्ता नहीं है कि पूरे देश में बड़ी भीषण परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं।...(व्यवधान) ये आज नहीं चाहते हैं कि सारे सदन के लोग, जो सुखाड़ पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे माननीय कांग्रेस के सदस्य सदन के बीच में आकर किसानों की अवहेलना कर रहे हैं और किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, यह पूरी तौर से स्पष्ट हो जाता है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब हो गया। पहले आप अपनी सीट पर जायें। खड़गे जी अगर कहेंगे तो पहले आप जाइये। माननीय खड़गे जी, मेरा आपको कहना भी कुछ है कि अपने सदस्यों को कहिये कि सीट पर जायें।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: एलाऊ करते हैं, बाद में देखेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय गौरव जी, आप आपस में बात मत कीजिए। आप सीट पर जाइये। आप बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मेरा आग्रह है, देखिये, पहले सदन को व्यवस्थित कीजिए। सुमिता जी आप भी जाइये, प्लीज़। नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, प्लीज़ आप सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप सीट पर जाइये तो सही। गौरव जी, प्लीज़ आप सीट पर जाइये। पहले आप जाइये तो सही, पहले सदन को तो व्यवस्थित कीजिए। मैं यह कह रहा हूं कि पहले सदन को तो व्यवस्थित कीजिए। पहले सदन व्यवस्थित हो, तब बोलेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मेरा आपसे अनुरोध है, आप जाइये तो सही। आप बैठिये। आप सीट पर बैठिये. वे फिर बोलेंगे न। अगर आप अपने नेता की बात भी नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा। वे भी आपसे कह रह हैं। गौरव जी, आप प्लीज़ जाइये।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज़, आप बैठिये। आप भी बैठिये। आप सीट पर जाइये। गौरव जी, आप सीट पर जाइये, एक मिनट के लिए बैठ जाइये। आप क्यों क्रोध कर रही हैं, आप बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठिये, सहयोग कीजिए। आप बैठ जाइये। आप बैठिये न।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: सभापति महोदय, यह जो है...(व्यवधान)

माननीय सभापति: खड़गे जी, मेरा अनुरोध आप सुन लीजिए। मंत्री जी का वक्तव्य जारी है, वे बोल रहे थे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मेरा एक अनुरोध है...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मेरा भी आपसे अनुरोध है, वे बोल रहे हैं, उनका वक्तव्य जारी है।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: अभी 35 लोग बोलने वाले हैं और मिनिस्टर अगर इण्टरवीन करते रहेंगे तो 35 मैम्बर्स की बातों का उत्तर कौन देगा?

माननीय सभापति : उत्तर देने वाले मंत्री हैं। आप अपनी बात कह चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: दूसरी चीज, जो रूडी साहब ने हमारे ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप उनकी बात पहले पूरी होने दीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: कि कांग्रेस वालों को किसानों के बारे में, सूखे ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा। केवल मंत्री जी बोलेंगे, वह रिकार्ड में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा।

... (Interruptions)... *

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: यह 328.7 मिलियन हेक्टेयर इस देश का जो भूभाग है, उसमें 195.25 मिलियन हेक्टेयर ऐसी जमीन है जिसमें सिचाई न हो या रेन फेड हो, लेकिन खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है। ...(व्यवधान) आपको अगर ...(व्यवधान) ये जितने भी खड़े हैं, कोई किसान नहीं हैं, ये सब मौज उड़ाने वाले हैं। ...(व्यवधान) मैं कांग्रेस को अच्छी तरीके से जानता हूं। मेरे से ज्यादा मत कहलवाओ। ...(व्यवधान) अगर कोई बात देश के भले के लिए, इस देश के कमजोर वर्ग के लिए, इस देश के किसान के लिए की जाती है ...(व्यवधान) आपको अगर धरना देना था तो बाहर देते। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : वीरेन्द्र जी, आप अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

_

^{*} Not recorded.

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: अगर आपको धरना देना था तो बाहर देते 45 डिग्री टेंपरेचर में। ...(व्यवधान) यहां एसी का भी इस्तेमाल करें, आराम भी उठाएं और फिर हाउस की कार्यवाही न चलने दें। ...(व्यवधान) एक फैसला कर लीजिए कि अगर वेल में बैठना है तो महात्मा गांधी जी की मूर्ति के पास वहां 45 डिग्री टेंपरेचर में बैठिए जैसे वहां और बैठते हैं। ...(व्यवधान) यह नहीं है कि आपके पसीना भी नहीं आए और आप कार्यवाही भी हाउस की न चलने दें। यह गलत है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: वह बोल रहे हैं, उनकी बात तो पूरी हो जाए।

...(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: आप मेहरबानी करके, अगर देश के हित में आप कुछ नहीं सुनना चाहते ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: वह सूखे पर बोल रहे हैं। आज का यह विषय है। आप लोगों ने यह तय किया था, इसे आप लोगों ने तय किया था।

...(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: सभापित जी, कम से कम इतना तो हो कि जहां देश के 70 प्रतिशत, 24 करोड़ से ज्यादा लोग आज सूखे से प्रभावित हैं, इस देश के 313 जिलों में सूखे की स्थिति है। ...(व्यवधान) आप कहां थे? ...(व्यवधान) जब करेंगे तभी तो पता लगेगा। ...(व्यवधान) वहां बैठकर कुछ भी बोल दीजिए, जब करते हैं तब पता लगता है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी, कृपया आप चेयर को एड्रेस करें। आप उनसे बात नहीं करें।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: सर, क्या चेयर को एड्रेस करें? They are not allowing. They do not want to listen. That is not proper. You control them first. ... (Interruptions)

माननीय सभापति : आप अपना भाषण कंप्लीट कीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: I am concluding. Let me conclude. ऐट लीस्ट जो मैं बोल रहा हूं, उसको सुनने की तो कोशिश करें। मैंने खड़गे जी को पहले कहा ...(व्यवधान) मैंने कहा कि अगर दूसरे सवाल भी उठेंगे तो हम फिर उसकी रिप्लाई दे सकते हैं। ...(व्यवधान)

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता था कि आज की स्थिति में अगर मनरेगा की बात यह करते हैं, मनरेगा को हमने ट्रांसफार्म किया है। ...(व्यवधान) यही बात नहीं है। ...(व्यवधान) इन लोगों ने मनरेगा के एक्ट के माध्यम से इनके शासन काल में मनरेगा का जो बेनेफिशियरी था, उसका विश्वास उठ गया था,

खत्म हो गया था, वह पीछे हट गया था। ...(व्यवधान) हमने उस विश्वास को दोबारा पैदा किया है। ...(व्यवधान) हमने मनरेगा में, पिछले साल 37 हजार करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन हमने 43 हजार करोड़ रुपए सिर्फ मनरेगा पर दिए हैं। ...(व्यवधान) आप तो कोई जवाब नहीं देते हैं, आपको पता है कुछ ...(व्यवधान) आप जानते हैं, कोई जवाब नहीं देते, वैसे ही बात करते हैं। ...(व्यवधान) में ज्यादा बात नहीं करता हूं। ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि मनरेगा के माध्यम से हमने 7 हजार करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए। पिछले साल जब इनका राज था तो 172 करोड़ मैनडेट थे, हमने 235 करोड़ मैनडेट पैदा किए और मनरेगा के लाभार्थियों का विश्वास दोबारा पैदा किया।...(व्यवधान) आज जो सूखे की स्थिति है, उसमें 8 लाख 83 हजार जो विलेज पौंड्स हैं, उनको मनरेगा के माध्यम से सफाई की जायेगी, उनकी मिट्टी निकाली जायेगी।...(व्यवधान) पानी संरक्षण करने की जो बात है, वह एक सबसे बड़ा माध्यम होगा। ...(व्यवधान) प्रधानमंत्री कहते हैं कि जहां पानी बरसता है, वह वहां रूके, जहां पानी रुका है, वहां उसके नीचे जाए और पानी किसानों के खेत में जाए।...(व्यवधान)

मुझे बोलने दीजिए।...(व्यवधान) मैं बोलूंगा।...(व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है।...(व्यवधान) This is not fare. ...(व्यवधान) सर, मुझे जवाब देने का अधिकार है। ...(व्यवधान) मुझे जवाब देने से रोकना, यह मेरे प्रिवेलेज को...(व्यवधान) आप तो बड़े आराम से प्रिविलेज मोशन ले आते हैं, मैं आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर आऊंगा। ...(व्यवधान)

सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से चेक डैम बनायेंगे, मनरेगा के तहत गैबीअन स्ट्रक्चर बनायेंगे, रिचार्ज पिट्स बनायेंगे, नाला पौंड्स बनायेंगे और एफॉरस्टेशन की ऐक्टिविटीज को भी बढ़ोतरी देंगे...(व्यवधान) तािक एक ऐसी स्थिति बने जिससे पानी परकोलेट हो। ...(व्यवधान) जब बारिश की कमी हो तो उस स्थिति में पानी का इस्तेमाल हो। ...(व्यवधान) इसके साथ-साथ मैं यह भी आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने तीन करोड़ ऐसे कार्य राज्य भर में किये हैं, जिससे उनका ग्रोथ रेट 24 प्रतिशत तक पहुंचा है। ...(व्यवधान) इसी प्रकार से 14,200 प्रोजैक्ट्स के लिए 93,000 करोड़ रुपये की राशि संभावित है, जो खर्चा होगा।...(व्यवधान) हम ने अभी तक तीन लाख हेक्टेयर से ज्यादा, हमारे जो वेस्ट वाटर प्रोजैक्ट्स हैं, उनको संपन्न करने के लिए तीन लाख हेक्टेयर जमीन को अंडर कल्टीवेशन लेकर आये हैं। ...(व्यवधान) वह भी इसी का प्रयास था।...(व्यवधान) इस के साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने वर्ल्ड बैंक से 'निराचल प्रोजैक्ट' जो 2,041 करोड़ रुपये का है, उस प्रोजैक्ट के माध्यम से हम जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में बारिश की कमी है, या बारिश होती है तो उस पानी का इस्तेमाल ठीक से नहीं हो सकता है, उन राज्यों में एक नई तकनीक से शोध के कार्य से

'निरांचल' के माध्यम से हम वहां यह व्यवस्था करेंगे कि इतना पानी नई तकनीक के माध्यम से रोक सकें।...(व्यवधान) वहां किसानों एक जब पानी की कमी पड़े तो ऐसी स्थिति में उनको फसल बोने और फसल को पकाने में कोई दिक्क्त न आये।...(व्यवधान) इस प्रकार से हमने 1550 करोड़ रुपये लैंड डेवेलपमेंट के माध्यम से इसमें खर्चा ...(व्यवधान) इसके साथ-साथ हमने मनरेगा के माध्यम से traditional water bodies including de-silting of irrigation tanks and other water bodies, उनको मनरेगा के माध्यम से दोबारा रिजैनरेट करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

इस प्रकार हमने मनरेगा में यह व्यवस्था की है...(व्यवधान) चुप करो, चुप करो।...(व्यवधान) अब की व्यवस्था में फॉर्म पांड...(व्यवधान) 30,190 और 17,000, ड्रेनेज का प्रबंध, हमने दो साल के अंदर 31,900 करोड़ रुपये मनरेगा के माध्यम से इस योजना में खर्चे हैं।...(व्यवधान) इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस इलाके में सूखे की स्थिति बनती है, वहां रोजगार पाने के लिए भी प्रबंध किए जाते हैं।...(व्यवधान) हमने अप्रैल, मई और जून के लिए 12 हजार करोड़ रुपये मनरेगा के माध्यम से उन इलाकों के लिए रिलीज़ किए हैं जहां लोगों को मजदूरी की जरूरत पड़ेगी, काम की जरूरत पड़ेगी, उनसे काम करवाएंगे। ...(व्यवधान) इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है, हमारे साथी प्रहलाद जी ने भी कहा था कि मनरेगा का कार्य अगर हम किसान के लिए पैदावार बढ़ाने के लिए लगाएंगे तो उसमें उतनी ज्यादा पारदर्शिता आएगी और हमारे देश में जहां-जहां सूखे की स्थिति है, उससे निपटने के लिए हम पानी की व्यवस्था भी कर सकेंगे।...(व्यवधान)

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि इस सदन में कम से कम वे सदस्य हैं जिन्हें गांव के लोगों से प्यार हो, मोहब्बत हो, उनके दुख-दर्द के साथी हों। ...(व्यवधान) इस सदन के अंदर अगर माननीय सांसद अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो आज देश के 24 करोड़ लोगों को, मैं कहूंगा कि वहां जाकर देख लें। ...(व्यवधान) यहां काम नहीं चलता।...(व्यवधान)

मैं कह सकता हूं कि हमने जो प्रबंधन किया है, उसमें अगर हमें राज्य सरकारों का साथ मिला तो आने वाले दो सालों में जिन चीजों का मैंने जिक्र किया कि वे आपदा के समय चाहिए, उनसे लोगों को निजात मिलेगी और देश में पानी की व्यवस्था पूरी होगी।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again tomorrow on $11^{\rm th}$ May at 1100 hours.

18.33 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, May 11, 2016/Vaishaka 21, 1938 (Saka).